


Hkkjr | jdkj dk yksxks

Hkkjr | jdkj
Tky | d k/ku e=ky;



okf"kl| fj i k\z

2008&2009



d\sh; ty v\k; k\

d\b{nt}; ty \b{vk}; kx
Hkkjr&Hkfe ,oa ty l \b{ku} % rF;

- भौगोलिक क्षेत्र एवं अवस्थिति 328.7 मिलियन हैक्टेयर
80°-4' अक्षांतर एवं 37°-6' उत्तर देशांतर
68°-7' रेखांश एवं 97°-25' पूर्व
 - जनसंख्या 2008 1194.73 मिलियन
-
- ॥ वर्षा परिवर्तन पश्चिमी क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से
पूर्वी क्षेत्र में 11000 मिलीमीटर तक
-
- वृहद नदी बेसिन 253 मि. हैक्टेयर वाले 12 आवाह क्षेत्र
(आवाह क्षेत्र 20000 वर्ग किलोमीटर से अधिक)
 - मध्यम नदी बेसिन 25 मिलियन हैक्टेयर वाले 46 आवाह क्षेत्र
(आवाह क्षेत्र 2000 और 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच)
 - महत्वपूर्ण नदियों की कुल 14464 किलोमीटर
नौगम्य लम्बाई

ty l \b{ku}

- औसत वार्षिक वर्षा (2006) 3693.6 वि. घन मीटर
- माध्य वार्षिक प्राकृतिक अपवाह 1869 वि. घन मीटर
- अनुमानित उपयोगी सतही जल क्षमता 690 वि. घन मीटर
- कुल पुनःपूर्ति योग्य भू-जल संसाधन 433 वि. घन मीटर
- सिंचाई के लिए उपलब्ध भू-जल संसाधन 369.6 घन मीटर
- घरेलू औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध भू-जल क्षमता 71 घन मीटर (लगभग)
- चरम सिंचाई क्षमता 140 मि. हैक्टेयर

- सतही जल से सिंचाई क्षमता 76 मि. हैक्टेयर
- भू-जल से सिंचाई क्षमता 64 मि. हैक्टेयर
- पूर्ण की गई वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं के कारण उपलब्ध भंडारण 225.14 बि. घन मीटर
(10 मि. घन मीटर से कम सक्रिय क्षमता सहित)
- निर्माणाधीन /विचाराधीन परियोजनाओं के फलस्वरूप उपलब्ध अनुमानित अतिरिक्त संभावित सक्रिय भंडारण 171.43 बि. घन मीटर

Hh& I d kku %2005&06%

- कुल कृष्य भूमि 182.2 मि. हैक्टेयर
- सकल बुवाई क्षेत्र 193.7 मि. हैक्टेयर
- निवल बुवाई क्षेत्र 140.3 मि. हैक्टेयर
- सकल सिंचित क्षेत्र 85.8 मि. हैक्टेयर
- निवल सिंचित क्षेत्र 60.9 मि. हैक्टेयर

ty&fo | r

- अन्तिम जल विद्युत क्षमता (पूनर्मूल्यांकन के अनुसार) 60 % एल एफ पर 84.44 मेगावाट
- 31 मार्च, 2009 तक विकसित क्षमता 36877.76 मेगावाट (कुल क्षमता)
32099.8 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए)

v/; {k dh vkj | s

केन्द्रीय जल आयोग की वर्ष 2008–2009 की इस वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में देष के जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में किए गए योगदान को दर्शाते हुए केन्द्रीय जल आयोग के संगठनात्मक ढांचे, कार्यों और गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

केन्द्रीय जल आयोग ने जल क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक नेतृत्व और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई तथा वर्ष 2007–2008 में सभी तकनीकी और नीतिगत मामलों पर जल संसाधन मंत्रालय को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न समितियों की अध्यक्षता की तथा विभिन्न मामलों में काफी योगदान दिया। केन्द्रीय जल आयोग ने सिन्धु जल संधि प्रावधानों के अन्तर्गत मामलों के संबंध में सिन्धु बेसिन की बगलिहार और अन्य परियोजनाओं के बारे में मंत्रालय को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी। वर्ष के दौरान, वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और अन्य जल संसाधन विकास स्कीमों के मूल्यांकन के नियमित कार्यकलापों, वृहत् मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण, (ईआरएम) परियोजनाओं का प्रबंधन, परियोजनाओं से संबद्ध पर्यावरणीय मामलों, जलीय संरचनाओं के अभिकल्प, जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण और अध्ययन तथा बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय जल आयोग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:-

i jke' khz vkj | ykgdkj | ok, a %

- भारत तथा अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल आदि जैसे पड़ोसी देशों में 141 जल संसाधन विकास परियोजनाओं के संबंध में अभिकल्प परामर्श।

Tky | d k/ku i fj ; kst ukvkadk i cks/ku vkj elV; kdu %

- जल संसाधन विकास परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन तथा बहु-उद्देश्यीय सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की स्वीकृति।
- 62 वृहत्, 25 मध्यम और 8 विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं का प्रबोधन तथा 134 परियोजनाओं का कमान क्षेत्र विकास कार्य।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 5647.90 करोड़ रुपये की केन्द्रीय अनुदान निर्मुक्ति हेतु प्रस्तावों की जांच।
- जल निकायों के नवीकरण, पुनःस्थापन और पुनरुत्थान हेतु स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों की जांच।
- देष में 81 जलाषयों की भंडारण स्थिति का प्रबोधन।

ck<+ i c/ku %

- असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे विशेष राज्यों जिन्हें भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, में प्रभावी बाढ़ प्रबंधन की सहायता के लिए 2008 की मानसून अवधि के दौरान 6675 पूर्वानुमानों (97.81 प्रतिशत यथार्थता के साथ) को समय पर जारी करना।
- बाढ़ नियंत्रण हेतु बाढ़ प्रबंधन/मास्टर योजना की 29 स्कीमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन।

१, ० द० ctkt%


अध्यक्ष

केन्द्रीय जल आयोग

fo"k; &oLrṇ

v/; {k dh vkj l s
o"kl dh eq; &eq; mi yfC/k; ka

अध्याय-I	प्रस्तावना	पृष्ठ संख्या
अध्याय-II	जल संसाधन विकास	
अध्याय-III	नदी प्रबंधन	
अध्याय-IV	बेसिन आयोजना	
अध्याय-V	अभिकल्प एवं परामर्श	
अध्याय-VI	जल प्रबंधन, जलाशय अवसादन और परियोजना के बाद मूल्यांकन	
अध्याय-VII	परियोजनाओं का मूल्यांकन	
अध्याय-VIII	परियोजनाओं का प्रबोधन	
अध्याय-IX	निर्माण उपकरण आयोजना एवं प्रबंधन	
अध्याय-X	अन्तर-राज्यीय मामले	
अध्याय-XI	जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रबंधन	
अध्याय-XII	विदेशी सहायता	
अध्याय-XIII	पड़ोसी देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	
अध्याय-XIV	कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	
अध्याय-XV	प्रशिक्षण	
अध्याय-XVI	सतर्कता	
अध्याय-XVII	विभिन्न समितियों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व	
अध्याय-XVIII	प्रचार एवं प्रकाशन	



o"kl 2008&2009 dh mi yfc/k; ka

vflkdYi %

- केन्द्रीय जल आयोग के अभिकल्प एकक ने 141 जल संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए जलीय संरचना की विभिन्न किस्मों का विस्तृत अभिकल्प तथा आरेखण किया। वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत 168 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी जांच अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में की गई।

unh i rdku %

- देश में फैले 878 स्थलों पर जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण किए गए।
- 9 प्रमुख नदी बेसिनों में फैले 175 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों (28 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्थलों सहित) को चालू किया गया । बाढ़ मौसम 2008 के दौरान 6675 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए जिसमें से 6529 (97.81 प्रतिशत) परिशुद्धता की निर्धारित सीमाओं के भीतर थे। बाढ़ मौसम के दौरान दैनिक बाढ़ बुलेटिन तथा साप्ताहिक बाढ़ समाचार पत्र जारी किये गये । 52लाल बुलेटिन (अभूतपूर्व बाढ़ स्थिति हेतु) और 141 नारंगी बुलेटिन (उच्च बाढ़ स्थिति हेतु) जारी किए।
- चंबल और महानदी बेसिनों में विद्यमान 55 केन्द्रों के अलावा मार्च, 2009 तक 162 केन्द्रों में उपग्रह पर आधारित दूरमापी प्रणाली की संस्थापना की गई ।
- भूटान में 35 जल मौसम-विज्ञानीय स्थलों के रख-रखाव के लिए भूटान शाही सरकार को सहायता उपलब्ध करायी गई ।
- वर्ष 2008–09 में मार्च, 2009 तक के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए 29 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं/मास्टर योजनाओं की जांच/मूल्यांकन किया गया ।
- “बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम” के अंतर्गत 2008–09 के दौरान जम्मू एवं कशीर, गोवा, पंजाब और उड़ीसा की सरकार को निधियों को निर्मुक्ति हेतु 96 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के संबंध में कार्रवाई की गई ।

ty vk; kstuk

- केन्द्रीय जल आयोग में 68 नई वृहद सिंचाई परियोजनाएं, 43 संशोधित वृहद सिंचाई परियोजनाएं, 58 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और 24 जल विद्युत ऊर्जा योजनाएं मूल्यांकनाधीन हैं। सलाहकार समिति द्वारा 27 परियोजनाओं, जिसमें 9 वृहद, 7 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और 11 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल है, को निवेश स्वीकृति हेतु स्वीकृत की गई ।
- 95 वृहद, मध्यम तथा विस्तारण/नवीकरण/आधुनिकीकरण (ई.आर.एम), ए.आई.बी.पी. के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं तथा 134 कमान क्षेत्र विकास (CAD परियोजनाओं) का प्रबोधन किया गया ।
- साप्ताहिक आधार पर 151.77 बी.सी.एम. की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता वाले 81 महत्वपूर्ण जलाशयों का प्रबोधन किया गया ।
- ए.आई.बी.पी. कार्यक्रम के तहत 5647.90 करोड़ की केन्द्रीय अनुदान की निर्मुक्ति के प्रस्तावों की जांच ।
- जल संसाधन मंत्रालय को अंतर्राज्यीय जल विवाद जैसे कि कावेरी जल विवाद, मंडोवी जल विवाद, कृष्णा जल विवाद तथा रावी-व्यास जल विवाद पर तकनीकी सहायता प्रदान की ।

ekuo | d k/ku i c/k %

- देश के भीतर 104 सेवारत अधिकारियों को प्रशिक्षण, सेमिनार/कार्यशाला आदि में भाग लेने के लिए भेजा गया तथा 19 सेवारत अधिकारियों ने विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 586 अधिकारियों के लिए 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 2 कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया।

v/; k; & l
ɪ lrkouk

1.1 dʌnθ; t̬y v̬k; k̬x dk bfrgkl

केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन विकास के क्षेत्र में देश का एक शीर्षस्थ संगठन है, जो कि श्रम विभाग के संकल्प सं. डी. डब्ल्यू. 101(2), दिनांक 5 अप्रैल, 1945 के तहत “केन्द्रीय जल मार्ग, सिंचाई एवं नौवहन आयोग” के नाम से अस्तित्व में आया। वर्ष 1951 से इसे “केन्द्रीय विद्युत आयोग” में शामिल कर दिया गया और पुनः इसका नाम “केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग” (के.ज.एवं वि.आ.) रखा गया। कृषि और सिंचाई मंत्रालय में आए परिवर्तनों के पश्चात् केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के जल स्कंध को वर्ष 1974 में ‘‘केन्द्रीय जल आयोग’’ का नाम दिया गया, जो अभी भी बना हुआ है। इस समय केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है और यह इसका प्रमुख तकनीकी अंग है। इसका प्रबंधन केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा संवर्ग द्वारा किया जाता है, जो जल संसाधन मंत्रालय की एकमात्र संगठित सेवा है।

1.2 I ʌBu

केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान एक अध्यक्ष हैं, जो कि भारत सरकार के पदेन सचिव स्तर के अधिकारी हैं। केन्द्रीय जल आयोग का कार्य तीन स्कंधों, अर्थात् अमिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंध तथा नदी प्रबंधन स्कंधों में बंटा हुआ है। इनसे सम्बद्ध कार्य संबंधित स्कंधों के अधीन हैं और प्रत्येक स्कंध को एक पूर्णकालिक सदस्य, जो कि भारत सरकार के पदेन अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं, के अधीन रखा गया है। प्रत्येक स्कंध, जिसमें अनेक संगठन शामिल हैं, उसे सौंपे गये कार्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों और कर्तव्यों के निपटान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने में विभिन्न स्तर के अधिकारी मुख्य अभियंता/निदेशक/अधीक्षण अभियंता/उपनिदेशक/अधिशासी अभियंता /सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियंता तथा अन्य अभियांत्रिकी तथा गैर-अभियांत्रिकी अधिकारियों व सहायक स्टॉफ द्वारा सदस्य को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अलग से एक मानव संसाधन प्रबंध एकक है जिसके प्रधान मुख्य अभियंता हैं जो केन्द्रीय जल आयोग के मानव संसाधन प्रबंध/विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्यों को देखते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों में सेवारत इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी कार्य कर रही है जो सीधे अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:-

v/; {k

संगठन का प्रधान—देश के सतही जल संसाधनों की समग्र आयोजना एवं विकास से सम्बद्ध विभिन्न कार्यकलापों की देख-रेख और कुल मिलाकर आयोग के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है।

I nL; ʌt̬y v̬k; kstuk , oai f̬j ; kstukh

यह स्कंध राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार बेसिन—वार सतही जल क्षेत्रों की समग्र आयोजना एवं विकास तथा जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय संदर्भी योजना, जल संसाधन परियोजनाओं के तकनीकी—आर्थिक मूल्यांकन तथा परियोजनाओं के निरूपण एवं कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता देने, लक्षित लाभों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए चुनिंदा परियोजनाओं का प्रबोधन करने, अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए परियोजनाओं को तैयार करने, पर्यावरणीय पहलुओं, परियोजनाओं के लिए निर्माण तथा मशीनरी से संबंधित मदों तथा जल संसाधन आदि में दूरस्थ संयोगी तकनीकी के प्रयोग आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

I nL; %vfkldYi , oI vuI gkku%

यह स्कंध देश की नदी घाटी परियोजनाओं की आयोजना, व्यवहार्यता अध्ययन, मानकीकरण तथा अभिकल्प आदि में मार्ग-दर्शन करने तथा सहायता उपलब्ध कराने और वृहद् एवं मध्यम बांधों की सुरक्षा संबंधी पहलुओं, परियोजनाओं का जल विज्ञानीय अध्ययन, अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय, आदि जैसे कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी है।

I nL; %unI i cdku%

यह स्कंध नदी आकृति विज्ञान, बाढ़ प्रबंध, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की तकनीकी आर्थिक जांच और उसकी स्वीकृति, निकासी, कटाव रोधी उपाय से संबंधित तकनीकी मामलों का मार्गदर्शन करने, जल विज्ञानीय तथा जल मौसम विज्ञानीय आंकड़ों का संग्रहण, सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण नदियों के बाढ़ पूर्वानुमान का निरूपण और चुनिंदा महत्वपूर्ण जलाशयों का अंतर्वाह पूर्वानुमान, कमान क्षेत्र विकास आदि को ध्यान में रखते हुए वृहत् एवं मध्यम परियोजनाओं का प्रबोधन कराने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2008–2009 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों के पदों की पदधारिता निम्न प्रकार है :—

1 अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	श्री ए.के. बजाज* (16.04.2008 से 01.03.2009) श्री ए.के. बजाज* (02.03.2009 से अब तक)
2 सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान)	श्री डी.वी. थरेजा (12.02.2008 से 22.04.2008) श्री ए.के. बजाज (22.04.2008 से 02.03.2009) श्री ए.के. गन्जू* (17.03.2009 से 19.06.2009) श्री ए.के. गन्जू (19.06.2009 से अब तक)
3. सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना)	श्री ए.के. गन्जू* (27.06.2008 से 19.06.2009) श्री इंद्र राज (19.06.2009 (अप0) से अब तक)
4. सदस्य (नदी प्रबंध)	श्री आर.सी. झा (12.02.2008 से अब तक)

* अतिरिक्त प्रभार (वर्तमान कार्य)

1-3 i ed[k dk;]

केन्द्रीय जल आयोग सामान्यतः बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य के लिए संबंधित राज्य में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए स्कीमों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके इन्हें प्रारंभ करने, समन्वय करने और विकसित करने के सामान्य उत्तरदायित्व को निभाता है। आयोग, आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार की किसी भी स्कीम का निर्माण तथा निष्पादन कार्य भी कर सकता है।

उपर्युक्त उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :—

- राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना।
- जल मार्ग, ज्वारीय नदियां, वर्षा, अपवाह तथा तापमान, भू-जल संसाधनों, जलाशयों की गाद, द्रवचालित संरचनाओं का व्यवहार, पर्यावरणीय पहलुओं आदि के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना, संग्रहण में समन्वय करना, प्रकाशित करना तथा इनका विश्लेषण करना और इन मामलों के बारे में केन्द्रीय आसूचना व्यूरो के रूप में कार्य करना।
- समूचे भारत में जल की गुणवत्ता सहित जल संसाधनों तथा इनके उपयोग से संबंधित साखियों की आंकड़ों को एकत्रित करना, रख-रखाव करना तथा प्रकाशित करना और जल संसाधनों के संबंध में केन्द्रीय आसूचना व्यूरो के रूप में कार्य करना।
- भारत के सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण अंतर्राज्यीय नदी बेसिनों को 175 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- जल संसाधनों के बेसिन-वार विकास के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह देना।
- आवश्यकतानुसार आवश्यक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना, विद्युत उत्पादन के संबंध में नदी घाटी के विकास के लिए अभिकल्प एवं योजनाएं तैयार करना, गुरुत्व प्रवाह अथवा लिफ्ट द्वारा सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंध, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना, मृदा संरक्षण, जलमण्णता रोधी उपाय, क्षारीय और लवणीय मृदा का सुधार, जल निकास तथा पेयजल आपूर्ति करना।
- भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार की ओर से किसी भी नदी घाटी विकास योजना का निर्माण कार्य शुरू करना।
- जब भी आवश्यकता हो, किसी विशेष क्षेत्रों तथा इलाकों के लिए नदी घाटी तथा विद्युत विकास योजनाओं के अन्वेषण, सर्वेक्षण तथा तैयारी में राज्य सरकारों (गठित किए गए आयोगों, निगमों अथवा (निकायों) को सलाह तथा सहायता देना।
- अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित सभी मामलों के बारे में भारत सरकार को सलाह देना।
- जल संसाधन विकास के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना, विभिन्न राज्यों के बीच अधिकारों तथा विवादों, जो जल के संरक्षण एवं उपयोग संबंधी किसी योजना को प्रभावित कर सकते हैं और नदी घाटी विकास से संबंधित अन्य कोई मामला हो, जिसे आयोग को भेजा जा सकता है।
- भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रबोधन को भी इसकी गतिविधियों में शामिल कर लिया गया है।
- केंद्र एवं राज्य संगठनों के सेवारत अभियंताओं को जल संसाधन विकास के विविध पक्षों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सिंचाई परियोजनाओं के उपस्करों, पर्यवेक्षण तथा रिकार्ड की पद्धतियों, सामग्री और निर्माण, अभिकल्प और प्रचालन को मानकीकृत करना।
- सिंचाई के निरन्तर विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं के सामाजिक-कृषि-आर्थिक तथा पारिस्थितिकी संबंधी पहलुओं के संबंध में अध्ययन करना।
- बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, नौवहन, जल-विद्युत विकास आदि जैसी नदी घाटी विकास योजनाओं के विभिन्न पहलुओं तथा सम्बद्ध संरचनाओं और अभिकल्प विशेषताओं पर अनुसंधान कार्य करना तथा समन्वय करना।

- जल संसाधन विकास के लिए दूरस्थ संवेदन सेटेलाइट तकनीक तथा नदी पूर्वानुमान एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास जैसी आधुनिक अंकड़ा संग्रहण तकनीकों को बढ़ावा देना।
- विद्यमान और भावी बांध-सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन करना तथा बांध सुरक्षा उपायों के लिए उपस्करों को मानकीकृत करना।
- नदी रुख का दृष्टांकन करने के लिए तटीय अपरदन/तटीय क्षरण समस्याओं को देखने के लिए आकारकीय अध्ययन शुरू करना तथा ऐसे सभी मामलों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।
- जल संसाधनों के उपयोग तथा संरक्षण के क्षेत्र में और देश में हुई प्रगति तथा उपलब्धियों के बारे में प्रोत्साहन एवं जन-जागरूकता पैदा करना।

1-4 *ef[; ky;*

इस समय केन्द्रीय जल आयोग (मु), में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 18 संगठन हैं जिसमें 9 संगठन जल आयोजना एवं परियोजना के अंतर्गत हैं, 6 संगठन अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध के अन्तर्गत हैं तथा 2 संगठन नदी प्रबंध स्कंध के अन्तर्गत हैं। इसके अलावा मुख्यालय में मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) की अध्यक्षता में मानव संसाधन प्रबंध एकक भी है। संगठनों का व्यौरा संगठनात्मक संरचना में दिया गया है।

1-5 *{k=ḥ; dk; kly;*

जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने तथा राज्य सरकार के विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल आयोग ने प्रमुख नदी बेसिनों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में के.ज.आ. के 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये कार्यालय बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, शिलांग तथा सिलीगुड़ी में स्थित हैं।

1-6 *dkfeld i cdku*

1 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों की संख्या 3506 है, जब कि स्वीकृत पद 4979 हैं। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का व्यौरा सारणी 1.1 में दिया गया है। विभिन्न वर्गों में स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का सारांश तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.1
कर्मचारियों की संख्या

वर्ग	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या
मुख्यालय	1887}	3506
क्षेत्रीय कार्यालयों	3092}	
कुल	4979	3506

तालिका 1.2
स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का समूह—वार ब्यौरा

क्रम संख्या	वर्ग	स्वीकृत	भरे हुए
1.	समूह "क"	707	515
2.	समूह "ख"	1030	764
3.	समूह "ग"	2298	1495
4.	समूह "घ"	944	732
	dy	4979	3506

1.7 IykwLdhe rFkk okf"kd ctV

1.7.1 IykwLdhe

वर्ष 2008–09 के दौरान प्लान योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	उद्देश्य / कार्य का क्षेत्र	ग्यारहवीं योजना का परिव्यय	वित्त वर्ष 2008–09 (केन्द्रीय जल आयोग का घटक)		
				बजट प्राक्कलन	वित्तीय प्राक्कलन	व्यय
1.	राष्ट्रीय जल अकादमी	• जल संसाधन विकास के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों से सेवारत इंजीनियरों के लिए प्रविष्टि	15.00	2.30	2.40	2.44
2.	जल विज्ञान परियोजना (चरण-2)	• 13 राज्यों और 8 केन्द्रीय एजेंसियों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग का विस्तार करना और बढ़ावा देना।	कुल लागत 631.83 करोड़ रूपए केन्द्रीय जल आयोग का घटक 29.60 करोड़ रूपए	6.77	0.42	0.41
3.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	• आंकड़ों के संग्रहण और आदान-प्रदान के लिए संबंधित राज्य और केन्द्रीय विभागों से संपर्क स्थापित करके राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधनों संबंधी सूचना प्रणाली का विकास करना।	234.30	38.74	37.20	35.42

4.	जल संसाधन विकास योजनाओं का अन्वेषण	<ul style="list-style-type: none"> सर्वेक्षण और क्षेत्रीय अन्वेषण से संबंधित गतिविधियों को करना। जल के अंतर-बेसिन अंतरण की योजनाओं सहित विभिन्न जल संसाधन विकास योजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता / व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। 	कुल लागत 290 करोड़ रुपये केंद्रीय जल आयोग का घटक 40 करोड़ रुपये	7.00	5.69	5.14
5.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	<ul style="list-style-type: none"> यंत्रीकरण प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना करना (दसवीं प्लान योजना के फैले हुए कार्य)। पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन (ईएसए)। अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन और अन्य विशेषीकृत अध्ययन। बांध सुरक्षा गतिविधियों संबंधी विशेष प्रयोजन के पैकेजों का प्रशिक्षण और विकास। सिंधु और कृष्णा बेसिनों के लिए तैयार किए गए सामान्यकृत पी.एम.पी. एटलस के लिए शेष अदायगी। कृष्णा बेसिन के लिए सामान्यकृत पी.एम.पी. एटलस का अंकीकरण (दसवीं प्लान योजना के फैले हुए कार्य)। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों के लिए सामान्यकृत पी.एम.पी. एटलस तैयार करना तथा अंकीकरण करना। बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना के अन्तर्गत तैयार किए गए एटलस का उन्नयन और अंकीकरण (डीएसएआरपी)। 	10.00	1.60	0.88	0.91
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	<ul style="list-style-type: none"> दसवीं योजना के शेष कार्य। आंकड़ा संग्रहण, संचारण, बाढ़ पूर्वानुमान निरूपण / एकत्र करना। अतिरिक्त 222 केन्द्रों पर दूरमापी (टेलीमीटरी) प्रणाली का संरक्षण। 	130.00	23.00	13.22	13.99

7.	सीमा क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियों एवं कार्य	सीमा स्थित नदियों पर नदी प्रबंधन गतिविधियों में निम्न शामिल हैं:— • जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण • आवश्यकतानुसार पड़ोसी देशों के सहयोग से अन्वेषण एवं आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपाय।	कुल परिव्यय 601.00 करोड़ रुपए, केन्द्रीय जल आयोग परिव्यय 118.95 करोड़ रुपए	20.35	8.62	7.06
8.	अवसंरचना विकास	• योजना में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:— (i) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि एवं भवन। (ii) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की भूमि एवं भवन। (iii) जल संसाधन मंत्रालय का आई.टी विकास और (iv) केन्द्रीय जल आयोग की कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	कुल लागत 115.00 करोड़ रु0 के.ज.आ. घटक (i) भूमि एवं भवन— 57.00 करोड़ रु0 (ii) केन्द्रीय जल आयोग की कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण— 6.00 करोड़ रु0	28.35	7.58	6.17

1-7-2 okf"kd ctV

वर्ष 2008–2009 के लिए गैर–योजना बजट परिव्यय और व्यय तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3

केन्द्रीय जल आयोग (गैर–योजना) की योजनाएं–परिव्यय और व्यय

2701& 0gn , oie;/ e fl pkbz		ctV i kDdyu 2008&09	%djkM+ : i , e%
001 0	; kstukvka dk uke		
1-	निर्देशन एवं प्रशासन	14.25	20.04
2-	आंकड़ा संग्रहण	44.65	65.41
3-	अनुसंधान	1.11	1.33
4-	प्रशिक्षण	0.57	0.52
5-	सर्वेक्षण और अन्वेषण	6.35	7.74
6-	परामर्श	15.45	20.74
7-	प्रदर्शन एवं व्यापार मेला	0.30	0.18
8-	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रबंधन हेतु कक्ष	0.45	0.50
9-	उपकरण का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय जल आयोग आफसेट प्रेस	0.25	0.23

10-	जल आयोजना स्कंध	0.93	1.13
11-	चिनाब बेसिन में जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण	1.35	1.61
12-	सेमिनार एवं सम्मेलन	0.004	0
13-	अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में अंशदान	0.015	0.01
	dy	85-68	119-44
2711&ck<+fu; f=.k , ovi ogu			
001 0	; kst ukvks dk uke	ctV i kDdyu 2008&09	ekp] 2009 rd 0; ;
1-	बाढ़ नियंत्रण	35.00	52.12
2-	बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी केन्द्रों के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को अदायगी	0.80	1.03
3-	ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान और जल विज्ञानीय सर्वेक्षण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण	1.65	1.96
	dy	37-45	55-11

1-8 ijke'khZ l dk, a

केन्द्रीय जल आयोग का अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध तथा अन्वेषण परिमंडल केन्द्रीय विभागों, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों को आयोजना, सर्वेक्षण व अन्वेषण में तथा नदी घाटी परियोजनाओं के अभिकल्प में भारत तथा विदेश में परामर्श प्रदान कर रहा है।

1-9 I jdkjh dkedkt e fglnh dk ikkeh i; kx

केन्द्रीय जल आयोग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग करने के लिए निरन्तर उपाय किए गए। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एवं सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) की अध्यक्षता में आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में हिन्दी की प्रगति के लिए आवष्यक विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाती है तथा लिए गए निर्णयों पर समय पर कार्रवाई की जाती है। आयोग में राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की गई है। इस वर्ष में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में निम्नानुसार कार्रवाई की गई है:-

1. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने तथा राजभाषा विभाग के आदेशों, अनुदेशों आदि के अनुपालन की निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए।
2. हिन्दी के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा राजभाषा नियमों और प्रोत्साहन योजनाओं आदि के प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित चार हिन्दी कार्यषालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 60 अधिकारियों ने भाग लिया।

3. हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर निरंतर हिंदी में दिए जाते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत शासकीय कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से ध्यान रखा जाता है।
4. जल ऑडिट एवं जल संरक्षण संबंधी केंद्रीय दिशा-निर्देश, जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2006–07 की वार्षिक रिपोर्ट, तकनीकी रिपोर्टों, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट, विश्व जल दिवस हेतु थीम पेपर और अन्य नेमी सामग्री का हिंदी अनुवाद किया गया।
5. राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं राजभाषा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 14 से 30 सितम्बर, 2008 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिंदी टिप्पणी/आलेखन, निबंध लेखन, आशु भाषण, काव्य स्पर्धा, शब्द-निर्माण, तकनीकी लेख प्रस्तुतीकरण का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्रों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2007–08 के दौरान हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों नामशः मध्य गंगा मंडल-II, लखनऊ, सिंधु बेसिन संगठन, चंडीगढ़, सिकिम अन्वेषण मंडल, सिकिम, आयोग स्थित स्थापना—नौ अनुभाग तथा बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास निदेशालय को राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया।
6. माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा केंद्रीय जल आयोग के सिकिम एवं मदुरै स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का क्रमशः दिनांक 3–5 जून, 2008 एवं 02 दिसम्बर, 2008 को निरीक्षण किया गया। समिति ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया। इन सुझावों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है।
7. राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निहित लक्ष्यानुसार केंद्रीय जल आयोग के पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों का क्रय किया गया।

1-10 vud fpr tkfr] vud fpr tutkfr rFkk vU; fi NMf oxl ds fy, vkj{k.k

विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व तालिका 1.4 में दिया गया है :-

rkfydk 1-4

vud fpr tkfr ,o;vud fpr tutkfr ds vf/kdkfj ;k dk fofHklu xMka ea i frfuf/kRo
1/31-03-2009 ds vud kj½

oxl	Hkj's gq i nka dh I [; k	vud fpr tkfr ds i nka dh I [; k	vud fpr tutkfr ds i nka dh I [; k	v- fi- oxl ds i nka dh I [; k
समूह क	515	62	31	37
समूह ख	764	98	11	3
समूह ग	1495	202	46	70
समूह घ	732	205	70	11
dy	3506	567	163	121

टिप्पणी:- उपर्युक्त आंकड़ों में सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्गों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाते जिसका नियंत्रण जल संसाधन मंत्रालय और संवर्ग नियंत्रण आर्थिक कार्य विभाग और सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है।

1-11 fodykx 0; fDr; k d̥s fy, vkjf{kr f̥j DRk LFkkuk dks Hkj s tkus I s | cf/kr fLFkfr

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 33 में विकलांग व्यक्तियों हेतु पदों को अभिज्ञात किया गया है तथा 31.03.2009 तक विकलांग व्यक्तियों की स्थिति तालिका 1.5 में दी गई है। पिछले रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

rkfydk 1-5
r̥ukr fodykx 0; fDr; k d̥s I ; k d̥s fLFkfr
131-03-2009 ds vuj kj½

I eg	vks p	oh, p	, p, p	d̥y
"क"	2	0	0	2
"ख"	2	0	1	3
"ग"	7	0	0	7
"घ"	2	4	1	7
d̥y	13	4	2	19

ओ. एच. : शारीरिक रूप से विकलांग, वी. एच. : नेत्रहीन विकलांग, एच. एच. बधिर विकलांग

टिप्पणी:- उपर्युक्त आंकड़ों में सीएसएस, सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्गों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाते जिसका नियंत्रण जल संसाधन मंत्रालय और संवर्ग नियंत्रण आर्थिक कार्यालय और साखियोंकी विभाग द्वारा किया जाता है।

1-12 dY; k.kdkjh mi k; rFkk i kRI kgu

विद्यमान विभिन्न कल्याणकारी उपाय तथा प्रोत्साहन इस प्रकार है :-

1-12-1 fgrdkjh fuf/k

केन्द्रीय जल आयोग में हितकारी निधि की स्थापना 1966 में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक विपदाओं में होने वाली क्षति को पूरा करने तथा स्वयं के कैंसर, क्षयरोग आदि जैसी लम्बी बीमारियों पर होने वाले चिकित्सा व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्राप्त करने के हकदार सदस्यों को तथा सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वित्तीय सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है:-

- 15,000 रुपये की तत्काल राहत, तथा
- 10,000 रुपये तक दीर्घावधि राहत, जो दस मासिक किस्तों में देय है।

इस निधि का संचालन शासी निकाय द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अवैतनिक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। इस निधि के लेखा परीक्षित लेखे वार्षिक आम सभा की बैठक में आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। विद्यमान अंशदान की दर 10 रुपये प्रतिमास है। वर्ष 2008–2009 के दौरान तत्काल राहत के 7 मामलों को हितकारी निधि के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया।

1-12-2 dk&vñjVo fFKQV , oñ ØfMV | kd kbVh

डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को—ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला केन्द्र, विद्युत विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय का प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय और केन्द्रीय जल आयोग का भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कल्याण और लाभ के लिए मार्च 1959 से कार्य कर रही है जिसका पंजीकृत कार्यालय पश्चिमी खंड-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में स्थित है। यह सोसाइटी 1,00,000/-रुपये तक नियमित ऋण तथा 8000/- रुपये तक आपातकालिक ऋण उपलब्ध कराती है जो क्रमशः 60 तथा 10 मासिक किश्तों में 9 % प्रति वर्ष ब्याज दर से वसूल किया जाता है। सोसाइटी सेवा-निवृत होने वाले सदस्यों को उपदान (ग्रेच्यूटी) की अदायगी करती है तथा सदस्य कल्याण निधि से दिवंगत सदस्यों का बकाया ऋण माफ करती है। इसने दिल्ली की सर्वोत्तम सहकारी समिति होने के नाते अनेक पुरस्कार जीते हैं।

1-12-3 [ky rFkk | kLdfrd xfifof/k; ka

केन्द्रीय जल आयोग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अन्तर-मंत्रालयी एथलेटिक्स तथा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा अपने बढ़िया प्रदर्शन से ख्याति अर्जित की। श्री अश्विनी कुमार ने ऐजवाल में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2008-09 में केन्द्रीय सचिवालय दिल्ली बैडमिंटन दल का प्रतिनिधित्व करते हुए पुरुषों की टीम चैंपियनशिप में तृतीय स्थान प्राप्त किया। केन्द्रीय जल आयोग की हॉकी टीम ने 2008-09 में लगातार तीसरी बार अंतरमंत्रालयी हॉकी प्रतियोगिता जीती। श्रीमती आर. लक्ष्मी गांगुली ने वर्ष 2008-09 की अंतरमंत्रालयी तैराकी प्रतियोगिता की फी स्टाइल एवं ब्रैस्ट स्ट्रोक स्पर्धाओं में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुश्री कमलेश गाबा ने दिल्ली राज्य मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2009 में डिस्कस थ्रो एवं शॉट पुट में क्रमशः स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त किया। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने फुटबाल एवं टेबल-टेनिस की अंतरमंत्रालयी प्रतियोगिता 2008-09 में भी भाग लिया। केन्द्रीय जल आयोग जल तंरंग के सदस्यों ने अंतरमंत्रालयी संगीत एवं नृत्य और लघु नाटिका प्रतियोगिता 2008-09 में वाद्य, संगीत, लोक-नृत्य, लोक संगीत, कारनेटिक सुगम संगीत और हिन्दुस्तानी सुगम संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

1-12-4 vud spr tkfr] vud spr tutkfr@vJ; fi NMñox@'kkjhj d : lk | s fodykx 0; fDr; kñds fy, tul i dl d{k dh LFkki uk djuk

केन्द्रीय जल आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति /अन्य पिछड़ेवर्ग/ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक जनसंपर्क कक्ष की स्थापना की गई है।

1-13 dññh; ty vk; kx dk i µxBu

व्यवसायिक तरीके से राष्ट्रीय जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए डा० एस आर० हाशिम, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि "केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन के समूचे प्रश्न पर सक्षम परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके विस्तार से अध्ययन" किया जाए।

तदनुसार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2001 को उपर्युक्त अध्ययनों के लिए परामर्श का कार्य भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय, हैदराबाद को सौंप दिया है। अध्ययन

में विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:- (1) केन्द्रीय जल आयोग और इसके कार्यों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन। (2) 2025 के लिए जल क्षेत्र में भावी प्रक्षेपण (3) 2025 के लिए भावी प्रक्षेपणों के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग के मिशन और केन्द्रीय जल आयोग के संबंध में संगठनात्मक संरचना तथा इससे सम्बद्ध मुद्दे ताकि मिशन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सके। भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय की अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2007 को प्रस्तुत की गई थी।

जल संसाधन मंत्रालय के समिति कक्ष में दिनांक 21.01.2009 को आयोजित बैठक में 'केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन' के प्रस्ताव की जांच करने हेतु अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

1-14 dññt; ty vñ; kñ ds fy, ukxfj d ?kksñk. kk&i =

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के लिए नागरिक घोषणा-पत्र सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग के नागरिक घोषणा तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया था, जिसके सदस्य-सचिव और नोडल अधिकारी मुख्य अभियंता (बीपीएमओ) थे। जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से नागरिक घोषणा-पत्र को अन्तिम रूप दिया गया है और केन्द्रीय जल आयोग के बेवसाइट पर अपलोड किया गया है।

1-15 | puk dk vf/kdkj vf/kfu; e

संसद द्वारा 15 जून, 2005 को अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (अधिनियम के 120वें दिवस) को लागू हो गया। केन्द्रीय जल आयोग ने अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अनुपालना में केन्द्रीय जल आयोग से संबंधित सूचना को इसके कार्यालय की बेवसाइट <http://cwc.gov.in> के जरिए सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखा है।

2008-09 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना हेतु 131 अनुरोध प्राप्त हुए थे। जबकि 124 मामलों से संबंधित सूचना समयबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई है, शेष के लिए, यह प्रक्रियाधीन है। अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर अन्यर्थियों को सूचना उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

v/; k; &2
ty | d̥ k/ku fodkl

2-1 Hkkj r eaty | d̥ k/ku

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश के जल संसाधनों का आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश की जल संसाधन क्षमता जो नदियों में प्राकृतिक अपवाह के रूप में पाई जाती है, लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है। यह विश्व के कुल नदी प्रवाह के 4 प्रतिशत से ज्यादा है। तथापि, स्थलाकृति की विभिन्न बाधाओं तथा स्थान व समय के असमान वितरण की वजह से यह अनुमान लगाया गया है कि कुल वार्षिक जल क्षमता का लगभग 1123 बिलियन घन मीटर से ही लाभदायी उपयोग लिया जा सकता है। इसे उपयोज्य सतही जल के माध्यम से 690 बिलियन घन मीटर तथा भू-जल के माध्यम से 433 बिलियन घन मीटर प्राप्त किया जा सकता है।

यद्यपि पेयजल प्रयोजन हेतु जल को जल उपयोग में उच्च प्राथमिकता दी गई है, तथापि सिंचाई, जल का प्रमुख उपभोक्ता है। मूलभूत सिंचाई क्षमता, जिसे वृहत्, मध्यम तथा लघु परियोजनाओं के जरिए उपयोग योग्य सतही जल संसाधनों का उपयोग करके सृजित किया जा सकता है, लगभग 75.9 मिलियन हैक्टेयर होगी। भूजल के उपयोग में आने वाली सिंचाई क्षमता अब 64 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। इस प्रकार सतही और भू-जल संसाधनों से कुल सिंचाई क्षमता 139.9 मिलियन हैक्टेयर होगी। इसके अलावा, इसमें अधिशेष से कमी वाले बेसिनों में सुदूर अंतर-बेसिन अंतरण द्वारा लगभग 35 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकती है। प्रमुख नदी बेसिनों में जल संसाधन क्षमता को केन्द्रीय जल आयोग प्रकाशन – जल और संबद्ध सूचना जनवरी, 2005 संबंधी पुस्तिका में दिया गया है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर समाज की वर्तमान तथा भावी जल तथा खाद्यान्नों की आवश्यकताओं को सही ढंग से पूरा करने के लिए, सरकार द्वारा जल संसाधन से सम्बद्ध मामलों के लिए निम्नलिखित अभिवृद्धि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :–

- जल उपयोग क्षमता में सुधार करना,
- कमान क्षेत्र विकास तथा सहभागी सिंचाई प्रबंध,
- बाढ़ प्रबंधन तथा अपरदन नियंत्रण,
- तटीय अपरदन का संरक्षण,
- बांध सुरक्षा तथा पुनर्वास,
- विद्यमान जल निकायों का पुनःस्थापन एवं पुनःरुद्धार,
- भू-जल का उपयुक्त विनियमन एवं प्रबंध,
- भू-जल का पुनःभरण,
- दक्षिणी नदियों से बुरु होने वाली नदियों के अन्तः संयोजन संपर्क हेतु कार्यसूची पर कार्रवाई करना,
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा सफाई।

केन्द्रीय जल आयोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन दबाव/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दे रहा है।

2-2 ty | d̥ k/ku {ks= dh iedlk fo'kškrk, a

चूंकि समूचे देश में वर्षा की असमानता सुपरिचित है, इसलिए विभिन्न योजना अवधियों में सिंचित कृषि के लिए जल संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिता दी गई है। विद्यमान प्रणालियों के समेकन के साथ-साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने की प्रमुख कार्य नीति रही है।

वृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास के माध्यम से सिंचाई सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

2-2-1 fl pkbz {kerk % ogn~rFkk e/; e fl pkbz {ks=

देश की मूलभूत सिंचाई क्षमता अनुमानतः 139.9 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है, जिसमें से वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त सिंचाई क्षमता 58.47 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। वृहद्, तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता जो 1951 में 9.7 मिलियन हैक्टेयर थी, दसवीं योजना (अनुमानित) के अंत तक बढ़कर 42.277 मिलियन हैक्टेयर हो गई है। ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य वृहद् एवं मध्यम सिंचाई के क्षेत्र में 9 मिलियन हैक्टेयर तक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना है। कमबद्ध योजना अवधियों में सृजित क्षमता के संचयी आंकड़े चित्र 2.1 में दिये गये हैं।

चित्र 2.1 :- योजना—पूर्व एवं योजना अवधि (संचयी) (वृहद् एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र) के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता में वृद्धि।

2-2-2 ogn rFkk e/; e fl pkbz i fj ; kst uk, a

1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किए जाने के समय, देश में 74 वृहद् तथा 143 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1951 की योजनावधि से लेकर 2007 की दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है: 368 वृहद्, 1087 मध्यम तथा 215 विस्तार/ नवीकरण/आधुनिकीकरण स्कीमें जिसमें से दसवीं योजना के अंत तक 186 वृहद्, 814 मध्यम और 117 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा कर लिए जाने की आशा है जिसका व्यौरा तालिका 2.1 में दिया गया है। दसवीं योजना के अंत तक सृजित संचयी सिंचाई क्षमता 42.277 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान है तथा ग्यारहवीं योजना हेतु लक्ष्य 9 मि.है. रखा गया है। नौवीं योजना के अंत तक वृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सृजित राज्यवार संचयी क्षमता तथा दसवीं योजना तक सम्भावित संचयी उपलब्धता तालिका 2.2 में दी गई है। वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता का विकास तथा विभिन्न योजना अवधियों में तदनुरूपी परिव्यय/व्यय तालिका 2.3 में दिया गया है।

rkfydk 2-1

nl oha ; kst uk rd 'kq dh xbz rFkk i wkl dh xbz ogn] e/; e vkj
foLrkj @uohdj .k@vk/kfudhdj .k i fj ; kst ukvka dh | a ; k

oxl	'kq dh xbz i fj ; kst ukvka dh a ; k	i wkl gkus okyh tikkfor i fj ; kst ukvka dh a ; k	X; kj goha ; kst uk rd ys t kbz xbA
	; kst uk&i wkl ; kst uk dly ; kst uk&i wkl ; kst uk dly		
वृहत	74	368	442
मध्यम	143	1087	1230
विस्तार/ नवीकरण/ आधुनिकीकरण	—	215	215
कुल	217	1670	1887
Lkk% X; kj goha i po"kh ; kst uk ds fy, ty a ku ckh dk; bkh ny dh fj i kvz (2007-12)			

rkfydk 2-2

o`gn~ , o`e/; e fl pkbz {ks= ds ek/; e l s fl pkbz {kerk dk jkT; okj l `tu
l gtkj gDV\$ j e/

de l [; k	jkT;	eyHir fl pkbz {kerk	ukbhā ; kstuk 1/1997&2002½ rd l ftr {kerk	nl oha ; kstuk nkku ds l ftr {kerk	nl oha ; kstuk rd l ftr {kerk
1.	आंध्रप्रदेश	5000.00	3303.22	439.44	3742.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	1.2	1.20
3.	असम	970.00	243.92	68.98	312.90
4.	बिहार	5223.50	2680.00	279	2959.00
5.	झारखण्ड	1276.50	354.47	249.5	603.97
6.	गोवा	62.00	21.17	16.48	37.65
7.	गुजरात	3000.00	1430.37	788.13	2218.50
8.	हरियाणा	3000.00	2099.49	91.87	2191.36
9.	हिमाचल प्रदेश	50.00	13.35	2.1	15.45
10.	जम्मू—कश्मीर	250.00	179.69	23.61	203.30
11.	कर्नाटक	2500.00	2121.12	6.63	2127.75
12.	केरल	1000.00	609.49	480.98	1090.47
13.	मध्यप्रदेश	4853.07	1386.90	65	1451.90
14..	छत्तीसगढ़	1146.93	922.50	888.18	1810.68
15.	महाराष्ट्र	4100.00	3239.00	255.15	3494.15
16.	मणिपुर	135.00	91.15	11.9	103.05
17.	मेघालय	20.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	10.00	0.00	1.00	1.00
20.	उड़ीसा	3600.00	1826.56	163.41	1989.97
21.	पंजाब	3000.00	2542.48	62.19	2604.67
22.	राजस्थान	2750.00	2482.15	408.2	2890.35
23.	सिक्किम	20.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडू	1500.00	1549.31	11.75	1561.06
25.	त्रिपुरा	100.00	4.90	13.8	18.70
26.	उत्तर प्रदेश	12154.00	7910.09	871.26	8781.35
27.	उत्तराखण्ड	346.00	280.30	9.35	289.65
28.	पश्चिम बंगाल	2300.00	1683.29	86.52	1769.81
29.	संघ शासित प्रदेश	98.00	6.51	0	6.51
	dy 1/jkT; +I 2k 'kkfI r i ns k½	58465-00*	36981-43	5295-63	42277-06

| कर % XI पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए जल संसाधन पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट

rkfydk 2-3
 fl pkbz {kerk ds l tu e; kstuk&okj i fjo; ; vkg l p; h fodkl
 %ogn~, oa e/; e i f; kstuk, %

vof/k	i fjo; ; @ o; ; (djkM+ : lk; s e%	l p; h o; ; (djkM+ : lk; s e%	l ftr {kerk (fefy; u gDV\$ j e%	mi ; kx dh xbz {kerk %efy; u gDV\$ j e%	
				ds nk\$ku	l p; h
योजना—पूर्व अवधि				9.70	9.70
प्रथम योजना (1951–56)	376	376	2.50	12.20	10.98
दूसरी योजना (1956–61)	380	756	2.13	14.33	13.05
तीसरी योजना (1961–66)	576	1332	2.24	16.57	15.77
वार्षिक योजना (1966–69)	430	1762	1.53	18.10	16.75
चौथी योजना (1969–74)	1242	3004	2.60	20.70	18.39
पांचवीं योजना (1974–78)	2516	5521	4.02	24.72	21.16
वार्षिक योजना (1978–80)	2079	7599	1.89	26.61	22.62
छठी योजना (1980–85)	7369	14968	1.09	27.70	23.57
सातवीं योजना (1985–90)	11107	26075	2.22	29.92	25.47
वार्षिक योजना (1990–92)	5459	31534	0.82	30.74	26.31
आठवीं योजना (1992–97)	21072	52606	2.21	32.95	28.44
नौवीं योजना (1997–2002)	49289	101895	4.03	36.98	31.01
दसवीं योजना (2002–2007)*	71213	173108	5.30	42.28	34.42


- अनन्तिम

l ksr % X; kj goh i po"kh; ; kstuk ds fy, ty l d k/ku l c/kh dk; bkh ny dh fj i kVz (2007-12)

योजना तथा योजना—पूर्व अवधि के दौरान शुरू की गई तथा पूर्ण की गई वृहत्, मध्यम एवं विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं की संख्या क्रमशः चित्र 2.2, 2.3 एवं 2.4 में दर्शायी गई है।


fp= 2.2

वृहद सिंचाई परियोजनाएं योजना पूर्व तथा योजना अवधि में शुरू की गई तथा पूर्ण की गई




fp= 2.3

परियोजना की संख्या



uk̥ha ; kstuk ds vr̥ rd ; kstuk i w̥l rFkk ; kstuk vof/k; k̥ ds nk̥ku 'kq dh xbz
 rFkk i w̥l dh xbz foLrkj@uohdj.k@vk/kfudhdj.k i fj ; kstuk, a l p; h
 fp= 2-4



2-2-3 vkfnokl h mi & kstuk ftyks ds vr̥xlr fl pkbz fodkl

सिंचाई निदेशालय में सुदृढ़ीकरण के भाग के रूप में प्रारम्भ में मार्च, 1979 में आदिवासी सेल को स्वीकृति दी गई थी। आदिवासी सेल को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य “अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति” के लाभ के लिए वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं वाले दिए गए सभी राज्यों के संबंध में आदिवासी उप योजना जिलों के क्षेत्रों के सिंचाई विकास पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना है। आदिवासी उप योजना जिलों को लाभ देने वाली सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है।

3-1 ty foKkuh; vkdMk; dk Øec) | xg.k rFkk HkMkj.k

इस समय केन्द्रीय जल आयोग 878 जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क चला रहा है। इन 878 केन्द्रों में से 300 प्रमाणी स्थल, 200 प्रमाणी तथा निस्सारण स्थल, 123 प्रमाणी निस्सारण और जल गुणवत्ता स्थल तथा 32 प्रमाणी निस्सारण तथा गाद स्थल हैं 3 प्रमाणी तथा जल गुणवत्ता, 2 हिम जलविज्ञान पर्यवेक्षण स्थल तथा 218 प्रमाणी निस्सारण, गाद तथा जल गुणवत्ता स्थल हैं। इन स्थलों के बेसिन-वार वितरण का विस्तृत ब्यौरा नीचे सारणी 3.1 में दिया गया है।

rkfydk 3-1 ty foKkuh; lk; bdk.k LFkyk; dh cfl u&okj | q;k

de 10	cfl u dk uke	LFkyk; dh q;k
1	सिन्धु	34
2	गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना/बराक	450
3	सुवर्णरेखा	12
4	ब्राह्मणी-वैतरणी	12
5	महानदी	37
6	गोदावरी	67
7	कृष्णा	56
8	पेन्नार	8
9	कावेरी	34
10	तापी	18
11	नर्मदा	25
12	माही	12
13	साबरमती	13
14	कच्छ, सौराष्ट्र तथा लोनी से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15
15	तापी के दक्षिण से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	55
16	महानदी तथा गोदावरी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	12
17	कृष्णा और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	1
18	पेन्नार तथा कावेरी के मध्य पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां	17
	dky	878

क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा एकत्र किये गये मूल आंकड़ों को उप-मंडल, मंडल तथा परिमंडल स्तर पर संशोधित एवं वैधीकृत किया जाता है और अधिप्रमाणित आंकड़ों को जल वर्ष और जल गुणवत्ता वर्ष पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है, तत्पश्चात् भण्डारण, अद्यतन सुधार आदि के लिए केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को भेजा जाता है। आंकड़ों के संबंध में आयोजना एवं विकास (पी एंड डी) संगठन तथा सूचना प्रणाली संगठन द्वारा केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को आंकड़ों का प्रसार किया जाता है।

आयोजना एवं विकास संगठन गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन से संबंधित जल विज्ञानीय आंकड़ों का कम्प्यूटरीकृत प्रपत्र में रख-रखाव करता है। इन नदी बेसिनों के आंकड़ों का वर्गीकृत स्वरूप होने के कारण इन्हें वर्गीकृत आंकड़ों की निर्मुक्ति के लिए बनाए गए प्रक्रिया तथा

दिशा—निर्देशों के अनुसार, वास्तविक उपभोक्ताओं के अनुरोध करने पर ही उपलब्ध कराया जाता है। जल विज्ञान परियोजना चरण—I के क्रियान्वयन के पश्चात् अब अन्य क्षेत्रों के लिए भी कम्प्यूटरीकृत आंकड़े उपलब्ध हैं। आंकड़ों के प्रयोक्ताओं में केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा जो केन्द्र/राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रणाधीन संस्थान/सोसाइटी तथा आई.आई.टी. तथा अनुसंधान संस्थान/स्कालर शामिल हैं।

जलविज्ञान परियोजना के अंतर्गत, आंकड़ों के भण्डारण हेतु नागपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गांधीनगर और कोयम्बटूर में पांच क्षेत्रीय आंकड़ा केंद्रों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय सतह भण्डारण केंद्र में केंद्रीय जल आयोग के उपर्युक्त क्षेत्रों के आंकड़े संग्रहित किए गए हैं और इस मेटाडॉटा की संयुक्त सारणी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

3.1.1 ty foKku i fj ; kst uk

केन्द्रीय जल आयोग ने विश्व बैंक की सहायता से भारत के 9 प्रायःद्वीपीय राज्यों में फैली जल विज्ञान परियोजना चरण—। को क्रियान्वित किया है जोकि 1966 में शुरू हुई थी। परियोजना के अन्तर्गत 284 स्थलों के लिए जल संसाधनों की दीर्घावधि आयोजना, अभिकल्प एवं प्रबंधन और जल उपयोग प्रणालियों हेतु विश्वसनीय जलविज्ञानीय आंकड़ों को उपलब्ध कराने तथा आंकड़ों के संग्रहण हेतु अवसंरचना में संवर्धन के साथ—साथ संबद्ध पहलुओं में अनुसंधान कार्यकलापों के लिए जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली स्थापित की गई है। जलविज्ञान परियोजना के चरण—1 में राज्य एवं केन्द्रीय अभिकरणों ने सहभागिता की है।

केन्द्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत जल विज्ञानीय और मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों के संबंध में आंकड़ा भंडारण और प्रसारण के लिए सभी सतही और भूजल में भागीदार अभिकरणों के लिए एक सॉफ्टवेयर (विस्डम) विकसित किया है। इसकी सुविधा के लिए विभिन्न डॉटा भंडारण केन्द्रों के मेटा डेटा (आंकड़ों की उपलब्धता संबंधी सूचना) वाले संयोजित कैटेलॉग को बेव (इंडिया—वॉटर कॉम) पर लिया गया है। इस कैटेलॉग में विभिन्न अभिकरणों के पास उपलब्ध डॉटा के प्रकार और इसकी अवधि और बारम्बारता, जिसके लिए इसे उपलब्ध कराया गया है, को डॉटा उपयोग कर्ताओं को सीधे उपलब्ध कराएगा और उपयोगकर्ता डॉटा अनुरोध फाइल खोल सकते हैं। अब तक उत्पादित डॉटा अनुरोध फाइल को सभी संबंधित डॉटा भंडारण केन्द्रों को ई—मेल कर दिया है और ये डॉटा भंडारण केन्द्र उपयोग कर्ता की पात्रता को प्रमाणित करने के पश्चात् इनकी आपूर्ति कर सकते हैं।

जल विज्ञान परियोजना—। के पश्चात्, जल विज्ञान परियोजना—॥ शुरू की गई है। इसमें जल विज्ञान परियोजना—। के पैटर्न पर चार और राज्यों अर्थात् पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पांडिचेरी में जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली की स्थापना और आंकड़ों के उपयोग के लिए मौजूदा नौ राज्यों और आठ केन्द्रीय अभिकरणों में ऊर्ध्वाधर विस्तार की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग की जल विज्ञान परियोजना चरण—2 के प्रस्ताव में दो मुख्य घटक शामिल हैं — संस्थागत सुदृढीकरण और ऊर्ध्वाधर विस्तार। संस्थागत सुदृढीकरण के तहत आंकड़ा प्रसारण तथा जानकारी का आदान—प्रदान तथा संभार तंत्र आदि द्वारा जलविज्ञान परियोजना—। के समेकन का प्रस्ताव है। ऊर्ध्वाधर विस्तार घटक के तहत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परिकल्पित प्रमुख क्रियाकलाप पद्धति विज्ञान/प्रोटोकॉल के मानकीकरण सहित जलविज्ञानीय अभिकल्प सहायक साफ्टवेयर का विकास है।

प्रस्ताव की अनुमानित लागत 2962.98 लाख रुपए हैं।

I | lFkxr | n<#djk

इस घटक के अन्तर्गत अपेक्षित हार्डवेयर/साफ्टवेयर के प्रशिक्षण, उन्नयन/पुनःस्थापन, वेवसाइट के अनुरक्षण, आंकड़ों के प्रचार-प्रसार, जानकारी के आदान-प्रदान, कार्यशाला/सेमिनार/अध्ययन दौरों आदि के माध्यम से क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के रूप में जल विज्ञान-। के अन्तर्गत किए गए लाभों को समेकित करने का प्रस्ताव है।

आंकड़ों के संसाधन, संगठन और प्रबंधन के क्षेत्र में संगणक क्षमताओं को बढ़ाने तथा देश में साफ्टवेयर को विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि ए.एम.सी. से संबद्ध समस्याओं को दूर किया जा सके। अतिरिक्त डाटा अर्थात् जल उपयोग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि को समेकित करने के लिए डाटा भण्डारण केन्द्र साफ्टवेयर का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे परियोजना के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर विस्तार घटक के अन्तर्गत सभी सहभागी अभिकरणों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करेगी। राष्ट्रीय जल अकादमी में अतिरिक्त अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रावधान किया गया है।

II Å/ok/kj foLrkj

ty foKku; vfHkdYi | gk; d | k/kuk dk fodkl

विभिन्न राज्य अभिकरणों द्वारा विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के निरूपण में जलविज्ञानीय विश्लेषण एकसमान नहीं हैं और आज भी इनमें से कुछ परियोजनाओं को आनुभाविक सूत्रों का उपयोग करके निरूपित किया जा रहा है, जोकि अब उपयोग में नहीं हैं। जलविज्ञानीय विश्लेषण विभिन्न आंकड़ा परिदृश्यों के अन्तर्गत विभिन्न विकल्पों के उपयोग में सीमित रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है। जल विज्ञान-॥। के अन्तर्गत युक्तिमूलक अभिकल्प एवं विश्लेषण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यंत्रों का विकास करने तथा पूर्ण जल प्रणाली के जल विज्ञान के अध्ययन सहित एकीकृत जल संसाधन विश्लेषण करने का प्रस्ताव है।

परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप प्रस्तावित हैं:-

- जलविज्ञानीय विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन हेतु व्यापक साफ्टवेयर
- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण आदान के रूप में जल विज्ञान विश्लेषण की मानक पद्धतियों का विकास
- हिम जलविज्ञान में बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास
- गैर-प्रमाणी स्वरण क्षेत्रों के लिए अभिकल्प सहायक साधन
- कृषि अपवाह स्कीमों के लिए अभिकल्प सहायक साधन

ty foKku i f; kst uk&AA dh fLFkfr

यह परियोजना अक्टूबर, 2005 में आर्थिक मामलों की मंत्रीमण्डलीय समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी तथा भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच परियोजना संबंधी समझौते पर 19 जनवरी, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। केन्द्रीय जल आयोग की प्रमुख गतिविधियों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

- जल विज्ञान अभिकल्प सहायक साधनों (सतही जल) के विकास संबंधी टी.ओ.आर. तथा ई.ओ.आई. को मार्च, 2008 में समाचार पत्रों में तथा यू.एन.डी.बी पर आनंदाइन प्रकाशित किया

गया। विभिन्न अभिकरणों/फर्मों से प्राप्त ई.ओ.आई. प्रस्ताव दिनांक 28.03.2008 को खोले गए।

- प्राप्त हुए निविदा प्रस्तावों के आधार पर जलविज्ञानीय अभिकल्प सहायक सामग्री के विकास हेतु परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए फर्मों को सूचीबद्ध कर लिया गया और उन्हें 15.07.2008 को आरएफपी दस्तावेज जारी कर दिया गया। फर्मों से प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों की 'तकनीकी प्रस्तावों की जांच संबंधी समिति' द्वारा जांच की गई और इस समिति ने पुनरीक्षण हेतु अपनी रिपोर्ट 17.12.2008 को जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी। विश्व बैंक से 'अनापत्ति प्रमाण—पत्र' प्राप्त हो गया है और 19 मार्च, 2009 को वित्तीय प्रस्तावों को खोला गया। संयुक्त जांच पूरी हो चुकी है। ड्राफ्ट संविदा समझौते के आधार पर विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त की गई। जल संसाधन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्रक्रियाधीन है। अक्टूबर, 2009 के दौरान संविदा पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
- राष्ट्रीय जल अकादमी में कार्यों हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन 22.08.2008 को संप्रेषित कर दिया गया। निर्माण कार्यों का निष्पादन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्व बैंक से स्वीकृति हेतु मसौदा बोली दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। विश्व बैंक से स्वीकृति के पश्चात सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाएंगी।

3-2 *ck<+ i wklupku , o| psrkouh | ok, a*

तकनीकी आर्थिक कारणों से हमारे देश में जहां कही भी बाढ़ प्रबंध उपाय नियोजित एवं निष्पादित किए जाते हैं, वे केवल कुछ सीमा तक की बाढ़ के लिए होते हैं, जबकि अत्यधिक मात्रा वाली बाढ़ें तबाही मचा देती हैं। तदनुसार, प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों के समानान्तर बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली तैयार की गई हैं, जो आगमिक बाढ़ों की अग्रिम जानकारी बाढ़ की क्षति को कम करने तथा बचाव/राहत उपायों की बेहतर आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाढ़ पूर्वानुमान फ्लडकुशन के साथ अथवा उसके बिना जलाषयों (बहुउद्देश्यीय) के इष्टतम विनियमन में भी सहायता प्रदान करता है।

भारत में वैज्ञानिक तरीके से बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलापों का प्रारम्भ 1958 में हुआ जब भूतपूर्व केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना में आने वाली बाढ़ों के बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान एकक की स्थापना की थी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस सेवा का विस्तार अब तक भारत के लगभग सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण अन्तर्राजीय नदी बेसिनों को षामिल करने के लिए किया जा चुका है। इस समय 175 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र हैं इनमें से 147 स्तरीय पूर्वानुमान केन्द्र तथा 28 अंतर्वाह पूर्वानुमान केन्द्र वृहत बांधों/बराजों पर हैं। यह 15 राज्यों, क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक संघ शासित केन्द्र दादरा नगर हवेली तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्रों में फैले 71 नदी उप बेसिनों सहित देश में 9 वृहद नदी प्रणालियों को कवर करती है।

औसतन केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ मौसम के दौरान प्रति वर्ष लगभग 6000 पूर्वानुमान जारी कर रहा है। सामान्यतया ये पूर्वानुमान नदी क्षेत्र, बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों और बेस केन्द्रों के आधार पर 12 से 48 घंटे पहले जारी किए जाते हैं। बाढ़ पूर्वानुमान के उद्देश्य से 878 गॉज और निस्सरण स्थलों पर जल वैज्ञानिक ऑकड़े और 500 वर्षा गॉज—स्थलों पर जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़े रखे जा रहे हैं, जिन्हें लगभग 550 वॉयरलैस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए संप्रेषित किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक विभाग के बाढ़ प्रबंध कार्यालयों से मौसम की संक्षिप्त जानकारी मौसम पूर्वानुमान/भारी वर्षा चेतावनी आदि भी एकत्र की जा रही है। (आई.एम.डी. के बाढ़ मौसम विज्ञानी कार्यालय)

3-2-1 2008 e~~ck~~+ i~~ok~~~~ek~~ fu"~~i~~ knu

बाढ़ मौसम 2008 (मई से अक्तूबर) के दौरान 6675 बाढ़ पूर्वानुमान (5656 स्तरीय पूर्वानुमान तथा 1019 अंतर्वाह पूर्वानुमान) जारी किए गए, जिसमें से 6529 (97.81 प्रतिशत) पूर्वानुमान परिशुद्धता की सीमा के भीतर थे। बाढ़ के मौसम में 250 केन्द्रों से अधिक के रियल टाइम प्रतिघंटा आंकड़े (बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र तथा कुछ वैसे स्टेशन) वेब द्वारा एकत्रित, समेकित, विश्लेषित किए गए तथा क्षेत्रों की बाढ़ रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयोग किए गए।

2008 के बाढ़ के मौसम में (मई से अक्तूबर) 147 स्तरीय पूर्वानुमान केन्द्रों में से 5 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों नामशः राजघाट पर सुवण्णरिखा, उड़ीसा (एक बार फिर 2007 के एचएफएल के पश्चात), पुथीमरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग रोड क्रॉसिंग, महानदी की शाखा देवी (डेल्टा) पर अलीपिंजाल, अयोध्या में घाघरा (उत्तर प्रदेश) में एलगिन पुल और (एक बार फिर 2007 के एचएफएल के पश्चात) पर अभूतपूर्वक स्थिति देखी गई (जहां बाढ़ के मौसम में उच्चतम बाढ़ स्तर प्राप्त हुआ तथा पहले के एचएफएल. से अधिक हो गया)।

भारत—नेपाल सीमा के निकट, कोसी में दरार के कारण, बसुआ—बलतारा की ओर से आने की अपेक्षा बाढ़ का जल कुरसेला की ओर मुड़ गया। तुलनात्मक रूप से, महानदी बेसिन में हीराकुंड बांध के अनुप्रवाह में तेल जैसी सहायक नदियों के कारण भारी बाढ़ देखने को मिली। गंगा में भी, चार वर्षों के अंतराल के पश्चात, प्रतिप्रवाह में इसके यमुना के साथ संगम में 'भारी बाढ़' देखने को मिली।

2008 के बाढ़ मौसम के दौरान, बाढ़ पूर्वानुमान की दृष्टि से 28 अंतर्वाह पूर्वानुमान केन्द्रों समेत सभी 175 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र प्रचालन में थे। इनमें से 5 अंतर्वाह पूर्वानुमान केन्द्रों समेत 36 केंद्र (20.5 प्रतिशत) स्थलों में पूर्वानुमान जारी करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि ये निम्नतम मानदंड से अधिक सीमा में नहीं थे। समग्र रूप से 116 केन्द्रों पर 5656 स्तरीय पूर्वानुमान जारी किए गए जिनमें से 5528 (97.74 प्रतिशत) सही थे। इसी प्रकार, जारी किए गए 1019 अंतर्वाह पूर्वानुमानों में से 23 केन्द्रों पर 1001 (97.81 प्रतिशत) पूर्वानुमान परिशुद्धता की अनुमत्य सीमा में थे। पूर्वानुमान जारी करने वाले 139 केन्द्रों में से, 81 केन्द्रों (58.27 प्रतिशत) ने अनुमत्य सीमा में 100 प्रतिशत परिशुद्धता प्राप्त की। इनमें से 66 स्तरीय पूर्वानुमान केंद्र तथा 15 अंतर्वाह पूर्वानुमान केंद्र थे।

इसके साथ ही पूर्वानुमानों के प्रबोधन के अतिरिक्त कुछ बेसिनों (उनमें से अधिकांश बेस केन्द्र हैं) में 200 केन्द्रों के प्रति घंटा स्तरीय आंकड़ों का प्रबोधन, संग्रहण और विश्लेषण किया गया था और प्रमुख नदियों, अर्थात् गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र गंगा आदि की बाढ़ की स्थिति का लम्बी दूरी के पूर्वानुमान (सलाहकार स्वरूप के) का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया गया। इसे वेबयुक्त साफ्टवेयर द्वारा प्राप्त किया गया जो नई दिल्ली में केन्द्रीय जल आयोग, एफएफएम निदेशालय के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ प्रत्येक मंडलीय आंकड़ा केन्द्र के साथ जुड़ा है। अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न उपभोक्ता एजेंसियों के अलावा वास्तविक समय आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (गृह मंत्रालय) को भेजी गई थी।

3-2-2 ck<+c~~yf~~Vu

केन्द्रीय जल आयोग प्रभावित राज्य सरकारों तथा अपने अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर बाढ़ मौसम के दौरान दैनिक बाढ़ बुलेटिन तथा विशेष बाढ़ बुलेटिन जारी कर रहा है। वर्ष 2008 के दौरान कुल 93 विशेष बुलेटिन (अभूतपूर्व 52 तथा उच्च बाढ़ स्थिति—41) जारी किए गए जोकि अधिकांशतः 3 घंटा आधार पर थे। इसके, अतिरिक्त 154 सामान्य बुलेटिन जारी किए गए जिसमें दोनों स्तर तथा अंतर्प्रवाह पूर्वानुमान सूचना शामिल है।

जारी किए गए बाढ़ पूर्वानुमान की संख्या। सही पूर्वानुमानों की संख्या।

चित्र 3.1 बाढ़ पूर्वानुमान निष्पादन (1997–2008)

3-2-3 *ck<+ i \oklueku | \okvka dk v\k\kfudhdj .k*

केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने में निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि इसे अधिक यर्थात्, प्रभावी और समय परक बनाया जा सके। बाढ़ पूर्वानुमान कई चरणों पर किया जाता है अर्थात् आंकड़ा पर्यवेक्षण, संग्रहण, संचारण, संकलन और विश्लेषण पूर्वानुमानों का निरूपण और उनका प्रचार–प्रसार। बाढ़ पूर्वानुमान को अधिक सटीक, प्रभावी तथा समयबद्ध बनाने के लिए आधुनिकीकरण क्रियाकलाप सतत आधार पर किए जा रहे हैं।

नौवीं योजना के दौरान, महानदी एवं चंबल बेसिनों में पूर्वानुमानों की गुणवत्ता एवं शुद्धता के संवर्धन की दृष्टि से (i) स्वचालित आंकड़ा संग्रहण एवं संचरण (ii) वी–सैट द्वारा सैटेलाइट आधारित संप्रेषण प्रणाली का उपयोग (iii) कम्प्यूटर आधारित आवाह मॉडलों का प्रयोग करते हुए पूर्वानुमान तैयारी तकनीकों में सुधार के माध्यम से अंतर्वाह पूर्वानुमान सेवाओं का आधुनिकीकरण शुरू किया गया। यह योजना विभिन्न बांध स्थलों एवं बाढ़ प्रवण शहरों को बांध और साथ ही संपत्ति एवं पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जलाशय विनियमन हेतु अग्रिम उपाय करने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। 10वीं योजना के दौरान, इस योजना को ब्रह्मपुत्र, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी, यमुना और महानदी नदी बेसिनों तक बढ़ाया गया। विभिन्न नदियों में अतिरिक्त 168 टेलीमीटरी केंद्र निम्नानुसार हैं:

गोदावरी बेसिन	63 केंद्र
कृष्णा बेसिन	41 केंद्र
ब्रह्मपुत्र बेसिन	14 केंद्र
दामोदर बेसिन	20 केंद्र
यमुना बेसिन	15 केंद्र
महानदी बेसिन	8 केंद्र

वर्ष 2008–09 के अंत तक, 162 केंद्र (उपर्युक्त 168 में से) तथा 11 मॉडलिंग केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। XIवीं योजना के दौरान, 235 अतिरिक्त टेलीमीटरी केंद्रों को निम्नलिखित नदी बेसिनों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है:

सिंधु बेसिन	13 केंद्र
नर्मदा एवं तापी बेसिन	70 केंद्र
ब्रह्मपुत्र बेसिन	14 केंद्र
निचली गंगा बेसिन	18 केंद्र
ऊपरी गंगा बेसिन	45 केंद्र
यमुना बेसिन	25 केंद्र
प्रबोधन मध्य	4 केंद्र

डिब्रूगढ़ (असम), नई दिल्ली (ऊपरी यमुना मंडल), आगरा, हैदराबाद (निचली कृष्णा मंडल), हैदराबाद (निचली गोदावरी मंडल), करनूल, भద्राचलम, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, आसनसोल तथा मैथन में दसवीं योजना में हाथ में लिए गए 11 मॉडलिंग केंद्रों का कार्य भी प्रगति पर है। जहां वी.एस.ए.टी.

द्वारा जयपुर (राजस्थान) तथा बुर्ला (उड़ीसा) स्थित वर्तमान अर्थ केन्द्रों से प्रतिघंटा आंकड़ा संचारित किया जाएगा।

पिछले दो दशकों में केन्द्रीय जल आयोग में पूर्वानुमान के लिए कम्प्यूटरीकृत गणितीय मॉडलों का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। पांच इस प्रकार के जल विज्ञानीय मॉडल जैसे कि एसएसएआरआर, एचईसीआईडी, एनआईसी, एनएएम-सिस्टम 11 (माइक-11) और सीडब्ल्यूसीएफएल, यू.एन.डी.पी. तथा केन्द्रीय जल आयोग—डी.एच.आई स्कीमों के तहत प्राप्त किए गए। हाल में, विश्व बैंक सहायता प्राप्त डीएसएआरपी स्कीम के तहत विंडो आधारित माइक-11 मॉडल साफ्टवेयर खरीदा गया है।

गृह मंत्रालय की यू.एस.ए.आई.डी. के तहत सहायता प्राप्त आपदा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत जलवायु पूर्वानुमान, बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी निर्णय समर्थन प्रणाली और महानदी बेसिन का आप्लावन पूर्वानुमान मॉडल के विकास संबंधी कार्य तथा सतलुज बेसिन के लिए ताजा बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

3-3 *cl<+fLFkfr v\kdyu v\kj cl<+{kfr*

केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों एवं राज्य प्राधिकारियों से बाढ़ से क्षति संबंधी आंकड़े एकत्र और समेकित किए गए। विगत 10 वर्षों में बाढ़ से हुए क्षति संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

rkfydk 3-1
विगत 10 वर्षों के दौरान बाढ़ से हुई क्षति

<i>o"kl</i>	<i>i Hkkfor {ks=</i> <i>\fefy; u gDV; j e\k</i>	<i>i Hkkfor tul \k; k</i> <i>\fefy; u e\k</i>	<i>dy {kfr</i> <i>\djkM+ : lk; s e\k</i>
1998	10.845	47.435	8860.721
1999	7.765	27.993	3612.760
2000	5.382	45.013	8864.544
2001	6.175	26.463	7109.416
2002	7.090	26.323	2574.543
2003	6.503	34.466	4434.354
2004	8.031	34.215	3336.591
2005	3.376	29.684	2822.155
2006	0.437	28.015	662.095
2007	3.549	41.462	3939.898
2008	लागू नहीं	19.221	2214.405

3-4 बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1980 की अपनी रिपोर्ट में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 329 मिलियन हैक्टेयर में से 40 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है जिसमें से 32 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण योग्य निर्धारित किया गया है। मार्च, 2006 तक लगभग 18.22 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को उपयुक्त स्तर तक सुरक्षा प्रदान की गई। यह सुरक्षा तटबंधों के निर्माण (33928.642 कि0मी0), जल निकास चैनल (38809.857 कि0मी0), नगर बचाव कार्य (2458) और गाँवों (4716) के स्तर को ऊंचा उठाकर प्रदान की गई है।

3-5 बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र

भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, नदी प्रबंधन, जल निकास विकास, बाढ़ प्रूफिंग और समुद्र कटावरोधी कार्यों को प्रारंभ करने के लिए XI योजना के दौरान राज्यों को 8000 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय योजना के तहत “बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम” एक राज्य क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की है। केंद्रीय वित्तपोषण के लिए स्कीमों का निर्धारण गंभीर आपातकालिक स्थिति और भारत सरकार के पास निधि की उपलब्धता के आधार पर सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत कार्यों का निष्पादन सामान्यतः राज्य सरकार के बाढ़ नियंत्रण/सिंचाई विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अपवादिक मामलों में तथा आकस्मिक मामलों के कार्य को भी केंद्रीय संगठनों/उपक्रमों को सौंपा जा सकता है। इस स्कीम की मानीटरिंग केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में की जाएगी।

गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों की स्कीमों का मूल्यांकन और जल निकास विकास और समुद्र कटावरोधी संबंधी सभी स्कीमों का मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है। “बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम” के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रस्ताव तथा गंगा बेसिन राज्यों के साथ—साथ समुद्र कटावरोधी कार्यों के लिए सभी राज्यों के प्रस्तावों पर निधि की निर्मुक्ति के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा कार्यवाही और समन्वय किया जाता है। उपर्युक्त योजना स्कीमों के तहत X योजना में अनुमोदित जम्मू व कश्मीर के आगे लाए गए कार्यों; जम्मू व कश्मीर के 22 नए कार्यों तथा उड़ीसा के 102 नए कार्यों की कार्यवाही, केंद्रीय जल आयोग में की गई थी। गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	जरी की गई केंद्रीय सहायता		
				2007–08	2008–09	कुल
1.	गोवा	2	31.59	0.00	1.82	1.82
2.	जम्मू एवं कश्मीर					
	स्पील ओवर कार्य	4	30.08	6.36	2.71	9.07
	नए कार्य	16	171.91	0.00	12.80	12.80
	कुल	20	201.99	6.36	15.51	21.87
3.	उड़ीसा	72	170.41	0.00	45.90	45.90
4.	पंजाब	2	129.72	0.00	21.50	21.50
	कुल	96	533.71	6.36	84.73	91.09

केंद्रीय जल आयोग में तकनीकी जाँच के तहत निम्नलिखित बाढ़ प्रबंधन स्कीमें थीं।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	स्कीमों की संख्या
1.	गोवा	1132.40	19
2.	जम्मू एवं कश्मीर	12.77	1
3.	पंजाब	498.063	29

3-6 rduhdi fo'kskk ny ॥hbtth॥

जल संसाधन मंत्रालय ने दिनांक 8 सितम्बर, 2007 के अपने आदेश के तहत “बाढ़ नियंत्रण और इसके प्रभावों को कम करने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना” तैयार करने के लिए सदस्य (नदी प्रबंध), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ दल (टीईजी) गठित किया है। इस दल में विभिन्न केंद्रीय संगठनों के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न बाढ़ प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस दल ने राज्यों की बाढ़ समस्या पर विचार-विमर्श करने और बाढ़ नियंत्रण और उसके प्रभावों को कम करने के लिए प्रारंभ किए गए/प्रस्तावित उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में तीन बार बैठकें आयोजित की हैं। दिनांक 29.01.2008 को आयोजित दल की तीसरी बैठक के दौरान दल के सदस्यों को प्रथम मसौदा रिपोर्ट परिचालित की गई थी। तीसरी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के आधार पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए अपेक्षित सूचना भेजने हेतु विभिन्न राज्यों से अनुरोध किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञ दल की नई दिल्ली में तीन बैठकें आयोजित की गई हैं।

3-7 Ck<+{ks= oxhdj.k

वर्ष 1975 से विभिन्न राष्ट्रीय मंच पर बाढ़ क्षेत्रीकरण संबंधी कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ क्षेत्रीकरण के लिए एक मॉडल बिल तैयार किया गया और राज्यों द्वारा कानून बनाने के लिए वर्ष 1975 में सभी राज्यों को परिचालित किया गया था।

केंद्रीय जल आयोग बाढ़ क्षेत्रीकरण संबंधी टूट्सिकोण को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु राज्यों पर निरंतर दबाव डाल रहा है। इस प्रयास में सुविधा के लिए केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला पैम्फ़लेट तैयार किया है और इसे सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया है। मणिपुर ने वर्ष 1978 में बाढ़ क्षेत्रीकरण संबंधी कानून बनाया था, परंतु अभी तक बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन नहीं किया है। राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य में कानून बनाया है, परंतु इसे अभी तक लागू नहीं किया है। उत्तर-प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने कानून बनाने संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अन्य राज्यों ने कानून बनाने के संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की है।

वर्ष 1978 में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, असम और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के लिए 1:15,000 के पैमाने पर 0.5 मीटर सम्मोच्च अंतराल के बाढ़ प्रवण क्षेत्र मानचित्रों को तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य में मुख्यतः मौजूदा 0.5 मीटर की सम्मोच्च रेखा अंतराल में बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण मानचित्रों को अद्यतन और डिजिटल बनाने की योजना है। ये मानचित्र 5 स्तरों अर्थात् सम्मोच्च रेखा, जल निकाय (नदी/तालाब) संचार, मौजूदा बाढ़ नियंत्रण कार्यों अर्थात् तटबंध, कटावरोधी कार्यों आदि का प्ररोहण इस कार्य के लिए क्रमशः असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब एवं जम्मू एवं कश्मीर को प्राथमिकता दी जाएगी। डिजिटल मानचित्र तैयार करने के लिए जीआईएस को प्रस्ताव भेजा गया है और इसको पूरा करने के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के परामर्श के बाद, मार्च, 2006 में इस कार्य को भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस कार्य की कुल लागत 179.00 लाख रुपए है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य का मद	राशि (लाख रुपए में)
1.	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के 54,740 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में मौजूदा 800 बाढ़ क्षेत्र वर्गीकरण का उन्नयन	91.00
2.	11,000/- रु० प्रति मानचित्र की दर से उपर्युक्त 800 मानचित्रों का उन्नयन	88.00
	कुल	179.00

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने असम राज्य के 33 तथा उत्तर प्रदेश के 22 मानचित्र तैयार किए हैं और कार्य प्रगति पर है।

3-8 unlī vldfr foKku

हमारे देश के लिए नदी आकृति विज्ञान अध्ययन और उपर्युक्त नदी नियंत्रण कार्यों का समुचित क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्रारंभ किए गए मौजूदा बाढ़ नियंत्रण उपायों के बावजूद जान-माल की भारी क्षति होती है। इस प्रकार की समस्याएं मुख्यतः अनुप्रवाह खंडों में भारी मात्रा में साद/अवसाद के लाने और जमा होने के कारण बढ़ती ही जा रही हैं। बाढ़ से उत्पन्न समस्या के निवारण के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करने हेतु नदी के विशेष प्रकृति के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

दसवीं योजना में 6 नदियों का नदी आकृति अध्ययन प्रस्तावित था जिसमें से चार नदियों अर्थात् कोसी, घाघरा, सतलज और गंडक नदियों का कार्य प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की द्वारा कोसी, घाघरा और सतलज नदियों के संबंध में मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं और केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे द्वारा गंडक नदी के लिए अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इन चारों नदियों की रिपोर्टों को ग्यारहवीं योजना में अंतिम रूप दिया जाएगा।

बहु-विषयी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जून, 2006 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत की हिमालयी नदियों के नदी आकृतिक अध्ययन संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सदस्य जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, केंद्रीय विद्युत अनुसंधानशाला, रुड़की, एनआरएसए, हैदराबाद, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद, जीएसआई, आईडब्ल्यूएआई, जल संसाधन/सिंचाई विभागों और संबंधित बेसिनों के राज्य सरकार के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्रों से हैं। सदस्य (नदी प्रबंध) इस समिति के अध्यक्ष हैं और निदेशक (आकृति विज्ञान) इसके सदस्य-सचिव हैं। स्थायी समिति की पहली बैठक 11 दिसम्बर, 2006 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आकृति विज्ञानीय अध्ययन के लिए और नदियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। स्थायी समिति ने नदी आकृति विज्ञानीय रिपोर्ट (अप्रैल, 1911) तैयार करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर रही है तथा अद्यतन इसमें भी कर रही है। इसकी समीक्षा की गई और अद्यतन किया गया तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा नदी आकृति विज्ञानीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए संशोधित सामान्य दिशा-निर्देश मार्च, 2009 में तैयार किया गया।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, जल क्षेत्र में 'अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम' योजना स्कीम के तहत 17 नदियों का जल विज्ञानीय अध्ययन प्रारंभ किया गया। 11वीं योजना के दौरान प्रस्तावित कार्यों के दो मुख्य घटक हैं—

- i) दूर संवेदी और अन्य ऐतिहासिक सूचना जैसे स्थलाकृतिक आदि का प्रयोग करते हुए जल विज्ञानीय अध्ययन और व्यापक रिपोर्ट तैयार करना।
- ii) भविष्य में अध्ययन करने के लिए नदी के अनुप्रस्थ काट, निस्सरण और गाद डाटा आदि जैसे क्षेत्र आकड़ों का संग्रहण।

'जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम' के लिए वर्ष 2008 के दौरान 295 करोड़ रु. अनुमोदित किया गया है जिसमें से 21.18 करोड़ रु. की राशि आकृति विज्ञानीय अध्ययन के लिए आवंटित की गई है।

3-9 ty xqkoUkk i cks'ku

केन्द्रीय जल आयोग भारत के सभी बृहत् नदी बेसिनों को शामिल करके विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण के लिए त्रि-आयामी प्रयोगशाला प्रणाली के साथ 371 प्रमुख स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। भारत की मुख्य नदियों पर स्तर—एक प्रयोगशालाएं 258 क्षेत्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों पर स्थित हैं जिसमें नदी जल के भौतिक पैरामीटर जैसे तापमान, रंग, गन्ध, विशेष चालकता, कुल धुलनशील ठोस पदार्थ, फॉसफोरस और धुलनशील ऑक्सीजन का पता लगाया जाता है। इसके अलावा नदी जल की 25 भौतिक रसायन विशेषताओं और जीवाणु संबंधी पैरामीटरों का विश्लेषण करने के लिए चुनिंदा प्रभागीय मुख्यालयों पर 24 स्तर—दो प्रयोगशालाएं स्थित हैं। 4 स्तर—तीन/दो + प्रयोगशालाएं वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद और कोयम्बटूर में कार्य कर रही हैं जहां पर भारी अवयवों/विषेष पैरामीटरों और कीटाणुनाशकों सहित 41 पैरामीटरों जिसमें शामिल हैं, का विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों को आंकड़ा—आधार प्रणाली में कम्प्यूटरीकृत किया जाता है और उनका जल गुणवत्ता वर्ष पुस्तिका और जल गुणवत्ता बुलेटिनों के रूप में प्रचार—प्रसार किया जाता है जिन्हें वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है और जल गुणवत्ता बुलेटिन नियमित रूप से जारी किए जाते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखने में समन्वित प्रयासों के लिए जून, 2001 में पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण का गठन करके एकीकृत रूप से जल गुणवत्ता प्रबोधन पर बल दिया है। केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अधिकांश राज्य स्तर की जल गुणवत्ता पुनरीक्षण समितियों के सदस्य—सचिव हैं।

पारिस्थितिकीय प्रणाली को संरक्षित करने के लिए नदियों में न्यूनतम प्रवाहों पर जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों प्रस्तुत कर दी है। जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण की पॉचवीं बैठक में अध्यक्ष ने न्यूनतम प्रवाहों के निर्धारण में जल गुणवत्ता पहलुओं को शामिल करते हुए रिपोर्ट में संशोधन करने का सुझाव दिया था और तदनुसार जल गुणवत्ता पहलुओं को शामिल करते हुए रिपोर्ट को संशोधित किया गया था तथा जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए दिनांक 02.08.2007 को प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में संस्तुत न्यूनतम प्रवाहों को अपनाने के लिए कानूनी एवं संस्थागत पहलुओं पर कार्य करने के लिए मुख्य अभियंता (ईएमओ) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

3-10 rVh; vi jnu

तटीय अपरदन पूरे देश में महसूस की जाने वाली एक प्रक्रिया है और भारतीय तट इससे अलग नहीं है। भारतीय तटरेखा के एक बड़े भाग को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जैसे विभिन्न कारणों से निरन्तर अपरदन का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय, देहरादून के अनुसार भारतीय तटरेखा की लम्बाई बढ़कर 7516.60 किमी हो गई है जिसमें से लगभग 2150 किमी समुद्री कटाव से प्रभावित है।

समुद्री अपरदन से समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाजुक तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वयन/विचाराधीन है।

3-10-1 jk"Vh; rVh; | j{k.k i f; kst uk

तट अपरदन से समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना तैयार की जा रही है, ताकि बाह्य संसाधनों अथवा अन्य घरेलू संसाधनों के माध्यम से वित—पोषण की संभावना का पता लगाया जा सके। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश का प्रस्ताव परियोजना में शामिल करने हेतु स्वीकार्य पाया गया है जबकि आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात

के तटीय राज्यों और लक्ष्मीप संघ शासित प्रदेश से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश ने अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

3-10-2 dnt; ik; kfr ; kstu

दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए 20.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तटीय और गंगा बेसिन राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में नाजुक अपरदन रोधी कार्यों संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना मार्च, 2004 में अनुमोदित की गई थी। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु के तटीय संरक्षण कार्यों तथा तट पोषण संबंधी मार्गदर्शी परियोजना और तटीय एटलस की तैयारी संबंधी प्रस्तावों को योजना में शामिल किया गया था। यह योजना अब राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई है और संबंधित करके 46.17 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, समुद्रकटावरोधी कार्यों को “बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम” के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों को 8,000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3-10-3 LFkk; h rVh; i j{k.k vkj i c/ku i f; kstu

तटीय संरक्षण से संबंधित भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच विचार-विमर्श के निष्कर्ष के अनुसार एडीबी ने गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के लिए स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन परियोजना तैयार करने के लिए एक मिलियन अमरीकी डालर राशि से कम राशि की केन्द्रीय सहायता के प्रावधान को अनुमोदित कर दिया है। इस तकनीकी सहायता को जापान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए और एडीबी द्वारा शासित अनुदान से वित्तपोषित किया जाएगा। तकनीकी सहायता परियोजना जिसका उपयोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में स्थायी तटीय संरक्षण और प्रबंधन के लिए निवेश परियोजना तैयार करने के लिए किया जाएगा को अप्रैल, 2008 में प्रारंभ करने की संभावना है।

v/; k; & pkj
cfl u vk; kst uk

4-1 jk"Vh; ty vk; kst uk

देष के विभिन्न भागों में जल के असमान वितरण और बाढ़ एवं सूखे के बार-बार आने से जल संसाधनों के विकास हेतु सभी संबंधितों की भागीदारिता के साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया गया है। जल संसाधनों के विकास एवं उपयोग की आयोजना एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारें, गैर-सरकारी संगठनों और लाभार्थियों के बीच गहन सामंजस्य होता है।

4-2 jk"Vh; ty l d k/ku i f j"kn

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (रा० जा० सं० परिषद) का गठन मार्च, 1983 में एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय के रूप में किया गया, जिसके अध्यक्ष, माननीय प्रधान मंत्री जी हैं। परिषद का संघटन चित्र 4.1 में दर्शाया गया है। परिषद की अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं।

	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">v/; {k Hkkjr ds i /kkue=ḥ</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">mi k/; {k dltnt; ty l d k/ku e=ḥ</td></tr> </table>	v/; {k Hkkjr ds i /kkue=ḥ	mi k/; {k dltnt; ty l d k/ku e=ḥ
v/; {k Hkkjr ds i /kkue=ḥ			
mi k/; {k dltnt; ty l d k/ku e=ḥ			
I nL; dltnt; e=ḥ <ul style="list-style-type: none"> • वित्त • कृषि • विद्युत • ग्रामीण विकास • षहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन • नौवहन • पर्यावरण एवं वन • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता • पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास • जनजातीय मामले • उपाध्यक्ष: योजना आयोग • dltnt; jkT; e=ḥ] <ul style="list-style-type: none"> - जल संसाधन - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 	I nL; *सभी राज्यों के मुख्य मंत्री *भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रमुख		
I fpo सचिव-केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय			

fp=& 4-1 jk"Vh; ty l d k/ku i f j"kn dh l jpuḥ

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 5 वीं बैठक में हुए विचार-विमर्श और तदनन्तर बनी सर्वसम्मति के पश्चात् परिषद द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2002 अपनाई गई थी।

jk"Vh; ty ulfr i j vupūkhz dkj bkbz

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की पांचवीं बैठक के दौरान निम्नलिखित के लिए सहमति प्रकट की गई थी:-

- प्रत्येक राज्य के लिए जल नीति तैयार करना।
- नीति के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रचालनात्मक कार्रवाई योजना तैयार करना।

तदनुसार, माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में 5 फरवरी, 2003 को आयोजित सिंचाई मंत्रियों के 12 वें राष्ट्रीय जल संसाधन सम्मेलन में राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के क्रियान्वयन की कार्रवाई योजना को अपनाया गया। इस कार्रवाई योजना में राष्ट्रीय जल नीति (2002) के प्रत्येक प्रावधान के लिए प्रस्तावित कार्रवाई बिन्दुओं और इसके कार्यान्वयन के संबंध में सक्रिय आदानों को उपलब्ध कराने वाले अभिज्ञात मंत्रालयों/विभागों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें कार्रवाई बिन्दुओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित समय सीमा का भी उल्लेख किया गया है।

4-3 jk"Vh; ty ckMz

राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की समीक्षा करने और समय—समय पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की प्रगति की सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सितम्बर, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया। बोर्ड की संगठनात्मक संरचना चित्र 4.2 में दर्शायी गई है।

बोर्ड ने अब तक 12 नियमित और 2 विशेष बैठकें आयोजित की हैं। 5 जनवरी, 2007 को हुई बोर्ड की 12वीं बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई थी और बोर्ड द्वारा उपर्युक्त कार्यसूची मदों पर उपयुक्त सिफारिशों की गई :—

- i) राष्ट्रीय जल बोर्ड की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।
 - (क) राज्य जल नीतियों संबंधी रिपोर्ट।
 - (ख) नदी बेसिन संगठनों के उपयुक्त मॉडल की सिफारिश करने के लिए अतिरिक्त सचिव (जल संसाधन), की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट।
- ii) समयबद्ध तरीके से सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
- iii) भू—जल प्रबंधन।
- iv) सहभागिता सिंचाई प्रबंधन।
- v) सृजित संसाधनों और सुविधाओं का स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु विनियामक तंत्र की आवश्यकता।

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">v/; {k I fpo dःnt; ty I d k/ku E=ky;</td></tr> </table>	v/; {k I fpo dःnt; ty I d k/ku E=ky;	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव</td></tr> </table>	I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
v/; {k I fpo dःnt; ty I d k/ku E=ky;			
I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">सदस्य : सचिव – केन्द्रीय मंत्रालय : – कृषि – योजना – ग्रामीण विकास – शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन – नौवहन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – पर्यावरण एवं वन अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग</td><td style="padding: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव</td></tr> </table> </td></tr> </table>	सदस्य : सचिव – केन्द्रीय मंत्रालय : – कृषि – योजना – ग्रामीण विकास – शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन – नौवहन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – पर्यावरण एवं वन अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव</td></tr> </table>	I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
सदस्य : सचिव – केन्द्रीय मंत्रालय : – कृषि – योजना – ग्रामीण विकास – शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन – नौवहन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – पर्यावरण एवं वन अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव</td></tr> </table>	I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव	
I nL; भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">I nL; & I fpo सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), कें.ज.आ.</td></tr> </table>	I nL; & I fpo सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), कें.ज.आ.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">fp=& 4-2 jk"Vh; ty ckMz</td></tr> </table>	fp=& 4-2 jk"Vh; ty ckMz
I nL; & I fpo सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), कें.ज.आ.			
fp=& 4-2 jk"Vh; ty ckMz			

4-3-1 jkT; ty&uhfr r̥ kj djuk@vi ukuk

बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने सूचित किया कि उन्होंने राज्य जल नीति को पहले ही अपना लिया है। संघ शासित राज्य दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली ने सूचित किया कि वे राष्ट्रीय जल नीति, 2002 का अनुसरण कर रहे हैं। ओँध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्खिम, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु और त्रिपुरा के संबंध में यह सूचित किया गया है कि उनकी जल नीति तैयार/अपनाए जाने के अधीन है। अन्य राज्यों/संघ राज्य शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया है कि उनकी जल नीति प्रक्रियाधीन है।

4-3-2 unl cfl u | xBu

राष्ट्रीय जल बोर्ड ने अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में नदी बेसिन संगठन समिति का गठन किया है, जिसके आयुक्त (पी.पी.), जल संसाधन मंत्रालय, सदस्य—सचिव हैं। आठ राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। जून, 2004 में आयोजित इसकी चौथी बैठक में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसे अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद, राष्ट्रीय जल बोर्ड की 12 वीं बैठक में इस पर विचार—विमर्श किया गया था।

XI योजना के तहत तीन नदी बेसिन संगठनों के गठन का प्रस्ताव है जिसका एसएफसी ज्ञापन मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में सचिव (ज.स.) की इच्छानुसार राज्यों को भेजने के लिए नदी बेसिन संगठन संबंधी संकल्पना दस्तावेज भी तैयार किया गया है जिसमें उक्त अभिज्ञात तीनों बेसिन/उप बेसिन स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सचिव (जल संसाधन) ने XI योजना के दौरान नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के तहत केवल दो नदी बेसिनों अर्थात् महानदी और गोदावरी नदी बेसिन संगठन के गठन का प्रस्ताव किया है।

4-3-3 fl pkbl i fj ; kst ukvks dk | e; c) : i ei fØ; klo; u

राज्यों ने सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने संबंधी कार्यसूची में प्रकाशित कार्रवाई/मर्दों को भेजा है। सिंचाई परियोजनाओं के समयबद्ध रूप में क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों द्वारा अनेक मुद्रों को प्रकाश में लाया गया है। राज्यों द्वारा भेजे गए सुझावों में लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता समयबद्ध रूप में अन्तर्राज्यीय मामलों के समाधान के लिए उपयुक्त तत्र की स्थापना करना, जल संसाधन विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय और वन स्वीकृति संबंधी मानकों को सरल बनाना, एआईबीपी के तहत मानकों में छूट प्रदान करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों की पुनरीक्षा करना, केंद्रीय ऋण सहायता के निर्मुक्ति समय को अक्तूबर और मार्च के रुदान पर अप्रैल—मई और नवम्बर—दिसम्बर में परिवर्तित करना, मूल्यांकन और स्वीकृति की प्रक्रिया में गति लाना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की पद्धति पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का वित्तपोषण आदि शामिल है। यह भी सुझाव दिया गया था कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान को पर्याप्त रूप में बढ़ाने की जरूरत है।

पुनर्वास मुद्रों और पर्यावरण एवं वन समस्याओं के संबंध में महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि राज्य ने राज्य पुनर्वास प्राधिकरण का गठन कर लिया है और परियोजनाओं की वन एवं पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक दल का भी गठन किया है।

4-3-4 Hkwy iciku

बैठक के दौरान भूजल विकास की अवस्था, भूजल संसाधनों के अतिदोहन के मुद्दे और इसके विनियमन के लिए कानून बनाने की प्रगति की स्थिति पर विचार—विमर्श किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में इस समय भूजल का कोई अतिदोहन नहीं हो रहा है इसलिए उन्हें भूजल के अतिदोहन के संबंध में कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। ओँध्रप्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और लक्ष्मीपुरी जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि आवश्यक अधिनियम/कानून बनाए और क्रियान्वित किए गए हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश राज्यों ने सूचित किया है कि अधिनियम/विधेयक का निरूपण/अधिनियमन प्रगति पर है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त के संबंध में समयबद्ध रूप में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था। पंजाब राज्य ने कहा है कि वह भूजल के संबंध में कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। बोर्ड ने इस संबंध में समान तर्क देने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे कानून की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी स्थिति का पुर्जावलोकन करने के लिए अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और अधिशेष बाढ़ के जल को गहरे जलभूतों में व्यपवर्तित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

4-3-5 | ghkkfxrk fl pkbz i rku ॥ hvkbz e॥

ऑंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों ने सूचित किया है कि भारी संख्या में जल प्रयोक्ता संघों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने उल्लेख किया है कि आवश्यक अधिनियम पारित कर दिया गया है और क्रियान्वयनाधीन हैं। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों ने सूचित किया है कि सिंचाई प्रबंधन संबंधी कानून बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। केरल राज्य ने उल्लेख किया है कि सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है और उल्लेख किया है कि इस मामले को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। उत्तराखण्ड राज्य ने उल्लेख किया है कि सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। जल संसाधनों के समग्र विकास में पणधारियों/किसानों की भूमिका की बोर्ड द्वारा सराहना की गई और राज्य मौजूदा सिंचाई अधिनियमों के अधिनियमन/संशोधन की प्रक्रिया में प्रगति लाने के लिए सहमत हो गए हैं।

4-3-6 | d k/kukā vkJ | ftr | fo/kkvkJ ds LFkkf; Ro dks | fuf' pr djus ds fy, fofu; ked r= dh vko'; drk

महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकरण (एनडब्ल्यूआरए) का गठन पहले से ही कर लिया गया है और यह कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर-प्रदेश ने उल्लेख किया है कि नियामक तंत्र के गठन की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड ने समयबद्ध रूप में जल संसाधनों के इष्टतम, यथोचित और समान प्रबंधन, आबंटन और उपयोग के लिए उपर्युक्त नियामक तंत्र की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में राज्यों पर दबाव डाला है।

4-4 ty dk vrj cfl u vUrq.k vkJ jk"V॥; ty fodkl vfHkdj.k ds | kfkl i kjLi fj d okrkz

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विकास के लिए सम्पर्क नहरों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अन्तर बेसिन अन्तरणों और क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अन्वेषणों के साथ-साथ अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल देने के लिए जल संतुलन अध्ययन और सम्पर्क नहर अध्ययनों के कार्य में लगा हुआ है। अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तथा राज्यों द्वारा प्रस्तावित अन्तःराज्यीय संपर्कों के तहत संपर्कों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता/डीपीआर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों को विस्तारित/संशोधित किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (ज.आ. एवं परि.) और सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) राजभाषा विभाग अभिकरण सोसाइटी और इसके शासी निकाय के सदस्य हैं।

4-4-1 jk"V॥; ty fodkl vfHkdj.k dh rduhdh | ykgdkj | fefr

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के शासकीय निकाय ने एजेंसी द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जॉच और संवीक्षा करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की है। सदस्य (अभि. एवं अनु.), केन्द्रीय जल आयोग एवं सदस्य (ज.आ. एवं परि.), केन्द्रीय जल आयोग राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

तकनीकी सलाहकार समिति की 37वीं बैठक 12 सितम्बर, 2008 को हुई थी और निम्नलिखित रिपोर्ट के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई थी :—

- (i) केंद्रीय जल आयोग के परामर्श से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के जल संतुलन अध्ययनों को अंतिम रूप देना।
- (ii) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति
- (iii) महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेनार-कावेरी-वैगर्ज-गुण्डर संपर्क की 9 संपर्क प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट

- (iv) एन.पी.पी. के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की रिपोर्ट
- (v) जोगी गोपे—तीस्ता—फरक्का संपर्क परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट
- (vi) अन्तः—राज्य संपर्क प्रस्ताव

4-4-2 erD; I eŋ

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय की 42वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में राज्यों के बीच सर्वसम्मति की प्रक्रिया तथा नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने से संबंधित मामलों पर विचार करने तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक सर्वसम्मति दल का गठन किया गया है।

सर्वसम्मति दल की अभी तक नौ बैठकें हुई हैं। पारबती—कालीसिंध—चम्बल (पी.के.सी.) के संबंध में विभिन्न मामलों पर विचार—विमर्श करने के लिए 22 जून, 2007 को सर्वसम्मति दल की 9वीं बैठक आयोजित की गई थी।

4-4-3 ufn; kə dks i jLi j tkmus | tɔkh dk; l eɪ xfr'khyrk ykus | tɔkh | fefr

जल संसाधन मंत्रालय ने नदियों की संपर्क परियोजना के कार्य में गतिशीलता लाने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :—

- 1) सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में पर्यावरणविदों एवं समाजशास्त्रियों तथा नदियों के परस्पर जोड़ने संबंधी अन्य विशेषज्ञों की समिति है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के सदस्य हैं। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 19 जून, 2008 को समिति की पांचवीं बैठक आयोजित की गई थी।
- 2) केन बेतवा संपर्क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के समग्र कार्य के प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन बेतवा संपर्क विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रबोधन समिति। समिति की छठी एवं सातवीं बैठक 19 जून, 2008 एवं 20 अक्टूबर, 2008 को आयोजित की गई थी जिसमें केन बेतवा संपर्क परियोजना और पी.ई.आर.टी./सी.पी.एम. चार्ट्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी विभिन्न कार्यों की वर्तमान रिपोर्ट की समीक्षा की गई।
- 3) सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में 7 जून, 2006 को केन बेतवा संपर्क संचालन समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इसके सदस्य हैं। 8 सितम्बर, 2008 को हुई संचालन समिति की दूसरी बैठक में केन बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने पर चर्चा की गई।

केन—बेतवा संपर्क का डीपीआर तैयार किया गया जा चुका है।

4-5 tyk'k; i pkyu

4-5-1 fʒ gɻn tyk'k; l aɒr i pkyu | fefr

रिहन्द जलाशय की संयुक्त प्रचालन समिति की 21 वीं बैठक सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें वर्ष 2008–09 के लिए प्रचालन योजना को अंतिम रूप दिया गया था और अभिकल्पित स्तर तक एमडीडीएल के पुनर्स्थापन के मुद्दे पर विचार—विमर्श किया गया था।

4-5-2 nkekⁿ cjkdj cfl u dk 0; ki d iz kkyh v/; ; u

दामोदर बराकर बेसिन का व्यापक प्रणाली अध्ययन पूरा किया गया और नई दिल्ली में दिनांक 16.04.2008 को आयोजित डीवीआरआरसी की 118वीं बैठक में इसकी एक प्रस्तुति की गई थी।

4-5-3 fu.k^h I effkfr iz kkyh 1/vk; kstu^h 1/fMfI tu I iks^h fl LVe 1/ykfus^h

विश्वबैंक वित्तपोषित जल वैज्ञानिक परियोजना-II के तहत डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (प्लानिंग) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूडकी इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी है। परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने और डीएसएस (प्लानिंग), के प्रमुख तकनीकी कार्यों पर विचार करने के लिए संचालन समिति (फोकल ग्रुप) की अब तक 6 बैठकें आयोजित की गई हैं। मुख्य अभियंता (बीपीएमओ), केंद्रीय जल आयोग संचालन समिति के सदस्य हैं।

4-6 cfl u vk; kstu

4-6-1 n's^k e^s fofo/k mi ; kxka ds fy, ty dh mi yC/krk vkJ vko'; drk dk vldyu djus | cdkh LFkk; h mi I fefr

देश में विविध उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता और आवश्यकता का आकलन करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थायी उप-समिति का गठन किया गया है। सदस्य (ज.आ.एवं परियोजना), केंद्रीय जल आयोग, इसके अध्यक्ष हैं और मुख्य अभियंता (बीपीएमओ), केंद्रीय जल आयोग, सदस्य सचिव हैं। इस उपसमिति में जल से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी प्रतिनिधि हैं।

इस समिति का कार्य जल के विभिन्न उपयोगों के संबंध में जल आयोजना और समन्वय के समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के लिए अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति जिसके आयुक्त (पीपी) सदस्य सचिव हैं तथा जल से संबंधित विभिन्न मंत्रालय/विभाग सदस्य हैं, को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। उप समिति की अंतिम रिपोर्ट स्थायी समिति के सदस्य सचिव को उनके विचारार्थ भेजी गई थी, रिपोर्ट में दी गई सूचना से संबंधित विभिन्न संदर्भों पर चर्चा की गई।

4-6-2 ty I d k/kuk^a dh mi yC/krk vkJ vko'; drk I cdkh I pkyu I fefr

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ की बढ़ी हुई जनसंख्या की तुलना में "शहरी क्षेत्र में जल संसाधनों की आवश्यकता और इसकी उपलब्धता पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, संचालन समिति के सह-अध्यक्ष हैं तथा अध्यक्ष, केंद्रीय भूजल बोर्ड, सदस्य (नदी प्रबंध), कें.ज.आ., संयुक्त सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, निदेशक (एनआईएच), निदेशक (हुडको) और आयुक्त (पीपी), जल संसाधन मंत्रालय सदस्य हैं और मुख्य अभियंता (बीपीएमओ), कें.ज.आ. इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार एक करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले 35 शहरी समूहों (यूएएस) पर स्थिति रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया और जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया। उपर्युक्त मुद्राओं से संबंधित मुद्राओं पर चर्चा की गई।

4-6-3 n's^k e^s cfl u&okj ty fLFkfr dk i μεW; kdu & jk"V^h; ty fe'ku

भारत सरकार द्वारा जल वायु परिवर्तन (एनएपीसीसी) संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना तैयार की गई जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून, 2008 को जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में आठ राष्ट्रीय मिशन के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने संबंधी सिद्धांतों तथा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को अभिज्ञात किया गया है जिसमें से राष्ट्रीय जल मिशन एक है।

राष्ट्रीय जल मिशन के तहत छह उप-समितियाँ गठित की गई हैं जिसमें से एक समिति सदस्य (ज.आ. एवं परि.) की अध्यक्षता वाली बेसिन स्तर प्रबंधन समिति है। निदेशक (बीपी) इस समिति के सदस्य सचिव हैं। इस उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात इसे जल संसाधन मंत्रालय को भेज दिया है।

राष्ट्रीय जल मिशन के उद्देश्यों के आधार पर, 'राष्ट्रीय जल मिशन' के व्यापक मिशन दस्तावेज से (क) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल आंकड़ा बेस और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन; (ख) जल संरक्षण, संवर्धन और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्यवाईयों में वृद्धि (ग) अति-दोहित क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने (घ) जल उपयोग दक्षता में 20% तक वृद्धि करने और (ड.) बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यनीतियाँ अभिज्ञात की गई हैं।

मिशन दस्तावेज में कार्यान्वयन के लिए अभिज्ञात संस्तुत कार्यनीतियों में से नवीनतम कार्यनीतियों का उपयोग करते हुए जल गुणवत्ता सहित वर्तमान परिदृश्य में बेसिनवार जल स्थिति का पुनर्मूल्यांकन एक है जिसके साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है;

- (i) व्यापक जल संतुलन आधारित मॉडल का विकास अथवा अपनाना
- (ii) वर्तमान आकड़ों का उपयोग करते हुए बेसिन में मॉडलों को संस्थापित करना
- (iii) माँगें, भूमि उपयोग, तैयारी और वाष्पीकरण में परिवर्तन की दृष्टि से संभावित भावी स्थिति का मूल्यांकन।

वर्तमान में अध्ययन के स्वरूप और पद्धतियाँ तैयार करने के संबंध में केंद्रीय जल आयोग तथा राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, हैदराबाद, केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

4-6-4 i dk'ku

'नदी बेसिन मास्टर योजना तैयार करने संबंधी दिशा-निर्देश' नामक प्रमुख प्रकाशन मुद्रणाधीन है।

4-6-5 >sy] fpukc vkj fl skq unl ds fy, unl cfl u ; kst uk

सिंधु जल संधि के तहत यथाअनुमत्य पश्चिमी नदियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कार्यवाई योजना तैयार करने हेतु अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस संबंध में डोलम, चिनाब और सिंधु नदियों के लिए बेसिन योजनाएं तैयार करने हेतु मुख्य अभियंता (बीपीएमओ) की अध्यक्षता में एक उप समूह का गठन किया गया है। बेसिन योजनाओं के मसौदे तैयार किए गए हैं और विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर अद्यतन किए जाते हैं।

4-6-6 rduhdh nLrkost@fj i kV

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तकनीकी दस्तावेज/रिपोर्ट तैयार की गई थी:-

- (क) 'कृषि, ऊर्जा और शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधन अवसंरचना विकास - भारतीय परिदृश्य' शीर्षक नामक एक तकनीकी दस्तावेज तैयार किया गया था और उसे इस्तानबुल में आयोजित होने वाले पाँचवें विश्व जल मंच के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय भेजा गया। पाँचवे विश्व जल मंच के संदर्भ में 'भारत में स्थिति और भारत सरकार का दृष्टिकोण' नामक शीर्षक से गरीबी और भूखमरी उन्मूलन के लिए जल और खाद्य पर एक स्थिति प्रधान टिप्पण तैयार किया गया और उसे जल संसाधन मंत्रालय में भेजा गया।
- (ख) मस्कट में फरवरी, 2009 में आयोजित होने वाली जी-77 के संबंध में जल पर प्रथम मंत्री स्तर मंच की बैठक के दौरान विचार-विमर्श करने के लिए सामग्री तैयार की गई थी।

v/; k; & i kp
vflkdYi , oa i ke' kL

5-1 | kekU;

केन्द्रीय जल आयोग का अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, जल संसाधन परियोजनाओं को अभिकल्प और परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। इस स्कंध के विभिन्न एकक जल संसाधन क्षेत्र में अभिकल्प परामर्श, तकनीकी अध्ययनों और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त इस स्कंध में विभिन्न अभिकरणों द्वारा नियोजित जल संसाधन विकास परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन भी किया जाता है।

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:-

1. जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और अभिकल्प।
2. जल वैज्ञानिक अध्ययन।
3. मौजूदा बॉथों के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा और प्रबोधन।
4. बहुउद्देशीय नदी धाटी परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन।
5. अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण समन्वय।

5-2 vflkdYi vkJ vuq lkku Ldk dh | jpuK

देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जल संसाधन परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और विशेष डिजाइन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में निम्नलिखित चार एकक हैं :-

1. अभिकल्प (उत्तर एवं पश्चिम) एकक
2. अभिकल्प (उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण) एकक
3. अभिकल्प (पूर्व एवं उत्तर-पूर्व) एकक
4. अभिकल्प (नर्मदा बेसिन)

उपर्युक्त प्रत्येक एकक में जल विज्ञान सिविल अभिकल्प (एचसीडी), कंक्रीट एवं चिनाई बॉथ अभिकल्प (सीएमडीडी), तटबंध अभिकल्प (ईएमबी), फाटक अभिकल्प (जीडी) और बराज एवं नहर अभिकल्प (बीसीडी) आदि जैसे विषयों के विशेषज्ञ निदेशालय हैं।

5-3- vflkdYi , oa vuq lkku Ldk ds dk; l

5-3-1 ty | d k/ku i fj ; kstukvk dhl vk; kstuk , oa vflkdYi

वर्ष 2008–2009 के दौरान अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध एककों द्वारा नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर 137 परियोजनाओं के संबंध में अभिकल्प संबंधी परामर्शी सेवाएं प्रदान की गईः—

क्रमांक	वर्ग	
	निर्माण स्तर पर परियोजनाएं	85
	अन्वेषण और आयोजना स्तर पर परियोजना (जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है)	47
	विशेष समस्याओं वाली परियोजनाएं	9
	dy	141

सभी 141 परियोजनाओं का व्यौरा चित्र-5.1 में और परियोजनाओं की सूची अनुबंध-5.1 में दर्शाई गई है।

अफगानिस्तान(1), भूटान(11), नेपाल(4), श्रीलंका(1), अंडमान एवं निकोबार(7), आंध्र-प्रदेश(2), दिल्ली(1), मिजोरम(4), राजस्थान(1), पंजाब(1), गोवा(1), अरुणाचल प्रदेश(6), कर्नाटक(2), गुजरात(2), बिहार(5), आंध्र-प्रदेश(14), त्रिपुरा(4), तमिलनाडु(1), असम(4), उडीसा(2), मेघालय(7), मणिपुर(4), महाराष्ट्र(5), मध्यप्रदेश(30), उत्तर प्रदेश(1), जम्मू एवं कश्मीर(5), झारखण्ड(5), हिमाचल प्रदेश(4), छत्तीसगढ़(5), उत्तराखण्ड(7)

fp= 5-1& वर्ष 2008–09 के दौरान अनुसंधान एवं अभिकल्प स्कंध में राज्यवार परामर्शी परियोजनाएं

कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो इस समय अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में अभिकल्पित/तैयार की जा रही हैं, निम्न प्रकार हैं:-

1- i ps'oj cgmnns'kh; i f; kstu , oa i wkkfxfj i pfu; ked ck;k \kkj r&us ky] | a Dr i f; kstu kh

भारत-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यक्षेत्र पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने हेतु इसे परिभाषित किया जा रहा है। 1996 में यथाहस्ताक्षरित महामहिम नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच हुई संधि में पंचेश्वर परियोजना, शारदा बराज परियोजना और टनकपुर बराज परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अध्याय और आरेख पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। इसके पश्चात् विशेषज्ञों के संयुक्त दल की कई बैठकें हुईं।

प्रस्तावित परियोजना में महाकाली और सरयू नदी के उद्गम स्थल के ठीक अनुप्रवाह पर 293 मीटर ऊंचे रॉकफिल बांध की परिकल्पना की गई है। इसमें 9.24 बिलियन क्यूबिक मीटर के सक्रिय भंडारण क्षमता और 2.15 बिलियन क्यूबिक मीटर की निष्क्रिय भंडारण क्षमता का प्रस्ताव है। परियोजना क्षेत्र में भारत और नेपाल के मध्य नदी सीमा बनाती है जो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य से नेपाल के दूरवर्ती पश्चिमी विकास क्षेत्र को विभाजित करती है।

पंचेश्वर परियोजना में पुनः नियामक बांध की भी परिकल्पना की गई है जिसके लिए दो विकल्पों अर्थात् पूर्णागिरि (1020 मेगावाट) और रूपालीगाद (500 मेगावाट) पर विचार किया गया था। नेपाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में रूपालीगाद में पुनः नियामक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है जिसे प्रारंभ में भारतीय पक्ष द्वारा समर्थन नहीं दिया गया था। इसके बजाय भारतीय पक्ष ने पूर्णागिरि को पुनः नियामक परियोजना के रूप में प्रस्ताव किया था। इसकी पुनरीक्षा जल संसाधन मंत्रालय में की गई और दोनों विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया गया था। रूपालीगाद परियोजना के लिए भू-भौतिकीय अन्वेषण किए जाने हैं और भू-भौतिकीय अन्वेषणों के परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तथापि, पूर्णागिरि में पुनः नियामक बांध के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया गया है।

2- I lrdk\ h mPp ck;k cgmnns'kh; i f; kstu] \kkj r&us ky] | a Dr i f; kstu kh

प्रारम्भिक अध्ययनों के अनुसार सप्त कोसी उच्च बहुउद्देशीय परियोजना 3000 मै.वा. (50 प्रतिशत भार घटक के रूप में) की संस्थापित क्षमता से बांध पदाग्र विद्युत गृह के जरिए नदी जल के विपथन हेतु 269 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण तथा बांध के एक किलोमीटर अनुप्रवाह में बैराज के निर्माण के जरिए 15.22 लाख निवल कमान क्षेत्र में सिंचाई की परिकल्पना की गई है। नहर प्रणाली के साथ नहर किस्म के तीन विद्युत गृहों का निर्माण करके 300 मै.वा. अतिरिक्त क्षमता प्राप्त किए जाने की आशा है भारत सरकार तथा नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रीय अन्वेषण अध्ययन तथा सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना व सन कोसी भंडारण तथा विपथन योजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना के अन्वेषण हेतु नेपाल में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग ने किए जाने वाले अन्वेषणों को अभिज्ञात करने में संयुक्त परियोजना कार्यालय के लिए सहायता उपलब्ध कराई है। अन्वेषणों के पूर्ण होने के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्टेज अभिकल्प इंजीनियरी उपलब्ध करायी जाएगी। केंद्रीय जल आयोग के अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध ने विद्युत गृह से संबंधित घटकों के लिए अन्वेषण स्तर का विन्यास (लेआउट) तैयार कर लिया है।

3- fVgjh ck;k i f; kstu \m\kkj k[kM%

टिहरी बांध परियोजना प्रथम बहु-उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है जो इसकी व्यापक क्षमता को काम में लाने के लिए नदी भगीरथी पर निर्माण करने हेतु शुरू की गई है और यह टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा निष्पादित की जा रही है। 260.5 मीटर ऊँची मृदा एवं प्रस्तरपूर बांध का निर्माण किया गया है, जो विश्व का चौथा ऊँचा बांध है। बांध और अनुबद्ध संरचना, अर्थात् शूट उत्पलाव, शैफ्ट उत्पलाव, अन्तर्वर्ती स्तरीय निर्गम आदि हेतु निर्माण आरेखण सहित अभिरूप इंजीनियरी और परामर्शी सेवाओं की अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध द्वारा देखरेख की जा रही है। बाएं तथा दाएं अंत्यधार से जुड़े भराव बांध के कोर में निरीक्षण दीर्घा उपलब्ध कराई गई है जो भारत में पहली बार शुरू किए गए। प्रस्तरपूर बांध की एक अनूठी विशेषता है। जलाशय का नियंत्रित भराव 29 अक्टूबर, 2005 को शुरू हो गया था और परियोजना, यूनिट iv) 17.07.2006, यूनिट iii) 25.10.2006 को और यूनिट ii) 30.01.2007 को प्रारंभ की गई थी, विद्युत उत्पादन के लिए तैयार हो गई थी।

सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी जल विद्युत विकास निगम के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी बांध के सुरक्षा पहलुओं विशेषकर भूकम्प संबंधी मामलों तथा जलाशय की प्रथम भराई के बारे में टिहरी जल विद्युत विकास निगम तथा विद्युत मंत्रालय को सलाह दे रहा है।

4- dkV'oj ty fo | r i f j ; kstuk /mÙkj k[kM½

कोटेष्वर जल विद्युत परियोजना टिहरी विद्युत परिसर का एक एकीकृत भाग है जिसमें भगीरथी नदी की जल-विद्युत क्षमता का विकास करने के लिए टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र (1000 मेगावाट) टिहरी पम्प भंडारण संयंत्र (1000 मेगावाट) और कोटेष्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) शामिल है। इस परियोजना में भगीरथी नदी पर 97.5 मीटर ऊँचे गुरुत्व बांध के निर्माण और टिहरी बांध स्थल के लगभग 20 किलोमीटर अनुप्रवाह पर टिहरी जिले के पिंडरस गांव के निकट कोटेश्वर पर 4X100 मेगावाट संरथापित क्षमता के साथ दाएं तट पर पदाग्र सतही विद्युत गृह की परिकल्पना की गई है। कोटेष्वर बांध द्वारा सृजित जलाषय कोटेष्वर जल स्कीम के लिए संतुलन जलाषय के साथ-साथ पम्पिंग भंडारण कार्य करेगा। इससे 2400 मेगावाट की प्रतिस्थापित क्षमता वाले उत्तरी ग्रिड में बड़े धीर्घ केन्द्र के रूप में टिहरी विद्युत परिसर का कार्य करने में सुविधा होगी।

केन्द्रीय जल आयोग और टिहरी जल विद्युत विकास निगम के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन के अनुसार अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध कोटेश्वर बांध, उत्प्लव मार्ग, विद्युत गृह, अंतर्ग्राही और विर्सजनी तथा यंत्रीकरण हेतु अभिकल्प परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। परियोजना के सभी सिविल घटकों का उत्खनन और निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बॉध, स्पिलवे, विद्युतगृह, संरचना, सेवाखाड़ी (सर्विस बे), इनटेक और टेलरेस के निर्माण का आरेखण परियोजना प्राधिकारियों को सौंपा गया है।

5- ykgjhukx ikyk rFkk rikou fo".kpx<+ ty fo | r i f j ; kstuk /mÙkj k[kM½

वर्ष 2004 के दौरान राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम तथा केन्द्रीय जल आयोग के बीच 600 मै.वा. लोहरीनाग पाला तथा 520 मै.वा. तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी तथा स्थल से सम्बद्ध मामलों हेतु निर्माण के दौरान प्रीअवार्ड इंजीनियरी तथा सहायता सहित पूर्ण अभिकल्प इंजीनियरी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 2005–06 के दौरान दोनों परियोजनाओं की पूर्ण निविदा चरण आरेखण जारी किए हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान लोहरी नागपाला परियोजना के लिए दबाव शाफ्ट के गढ़ाई तथा उत्थापन के लिए विशिष्ट आरेखण तथा दाबरानी प्रवेश व प्रवेशद्वार के लिए निर्माण आरेखण जारी किए गए हैं। दोनों परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विन्यास (लेआउट), उत्खनन आदि के लिए निर्माण-आरेखण वर्ष 2007–08 के दौरान जारी कर दिए गए हैं।

6- iwkÙrj {ks= eš ty | d k/ku fodkl i f j ; kstuk, a

केन्द्रीय जल आयोग के पास बहुउद्देशीय, सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अभिकल्प एवं परामर्श कार्य हेतु पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक समर्पित अभिकल्प एकक है। इसके कार्य के दायरे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड, नीपको, राज्य सरकारी विभागों आदि द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं अथवा केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उत्तर-पूर्व की अन्वेषित स्कीमों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

इस समय निर्माण स्तर पर 18 परियोजनाएं हैं, जिसके लिए केन्द्रीय जल आयोग के अभिकल्प अनुसंधान स्कंध द्वारा अभिकल्प संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी विस्तृत विद्युत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में निम्नलिखित परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत जल वैज्ञानिक अध्ययन एवं अभिकल्प संबंधी कार्य प्रगति पर हैः—

Øe jkT; @i fj; kst uk	fLFkfr
v: .kypy i ns k	
1. लोहित बांध परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
2. जियाधल बहुउद्देशीय परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
3. नूरानंग चू—नदी पर जल—विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
4. त्वांग चू जल—विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
5. न्यूकचरांग चू जल—विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
6. केमांग जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
vI e	
7. करबी लंगपी जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
8. पगलादिया बाँध सिंचाई परियोजना	निर्माण चरण
9. भारभाग अपवहन विकास योजना—स्लूस रेगुलेटर	निर्माण चरण
10. अमजूर अपवहन विकास योजना	निर्माण चरण
ef. ki j	
11. खुगा बहुउद्देशीय परियोजना	निर्माण चरण
12. थाऊबल बहुउद्देशीय परियोजना	निर्माण चरण
13. धोलेथाबी बराज परियोजना	निर्माण चरण
14. इरांग जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण पर
eʃkly;	
15. मन्टझू जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
16. मन्टझू जल विद्युत परियोजना चरण—I	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
17. कुलसी बहुउद्देशीय परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
18. जादुकाटा बाँध परियोजना (चरण—I एवं II)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
19. गनोल जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
20. न्यूउमटू जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
fetkje	
21. कोलादयनी जल विद्युत परियोजना चरण—I	निर्माण चरण
22. तुईरिनी जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
23. तुईवाल जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
24. तुइचेंग जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर
f=ijk	
25. कलासी बराज	निर्माण चरण
26. मनु मध्यम सिंचाई परियोजना	निर्माण चरण
27. चापाईचेरा बाँध परियोजना	निर्माण चरण

5-3-2 ty foKkuḥ; v;/ ; u

जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन, जो अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ यूनिट है, देश की अधिकांश परियोजनाओं के संबंध में जल विज्ञानीय अध्ययन करता है। वर्ष 2008–09 के दौरान जल विज्ञानीय संगठन ने जल विज्ञानीय दृष्टि से 110 परियोजनाओं पर कार्य किया जिसमें से परामर्श हेतु 8 परियोजनाएं तथा जल विज्ञान की तकनीकी जांच/अध्ययन हेतु 102 परियोजनाएं थीं। उपर्युक्त के अलावा जल विज्ञानीय संगठन यूनिट जल विज्ञान से संबंधित अन्य विशिष्ट कार्य भी कर रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

½ vi əki h vkokg {k= ds fy, ck<+ i kDdyu ekMy dk fodkl

देश को 7 क्षेत्रों में और आगे 26 जल मौसम विज्ञानी समरूपी उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अभी तक 24 उप-क्षेत्रों को शामिल करते हुए बाढ़ प्राक्कलन रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं।

½ [k] I keku; I EHkkfor vf/kdre o"kl k ½ h, ei ½ , Vyl r§ kj djuk

अभिकल्प वर्षण अनुमानों, जो अभिकल्प बाढ़ परिमाण का अभिकल्प करने में बुनियादी अदान हैं, का इस समय आयोजना एवं अभिकल्प के अन्तर्गत नए बाधों के मामले दर मामले आधार पर परिकलन किया जाता है परन्तु ये बड़ी संख्या में विद्यमान बाधों का पुनः मूल्यांकन हेतु बोझिल है। अभिकल्प बाढ़ अध्ययनों में अभिकल्प झंझावात गहराई का प्राक्कलन प्रमुख बाधा पायी गई है क्योंकि आवश्यक आंकड़े कुछ ही संगठनों, अर्थात् आई.एम.डी. और केन्द्रीय जल आयोग, के पास उपलब्ध हैं। इस पर काबू पाने के लिए सामान्य सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलस को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अभिकल्प झंझावात गहराई का प्रथम प्राक्कलन देने के लिए समूचे देश शामिल है। सामान्य सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलस तैयार किया गया है और नदी बेसिनों, अर्थात् कावेरी तथा पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली अन्य नदियां, कृष्णा के दक्षिण, गोदावरी और निकटवर्ती नदी बेसिन, महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुर्वणरेखा और अन्य निकटवर्ती नदियां, सोन, बेतवा, चम्बल, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और अन्य निकटवर्ती नदियां और पश्चिमी घाट क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, के लिए प्रकाशित किया गया है।

कृष्णा बेसिन के पीएमपी एटलस का डिजिटल कार्य वर्ष 2007–08 में सीडैक, पुणे को दिया गया था और वर्ष 2008–09 के दौरान इसे पूरा कर लिया गया।

5-3-3 ck/kks ds I j {kk i gyvka dh I eh{kk

बांध सुरक्षा संगठन, बांध सुरक्षा से संबंधित मामलों को देख रहे हैं जिसको निम्नलिखित रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

- अन्य जलीय संरचनाओं के अलावा बांधों और विद्युत गृहों में यंत्रीकरण।
- बांध दरार मॉडलिंग और नींव समस्याओं जैसे विशेष विश्लेषण।
- कम्प्यूटर की सहायता से अभिकल्प।
- बड़े बांधों का प्रबोधन एवं पुनर्वास।

ck/k I j {kk I xBu ds vrxt lyku Ldhe%

(I) ck/k i puokI , oa I qkkj i f; kstuk Mhvkj vkbI h%

विश्व बैंक की सहायता से बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना (डीएसएआरपी) वर्ष 1991 से 1999 अवधि के दौरान भारत संघ के 4 राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में क्रियान्वित की गई थी। यह परियोजना 422.95 करोड़ रु. की लागत से सितम्बर, 1999 में सफलतापूर्वक पूरी की गई थी।

बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना से प्राप्त निष्पादन और लाभों को देखने के पश्चात यह जरूरत महसूस की गई कि समान निबंधन और शर्तों के आधार पर विश्व बैंक की सहायता से उन बड़े बांधों की अत्यधिक संख्या वाले कुछ राज्यों को शामिल करते हुए एक दूसरी परियोजना क्रियान्वित की जाए। फरवरी, 2003 के दौरान 718. 99 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से बांध सुरक्षा आश्वासन, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन परियोजना (डीएसएआरडीएमपी) नामक प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसे विश्व बैंक के साथ कार्यवाही करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में भेजा गया था। इस प्रस्ताव में ग्यारह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया था। इस परियोजना के बांध सुरक्षा और सुधार निधि (डीआरआईएफ) के गठन के जरिए चुनींदा मौजूदा बांधों और उससे जुड़े अनुषंगों के सुरक्षा और इष्टतम सतत निष्पादन के सुधार का लक्ष्य है।

बांध सुरक्षा आश्वासन, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन परियोजना (डीएसएआरडीएमपी) के विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में सहभागी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 2 मई, 2005 को निम्नलिखित दो समितियों का गठन किया है:

सचिव, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति जिसमें सहभागी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव तथा जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, योजना आयोग आदि के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य हैं। यह समिति परियोजना के निरूपण और क्रियान्वयन में नीतिगत निदेश देगी तथा साथ ही साथ परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करेगी।

सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी समिति जिसमें सहभागी राज्य सरकारों के प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता तथा जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग आदि सदस्य हैं। तकनीकी समिति तकनीक संबंधी कार्यों को अंतिम रूप देगी तथा परियोजना के प्रगति की समीक्षा करने तथा राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति को आदान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों की कार्यान्वयन समितियों से सामंजस्य भी स्थापित करेगी।

बांध सुरक्षा के संबंध में किए जा रहे प्रयासों को अंतिम रूप देने के लिए अनेक अवसरों पर विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श किए गए थे। विश्व बैंक द्वारा दिनांक 27-7-2005 को एक ब्रेनस्टार्मिंग कार्यशाला की तैयारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। परियोजना का नाम बांध सुरक्षा आश्वासन, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन परियोजना (डीएसएआरडीएमपी) के स्थान पर बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) करने का निर्णय लिया गया था।

विश्व बैंक बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना तैयारी मिशन ने 12 से 22 नवम्बर, 2008 तक भारत का दौरा किया और केन्द्रीय जल आयोग तथा भागीदार राज्यों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। 13 भागीदार राज्यों में से केवल 11 राज्यों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार ने विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया था। विश्व बैंक द्वारा परिचालित स्मरण पत्र में 5 राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु को स्थायी राज्यों के रूप में शामिल करने का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) एक 6 वर्ष की परियोजना होगी जो लगभग अप्रैल, 2010 से शुरू होगी। इस परियोजना में अभिज्ञात बांधों के पुनर्वास और सुधार के संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के अतिरिक्त परियोजना के क्षेत्र में भागीदार राज्यों में सभी बड़े बांधों के सुरक्षित प्रचालन और अनुरक्षण के उपयुक्त संस्थागत तंत्रों का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय (ज.सं.म.) के तहत केन्द्रीय जल आयोग में राष्ट्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा निगरानी तथा दिशा-निर्देश संबंधी संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस परियोजना के तीन घटक हैं:

- (i) अनुमानतः 243 बांधों पर बांधों और उससे जुड़ी अनुषंगों का पुनर्वास और सुधार, परियोजना बांधों पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों पर प्रकाश डालना, इनमें से अधिकांश 25 वर्षों से अधिक पुराने हैं।
- (ii) बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण, बांध सुरक्षा आश्वासन के लिए नियामक और तकनीकी ढांचों पर प्रकाश डालना।
- (iii) परियोजना प्रबंधन – परियोजना के निरीक्षण और समन्वय का समग्र दायित्व का निर्वहन केन्द्रीय जल आयोग के सीडीएसओ में बांध सुरक्षा पुनर्वास निदेशालय द्वारा किया जाएगा। यह निदेशालय केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन एक (सीपीएमयू) के रूप में कार्य करेगा। इस निदेशालय को प्रबंधन एवं इंजीनियरी परामर्शी फर्म द्वारा सहायता मुहैया कराई जाएगी। प्रत्येक राज्य एसडीएसओ में एक परियोजना प्रबंधन यूनिट (एसपीएमयू) की स्थापना करेगा। राज्य स्तर पर परियोजना के समन्वय और प्रबंधन के लिए इस यूनिट की सीधे जिम्मेवारी होगी।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत 437.5 अमेरिकी डॉलर जिसे विश्व बैंक द्वारा वित पोषित किया जाना है। कुल अनुमानित लागत में से 80% की लागत विश्व बैंक द्वारा वित पोषित कराया जाएगा जबकि शेष 20% की लागत संबंधित राज्य सरकार और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वित पोषित कराया जाएगा।

(ii) XI ; kstuk ds vrxlr ck/k | j{kkl v/; ; u vklj vk; kstuk

XI पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में 10.00 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से "बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजन" नामक एक योजना स्कीम कार्यान्वयनधीन है। इस स्कीम के तहत केन्द्रीय जल आयोग में वर्तमान बांध सुरक्षा गतिविधियों को जारी रखने और केन्द्रीय जल आयोग में बांध सुरक्षा संबंधी तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार करने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान 0.523 करोड़ रु0 खर्च किया गया। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 1.60 करोड़ रु0 का बजट प्राक्कलन है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान मार्च, 2009 तक 0.9123 करोड़ रु0 खर्च किया गया।

(iii) IX ; kstuk rgr funs kd ¼, | , eMh½ ds fy, vol j puk fodkl

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत योजना स्कीमों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत तरीका अपनाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रस्तावित कार्य केन्द्रीय जल आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी विजन के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है और शामिल गतिविधियों में पूर्व योजना स्कीम के तहत प्रारंभ की गई प्राकृतिक प्रगति की गतिविधियों शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान 0.4677 करोड़ रु0 खर्च किया गया था। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए 2.352 करोड़ रु0 का बजट प्राक्कलन है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान मार्च, 2009 तक 0.5644 करोड़ रु0 खर्च किया गया।

ck/k | j{kkl vf/kfu; e

जल संसाधन मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा अनुमोदित बांध सुरक्षा अधिनियम – 2002 का मसौदा सभी राज्यों को परिचालित किया गया। राज्यों ने मसौदा अधिनियम के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया

व्यक्त की है। अब तक बिहार सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2006 पारित किया है और इसे दिनांक 4.5.2006 को बिहार के राजपत्र में प्रकाशित किया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 24.3.2007 को एक संकल्प पारित किया कि संसद द्वारा विधि के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य में बांध सुरक्षा संबंधी विधि निर्माण को विनियमित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दिनांक 24-7-2007 को एक संकल्प पारित किया कि भारत की संसद अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आवश्यक बांध सुरक्षा अधिनियम पारित करे। केरल सरकार ने केरल सिंचाई एवं जल संरक्षण अधिनियम, 2003 पारित किया जिसे बाद में केरल सिंचाई और जल संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से संशोधित किया गया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्य भी अपने संबंधित राज्य विधान-सभाओं में संकल्प पारित करने संबंधी प्रस्ताव की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

भारत सरकार ने बांध सुरक्षा संबंधी केन्द्रीय अधिनियम पारितकरने की कार्रवाई पहले ही प्रारंभ कर दी है।

j k"Vh; ck;k | j {kk | fefr ¼, u| hMh, | ½

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1987 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन किया गया था। यह समिति विषम परिस्थितियों में पुराने बांधों के लिए उपचारी उपायों हेतु अपनाई गई तकनीकों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है और बांध स्वामित्व वाले राज्यों/अभिकरणों को दिशा-निर्देश प्रदान करती है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की 29वीं बैठक दिनांक 12.12.2008 को आयोजित की गई थी।

unh ?kkVh i fj ; kstukvk dhl Hkdei h; vkJ uh o i gyvka dhl rduhdh tkp

विभिन्न राज्यों अर्थात् उत्तराखण्ड, सिविकम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और भूटानमें 11 नदी घाटी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नींव अभियांत्रिकी और भौगोलिक पहलुओं के संबंध में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु अध्ययन किए गए थे।

tyh; | j pukvk e a ; hhdj .k | ck;k i j ke' khZ | ok, a

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए यंत्रीकरण निर्माण आरेखों की आयोजना और तैयारी की गई :

(1)	मुल्ला पेरियार – बेबी बांध, तमिलनाडु	3 आरेख जारी किए गए
(2)	लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना, उत्तराखण्ड का हेड रेस टनल (4x150 मेंवा0)	1 आरेख जारी किया गया
(3)	लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना, उत्तराखण्ड के लिए बराज यंत्रीकरण (4x150 मेंवा0)	कार्य प्रगति पर है
(4)	लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना, उत्तराखण्ड के लिए ट्रांसफार्मर हाल कैवर्न यंत्रीकरण (4x150 मेंवा0)	कार्य प्रगति पर है
(5)	लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना, उत्तराखण्ड के लिए बटरफ्लाई वाल्व चैंबर यंत्रीकरण (4x150 मेंवा0)	कार्य प्रगति पर है
(6)	विद्युत गृह/ट्रांसफार्मर कैवर्न तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, उत्तराखण्ड का विद्युत गृह/ट्रांसफार्मर कैवर्न	1 आरेख जारी किया गया

(7)	तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, उत्तराखण्ड के लिए बराज यंत्रीकरण	कार्य प्रगति पर है
-----	---	--------------------

केन्द्रीय जल आयोग सलमा बांध परियोजना, अफगानिस्तान हेतु वाप्कोस, नई दिल्ली के लिए पुनरीक्षा परामर्शदाता है और इस संबंध में सलमा बांध परियोजना, अफगानिस्तान की चुट स्पिलवे यंत्रीकरण आरेख की जांच / पुनरीक्षा की गई और परियोजना प्राधिकारियों को टिप्पणियाँ भेजी गईं।

हिंदी: वृक्षोदयी जल आयोग सलमा बांध परियोजना, नई दिल्ली के लिए पुनरीक्षा परामर्शदाता है और इस संबंध में सलमा बांध परियोजना, अफगानिस्तान की चुट स्पिलवे यंत्रीकरण आरेख की जांच / पुनरीक्षा की गई और परियोजना प्राधिकारियों को टिप्पणियाँ भेजी गईं।

भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति, जिसे पहले नदी घाटी परियोजनाओं में जलीय संरचनाओं के अभिकल्प भूकम्पीय गुणांक का सुझाव देने संबंधी स्थाई समिति के नाम से जाना जाता था, का गठन जून, 1969 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था जिसमें विभिन्न तकनीकी संस्थाओं और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त का नाम बदल दिया गया और इसे अक्टूबर, 1991 में भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति को भेजी गई विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं की भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों को अन्तिम रूप देने के लिए इस समिति की बैठकों का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाता है।

वर्ष 2008–09 के दौरान, केन्द्रीय जल आयोग में दो बैठकें कमशः (xix और xxवीं) दिनांक 11–04–2008 और 23–09–2008 को आयोजित की गई थी। xixवीं बैठक में 19 परियोजनाओं के भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों पर विचार–विमर्श किया गया था और समिति ने 8 परियोजनाओं के लिए गुणांक और रेसपांस स्पेक्ट्रा अनुमोदित किया तथा 6 परियोजनाओं के लिए सशर्त अनुमोदन स्वीकृत किया। xxवीं बैठक में 14 परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी और समिति ने 4 परियोजनाओं के लिए गुणांक और रेसपांस स्पेक्ट्रा को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय जल आयोग समिति की 28वीं बैठक में प्रस्तावित सूचना प्रबंधन प्रणाली में बड़े बांधों के ऐतिहासिक (इंजीनियरी) आंकड़ों पर प्रकाश डालने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और ऐसे आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी दौरान, विभिन्न बांध सुरक्षा संगठनों द्वारा विभिन्न बांधों की स्वास्थ्य स्थिति को रिकार्ड करने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी गई है और अत्यधिक आंकड़ा सृजित किए जा रहे हैं और वार्षिक रूप से केन्द्रीय जल आयोग को भेजे जा रहे हैं। इन आंकड़ों से पुराने बांधों के पुनर्वास कार्यों को प्रारंभ करने में बहुत से कालमों में वृद्धि की संभावना है।

मानक प्रपत्र और नामावली के अनुसार संगठित रूप में बांधों के स्वास्थ्य और पुनर्वास से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण करने और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग इस समय बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास मानीटरी अनुप्रयोग (डीएचएआरएमए) संबंधी साफ्टवेयर को तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार के प्रबोधन अनुप्रयोग से न केवल बांध सुरक्षा संगठनों द्वारा एकत्र किए जा रहे भारी मात्रा के आंकड़ों के अर्थपूर्ण व्याख्या में सहायता मिलेगी बल्कि केन्द्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों के प्रभावी प्रबोधन और विविध सुधारात्मक और पुनर्वास उपायों को प्रारंभ करने में सहायता मिलेगी। साफ्टवेयर विकास कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा और इससे बांध सुरक्षा और पुनर्वास उपायों की नवीनतम तकनीकों की जानकारी के आदान–प्रदान की भारी संभावना है।

अब तक बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास प्रबोधन अनुप्रयोग के दो मोडूल तैयार कर लिए गए हैं। साफ्टवेयर का बीटा भाग बांध सुरक्षा संगठन को दिया गया है और विभिन्न बांधों से संबंधित आंकड़े तैयार किए गए हैं और उसे साफ्टवेयर में शामिल किया गया है।

5-3-4 i fj ; kst uk eW; kdu

वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत की गई 168 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की अभिकल्प एवं अनुसंधान संकंध में तकनीकी रूप से जांच की गई थी।

5-3-5 fo' ksk v/; u

बांध खराब होने की अप्रत्याशित स्थिति में आप्लावन मानचित्र और आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए बांध दरार का विश्लेषण किया जाता है। इसमें बांध की परिकल्पित विफलता की स्थिति में बांध के अनुप्रवाह स्थानों में अधिकतम जल स्तर का प्राक्कलन किया जाता है। डेनिश जलीय संस्थान, डेनमार्क द्वारा विकसित एक विमीय गणितीय मॉडल माईक-दो का प्रयोग करके परामर्शी आधार पर केन्द्रीय जल आयोग में बांध दरार विश्लेषण किया जा रहा है। वर्ष के दौरान औंकारेश्वर परियोजना (मध्य प्रदेश) और इन्दिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) का एकीकृत बांध दरार विश्लेषण प्रारंभ किया गया।

5-4 dInh; ty vk; kx iLrdky;

केन्द्रीय जल आयोग का पुस्तकालय एवं सूचना व्यूरो जल संसाधन इंजीनियरी और अन्य सम्बद्ध विषयों से संबंधित एक अत्यंत प्रतिष्ठित तकनीकी संदर्भ वाले पुस्तकालयों में से एक है। पुस्तकालय एवं सूचना व्यूरो इन्ट्रानेट पोर्टल संगम के मॉडुलों में से एक है जिसमें लगभग 26000 प्रकाशनों के डाटा बेस शामिल हैं। पुस्तकालय में 1.25 लाख से अधिक पुस्तकें और 3.50 लाख जर्नल/बुलेटिनें/समाचार पत्र/रिपोर्ट और अन्य प्रकाशनों का एक विस्तृत संग्रह है।

वर्ष 2008–09 के दौरान पुस्तकालय ने लगभग 70 भारतीय एवं विदेशी जर्नलों, स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, हिन्दी प्रकाशनों, तकनीकी पुस्तकों, मानकों के लिए अंशदान दिया/क्रय किया गया तथा विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों से सम्मान स्वरूप एक सौ तकनीकी/गैर-तकनीकी पत्रिकाएं/बुलेटिन/समाचार-पत्र/प्रकाशन भी प्राप्त हुए। पुस्तकालय ने केन्द्रीय जल आयोग के अन्य निदेशालयों से प्राप्त मॉग-पत्र के अनुसार उनके छोटे पुस्तकालय के लिए पुस्तकें/प्रकाशन भी उपलब्ध कराए हैं।

मार्च, 2008 में नए पुस्तकालय भवन में स्थानान्तरण होने के पश्चात् पुस्तकालय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। पुस्तकालय में पुस्तकों को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित रूप से रखा गया है, ताकि वांछित प्रकाशन को शीघ्र और आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब पुस्तकालय में पर्याप्त स्थान तथा उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत सुविधायें हैं, पुस्तकालय भूल, प्रथम तल और दूसरे तल तक फैला हुआ है। मानचित्र अभिलेख अनुभाग, जो पुस्तकालय एवं सूचना व्यूरो का एक यूनिट है, अब तीसरे तल पर

स्थित है। सेमिनार, कार्यशालाओं और बैठकें आदि के आयोजन के लिए पुस्तकालय भवन में एक प्रेक्षागृह और सम्मेलन कक्ष भी है।

vuc/k&5-1

o"kl 2008&09 ds nkjku vfkldYi , oa vuf lkku Ldk eI fdz i jke'khz i fj ; kst ukvk dhl
| iph

de ०	jkt; @ifj ; kst ukvk dk uke
	v. Meku , oa fudkckj }hi eug
1.	चौधरी नाला अर्थ डैम को ऊँचा उठाना (डीपीआर)
2.	इंदिरा नाला जल आपूर्ति स्कीम(निर्माणाधीन)
3.	आर के पुर (निर्माणाधीन)
4.	कमसरट जल आपूर्ति स्कीम(निर्माणाधीन)
5.	बैम्बू फ्लैट जल आपूर्ति स्कीम (निर्माणाधीन)
6.	चौधरी नाला परियोजना (निर्माणाधीन)
7.	कमसरट नाला जल आपूर्ति स्कीम (डीपीआर)
	vkdkz ins'k
8.	इन्दिरा सागर (पोलावरम) परियोजना (निर्माणाधीन)
	v: .kkpy ins'k
9.	कामेंग जल विद्युत परियोजना (निर्माणाधीन)
10–18	न्यूरानांग चु लघु जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)– 9 परियोजनाएं
19	न्यूकचरांग चु जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
20	तवांग चु जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
21	लोहित बांध परियोजना (डीपीआर)
22	जियाधल बहुउद्देशीय परियोजना (डीपीआर)
	vl e
23	बारभाग जल निकास विकास स्कीम – स्लूइस रेगुलेटर (निर्माणाधीन)
24	कार्बी लांगपी जल विद्युत परियोजना (निर्माणाधीन)
25	अमजूर जल निकास विकास स्कीम (निर्माणाधीन)
26	पगलादिया बांध परियोजना (निर्माणाधीन)
	fcgkj
27	दुर्गावती जलाशय स्कीम (निर्माणाधीन)
28	पश्चिमी कोसी मुख्य नहर (निर्माणाधीन)
29	तिरहुट मुख्य नहर, वाल्मीकीनगर (निर्माणाधीन)
30	सोन पश्चिमी-पूर्वी संपर्क नहर (निर्माणाधीन)
	NRrhI x<+
31	सूखा नाला बराज परियोजना (निर्माणाधीन)

32	कर्ता नाला बराज परियोजना (निर्माणाधीन)
33	घुमराइया नाला बराज परियोजना (निर्माणाधीन)
34	सुतियापत मध्यम परियोजना (निर्माणाधीन)
35	घुमराइया बराज परियोजना (निर्माणाधीन)
	<i>fnYyḥ</i>
36	पल्ला बराज (निर्माणाधीन)
	<i>xkɔk</i>
37	ओपा बराज(निर्माणाधीन)
	<i>xqtjkr</i>
38	सरदार सरोवर परियोजना (निर्माणाधीन)
39	दमन गंगा पिंजल परियोजना (डीपीआर)
	<i>fgekpy i nṣk</i>
40	सेली जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
41	रओली जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
42	रामपुर जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
	<i>tEew , oə d' eɪj</i>
43	परनाई जल विद्युत परियोजना (निर्माणाधीन)
44	किरथई जल विद्युत परियोजना चरण—दो (डीपीआर)
45	तुलबल नौवहन परियोजना (निर्माणाधीन)
46	बगलिहार परियोजना (निर्माणाधीन)
47	चेक बांध यख नाला बीएडीपी परियोजना (निर्माणाधीन)
	<i>>kj [k. M</i>
48	अमानत बराज (निर्माणाधीन)
49	गरही जलाशय परियोजना (निर्माणाधीन)
50	तेनूधाट बांध रेडियल केस्ट गेट्स (स्वचालन)(निर्माणाधीन)
51	गुमानी बराज (निर्माणाधीन)
52	बाल पहारी परियोजना (निर्माणाधीन)
	<i>dukʌd</i>
53	लाकिया टेलिंग बांध (निर्माणाधीन)
54	कोचिघ होल अर्थ डैम (निर्माणाधीन)
	<i>e/; i nṣk</i>
55	बाण सागर परियोजना (निर्माणाधीन)
56	माही मुख्य बांध (निर्माणाधीन)
57	कुटनी पोषक जलाशय बांध (निर्माणाधीन)
58	कुशालपुरा बहुउद्देशीय परियोजना (निर्माणाधीन)

59	सिंध परियोजना (चरण—दो) माडीखेड़ा बांध (निर्माणाधीन)
60	अपर बेड़ा परियोजना (निर्माणाधीन)
61	हैलन परियोजना (निर्माणाधीन)
62	पेंच घाटी ग्रुप जल आपूर्ति स्कीम (निर्माणाधीन)
63	अपर नर्मदा परियोजना (निर्माणाधीन)
64	पेंच डायवर्जन परियोजना (डीपीआर)
65	अटारिया परियोजना (डीपीआर)
66	मोरांड परियोजना (डीपीआर)
67	बार्गी डायवर्जन परियोजना (आरबीसी) नहर सायफन (निर्माणाधीन)
68	दुधी परियोजना(डीपीआर)
69	जोबट परियोजना(निर्माणाधीन)
70	पुनासा लिफ्ट(डीपीआर)
71	लोअर गोई परियोजना (निर्माणाधीन)
72	केन—बेतना संपर्क परियोजना (डीपीआर)
73	ओंकारेश्वर परियोजना यूनिट—दो नहर (निर्माणाधीन)
74	संजय सागर (बीएएच) परियोजना (डीपीआर)
75	इन्द्रिया सागर परियोजना यूनिट—दो नहर (निर्माणाधीन)
76	मान परियोजना (निर्माणाधीन)
77	बुधनेर परियोजना (डीपीआर)
78	गंजल परियोजना (डीपीआर)
79	मच्छरेवा परियोजना (डीपीआर)
80	शेर परियोजना (डीपीआर)
81	शुक्कर परियोजना (डीपीआर)
82	बुलकुद नहर साइफन (निर्माणाधीन)
83	यशवंत सागर बांध (निर्माणाधीन)
	egkj k"V'
84	नार्थ कोयल बांध (निर्माणाधीन)
85	के.टी.वीयर मल्कापुर (डीपीआर)
86	वानस्पी मध्यम परियोजना (डीपीआर)
87	अपर कुण्डलिका मध्यम परियोजना (डीपीआर)
	ef. ki j
88	खुगा बहुउद्देशीय परियोजना (निर्माणाधीन)
89	थौबल बहुउद्देशीय परियोजना (निर्माणाधीन)
90	इरंग जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
91	धोलाईथाबी बैराज परियोजना (डीपीआर)

	e ^ɛ kky;
92	मइंटडु जल विद्युत परियोजना (निर्माणाधीन)
93	मइंटडु जल विद्युत परियोजना – चरण–दो (डीपीआर)
94	कुलसी जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
95	जाडूकाटा जल विद्युत परियोजना – चरण एक एवं दो (डीपीआर)
96	गानोल जल विद्युत परियोजना (निर्माणाधीन)
97	न्यू उमत्रू जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
98	उमंगाट जल विद्युत परियोजना(डीपीआर)
	fetkje
99	कोलोडाइन जल विद्युत परियोजना(चरण–एक)(निर्माणाधीन)
100	तुइवल जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
101	तुइरिनी जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
102	तुइचांग जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
	mMll k
103	आनंदपुर बराज परियोजना(निर्माणाधीन)
104	जुरानाला एवं इन्द्रावती नदियों पर नियंत्रण संरचनाएं(निर्माणाधीन)
	f=i ġ k
105	मानू मध्यम सिंचाई परियोजना(निर्माणाधीन)
106	कलासी बैराज (निर्माणाधीन)
107	चम्पाईचेरा बांध परियोजना(निर्माणाधीन)
108	हावड़ा बांध परियोजना(निर्माणाधीन)
	rfeyukMq
109	मुल्ला पेरियार बेबी बांध (निर्माणाधीन)
	mRrjk[k.M
110	टिहरी बांध परियोजना(निर्माणाधीन)
111	तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना – एनटीपीसी(निर्माणाधीन)
112	टिहरी बांध परियोजना(निर्माणाधीन)
113	कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
114	लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
115	टिहरी पम्प्ड भंडारण स्कीम संयंत्र(निर्माणाधीन)
116	किशाऊ जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
	fons kh i fj ; kst uk, a
	vQxkfufLrklu
117	सलमा बांध परियोजना(निर्माणाधीन)
	Hkw/ku

118	पुनातसंगचू चरण— जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
119	सनकोश बहुउद्देशीय परियोजना (डीपीआर)
120	पुनातसंगचू चरण— जल विद्युत परियोजना (डीपीआर)
121	चेनारी लघु जल विद्युत स्कीम(निर्माणाधीन)
122	जिस्टा लघु जल विद्युत परियोजना(निर्माणाधीन)
123	खालंजी लघु जल विद्युत स्कीम(निर्माणाधीन)
124	खालिंग लघु जल विद्युत स्कीम(निर्माणाधीन)
125	लुंटशी लघु जल विद्युत स्कीम(निर्माणाधीन)
126	चुखा डामचू राजमार्ग परियोजना(निर्माणाधीन)
127	थिम्पू लघु जल विद्युत स्कीम(निर्माणाधीन)
128	वांगडी लघु जल विद्युत स्कीम(निर्माणाधीन)
	uɪ̯ ky
129	सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (डीपीआर)
130	सनकोसी बांध (डीपीआर)
131	पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (डीपीआर)
132	सन कोसी भंडारण—सह—डायवर्जन स्कीम (डीपीआर)
	fo' kɔk eL; kvkɔ okyh i fj ; kst uk, a
	vklkz i nɔk
1	नेराडी बराज
	f cgk j
2	डगमारा जल विद्युत परियोजना
	f gekpy i nɔk
3	पंडोह बांध
	egkj k"V ⁱ
4	शिवसागर बांध
	e/; i nɔk
5	केन—बेतवा संपर्क परियोजना — एनडब्ल्यूडीए
	i atk c
6	रंजीत सागर बांध
	jkt LFkku
7	लहासी सिंचाई परियोजना
	mRrj i nɔk
8	मटाटिला बांध
	Jhydk
9	सेनानायक समुद्र जलाशय

v/; k; & 6

ty i ckku] tyk'k; vol knu ,o a i fj ; kst uk i ' pkr~eW; kd u

6-1 tyk'k; l p; u dk i ckku

वर्ष 2008–09 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग ने 151.77 बीसीएम की कुल सक्रिय संचयन क्षमता वाले देश के 81 महत्वपूर्ण जलाशयों के संचयन का प्रबोधन किया है। जिसे तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

rkfydk 6-1

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की संचयन स्थिति

(संचयन बीसीएम में)

fooj . k		ty o"kl	
		2007&08 31 rd	2008&09 31 ekpl rd
प्रबोधन किए जा रहे जलाशयों की संख्या	81	81	
एफ आर एल पर कुल अभिकलिप्त सक्रिय संचयन	151.77	151.77	
01 जून को (जल वर्ष के प्रारम्भ से)	संचयन(बीसीएम) एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में 10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	31.12 21 152	29.495 19 139
30 सितम्बर तक (मानसून अवधि के अंत तक)	संचयन(बीसीएम) एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में 10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	124.15 82 124	114.262 75 112
मार्च 31 तक	संचयन(बीसीएम) एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में 10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	48.39 32 125	36.247 24 95

44 और परियोजनाओं(प्रत्येक 0.250 बीसीएम अथवा इससे अधिक की भण्डारण क्षमतावाली) जलाशयों को प्रबोधन प्रणाली में शामिल करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। प्रत्येक सप्ताह जलाशयों के संचयन स्थिति पर एक बुलेटिन जारी की जा रही है। इस साप्ताहिक बुलेटिन में पिछले वर्ष की इसी

अवधि पर संचयन स्थिति की तुलना में चालू वर्ष की संचयन स्थिति और इसी अवधि पर पिछले 10 वर्षों का औसत दिया जाता है। बुलेटिन में दी गई सूचना का उपयोग जलाशयों में जल की उपलब्धता पर आधारित फसल आयोजना कार्यनीति की समीक्षा करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित फसल मौसम निगरानी दल द्वारा भी किया जा रहा है।

6-2 dkojh ty clyfVu

कावेरी बेसिन में पांच महत्वपूर्ण जलाशयों के संचयन स्थिति का भी साप्ताहिक रूप में प्रबोधन किया जा रहा है और प्रत्येक सप्ताह एक बुलेटिन जारी किया जा रहा है। इस बुलेटिन में कर्नाटक राज्य के चार जलाशयों(काबिनी, हेमावती हररंगी, कृष्णराजा सागर) और तमिलनाडु (मेत्तूर) राज्य के एक जलाशय में अभिकल्पिक सक्रिय संचयन क्षमता, चालू वर्ष, पिछले वर्ष का सक्रिय संचयन और गत वर्ष एवं संबंधित सप्ताह के पिछले 10 वर्षों का औसत दिया जाता है। बार चार्ट में (i) कावेरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार मासिक साप्ताहिक प्रवाह केन्द्रीय जल आयोग के बिल्लीगुंडलु जी एण्ड डी स्थल पर मेत्तूर जलाशय के प्रतिप्रवाह और मेत्तूर जलाशय के अंतर्वाह में मासिक/साप्ताहिक प्रेक्षित प्रवाह और (ii) कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में चार जलाशयों की संयुक्त संचयन स्थिति भी बुलेटिन में दी गई है। ऐसी चार बुलेटिनें प्रत्येक महीने जारी की गई। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में आयोजित कावेरी प्रबोधन समिति की बैठक के लिए भी विशेष बुलेटिन तैयार की गई थी।

6-3 ty foHkktd i cku , o tyk'k; vol knu

6-3-1 n'sk e legRoi w k tyk'k; k dh I o k.k {kerk

जलाशयों की क्षमता सर्वेक्षण एक सतत रूप से चलने वाली योजना है जिसे आठवीं योजना के दौरान शुरू किया गया था और ix एवं x योजना तक जारी रही।

x योजना के अंत तक कुल 13 जलाशयों का सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण किया गया है और अन्य तीन जलाशयों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

xi योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिनांक 20–02–2008 को 410.00 लाख रु0 की अनुमानित लागत से क्षमता सर्वेक्षण के तहत 20 अन्य जलाशयों को शामिल करने के लिए एक एसएफसी ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपर्युक्त 20 जलाशयों में से 5 नए जलाशयों के सर्वेक्षण कार्य के प्रस्ताव को पूरा किया जा रहा है।

6-3-2 okVj 'kM i cku vkj ty | p; u | ckh fLFkfr fj i kVz

विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में वाटरशेड प्रबंधन क्रियाकलापों की चालू स्थिति को दर्शाते हुए वर्ष 2004–05 के दौरान वाटरशेड प्रबंधन और जल संचयन पर स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। वाटरशेड प्रबंधन और जल संचयन की दूसरी स्थिति रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है।

6-4 ty | d k/ku fodkl rFkk i cku e nijLFk | vnu

जैसा कि नीचे दिया गया है दूरस्थ संवेदी निदेशालय में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो विभिन्न योजना स्कीमों में प्रत्येक एक घटक है :-

- जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम नामक स्थीकृत योजना स्कीम के तहत दूरस्थ संवेदी तकनीक का प्रयोग करते हुए जलाशयों में अवसादन का अनुमान।
- जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास नामक स्कीम के तहत जल विभाजक नक्शों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का निर्माण।

वर्ष 2008–09 के दौरान किए गए कार्यों की प्रगति निम्नवत है :—

1. वर्ष 2008–09 के दौरान, चार (04) जलाशयों (अर्थात् इन्द्रावती, शोलायर, इदमालयर और बार्गी जलाशय) का उपग्रह दूरस्थ संवेदी आधारित जलाशय अवसादन अध्ययन पूर्ण किया गया। इनमें से एक शोलायर जलाशय का इन हाउस अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है। दो जलाशयों की मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को टिप्पणियों/प्रेक्षणों के लिए परिचालित किया गया तथा शेष एक का अध्ययन प्रगति पर है। वर्ष 2008–09 के दौरान सुक्ता जलाशय (स्पिलओवर 2007–08) और दांतीवाड़ा जलाशय के दो अध्ययन भी पूरे किये गये।

25 जलाशयों का दूरस्थ संवेदी तकनीक का प्रयोग करते हुए जलाशयों में अवसादन आकलन का कार्य आरआरएसएससी—इसरो, जोधपुर को सौंपा गया। 25 जलाशयों में से, 12 जलाशय व्यवहार्य पूर्ण पाए गए और परामर्शदाता द्वारा सभी जलाशयों की मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मसौदा रिपोर्टों की जाँच की जा रही है।

2. 11वीं योजना के दौरान वेब आधारित जल संसाधन सूचना प्रणाली(डब्ल्यूआरआईएस) के विकास का कार्य आरआरएसएससी—इसरो, जोधपुर को सौंपा गया है। इस सूचना प्रणाली के तहत 30 जीआईएस लेयरों का विकास किया जाएगा। जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के लिए केन्द्रीय जल आयोग और इसरो के मध्यम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसरो को 16.59 करोड़ रु0 की राशि जारी की गई है और कार्य प्रगति पर है।

6-5 njLFk | vnlh rduhd dk i; kx dj rs gq ty xl llurk@yo.krk@{kkjh; i Hkkfor {ks=ka dks vflhkKkr dj uKA

जल ग्रसन्नता, लवणता एवं क्षारीयता के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय के कार्यकारी दल की 1991 के रिपोर्ट के आंकड़ों की स्थिति को अद्यतन करने के उद्देश्य से दूरस्थ संवेदन तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरे भारत में सभी बृहद और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई कमानों में जल ग्रसन्नता और लवणता और/अथवा क्षारीयता प्रभावित क्षेत्रों का आकलन अक्तूबर, 2003—जून, 2008 के दौरान एक अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदन सेवा केन्द्र, जोधपुर के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। अध्ययन के तीसरे तथा चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू व कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई। इस संबंध में सभी 23 रिपोर्टों की जून, 2009 में पूरा होने की संभावना है।

6-6 fu"i knu eW; kdu v/; u

केन्द्रीय जल आयोग को पश्च परियोजना निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है, जिसमें 10वीं योजना के दौरान परामर्शदाताओं के माध्यम से पूर्ण की गई बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रणाली निष्पादन, कृषि आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन शामिल हैं। नौ परियोजनाओं अर्थात् समाट अशोक सागर(मध्य प्रदेश), कांची वियर (झारखण्ड), साल्की(उड़ीसा), सुकला(অসম), चन्दन जलाशय (बिहार), इतियादोह (महाराष्ट्र), कोडयार (तमिलनाडु),

लोकतक (मणिपुर) और नानक सागर (उत्तर प्रदेश) के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन किया गया था। इन सभी परियोजनाओं का अध्ययन वर्ष 2007–08 के दौरान जारी रहा। कांची वियर और सप्राट अशोक सागर की अंतिम रिपोर्ट, चन्दन जलाशय, नानक सागर, कोडयार और इतिदोह की अंतिम मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पांच परियोजनाओं की निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकें वर्ष 2007–08 के दौरान आयोजित की गई थीं। 11वीं योजना में सात अन्य सिंचाई परियोजना का मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है।

6-7 fl pkbz i fj ; kst ukvk dhl cpekfdlk

कुछ समय से विकसित देशों में जल इंडस्ट्री में बैंचमार्किंग का उपयोग हो रहा है। भारत में सिंचाई के क्षेत्र में अब इस अवधारणा को प्रबंधन साधन के रूप में मान्यता मिल रही है। तदनुसार, सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कोर ग्रुप भारत में सिंचाई प्रणालियों की बैंचमार्किंग के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समन्वयकर्ता तथा सुसाध्यकर्ता के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभिन्न राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों की सुविधा के लिए सिंचाई परियोजनाओं की बैंचमार्किंग पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय परियोजना स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सिंचाई परियोजनाओं की बैंचमार्किंग पर प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला, हैदराबाद में फरवरी, 2002 में आयोजित की गई तत्पश्चात् 7 क्षेत्रीय कार्यशालाएं तथा 4 परियोजना स्तर की कार्यशालाएं देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गई हैं।

- ty ys[kk&i j h{kk vkj ty | j {k. k | c/kh fn'kk&fun{k

जल लेखा—परीक्षा, जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन पर कार्य करने वाले विभिन्न केंद्रीय सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, एनजीओ आदि के विचारों को ध्यान में रखते हुए जल लेखा—परीक्षा तथा जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशा—निर्देश बनाए हैं। इन दिशा—निर्देशों को केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है (www.cwc.nic.in)।

6-8 ty mi ; kx dflkyrk dk v/; u

सिंचाई वाले ताजे जल का सबसे बड़ा (लगभग 83 प्रतिशत) उपभोक्ता है और सिंचाई में किसी प्रकार का सुधार करना जल आपूर्ति के नए स्त्रोत के सृजन करना के समान परियोजना है, जिसका उपयोग जल की विभिन्न प्रकार की बढ़ती मांगों को पूरा करने में किया जा सकता है। जल उपयोग की क्षमताओं में प्रायः बहुत कमी है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः यह प्रस्ताव है कि सभी वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं में जल उपयोग कुशलता से संबद्ध डाटा बैंक निर्मित किया जाए।

अध्ययन में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :—

- जलाशय भराव क्षमता (अन्तर्वाह एवं निर्मुक्त पद्धति)
- आपूर्ति प्रणाली/वाही क्षमता
- फार्म पर अनुप्रयोग क्षमता

- iv) अपवहन क्षमता
- v) सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता

यह प्रस्ताव है कि कुछ चयनित सिंचाई परियोजनाओं के उपर्युक्त अध्ययन प्रारंभ में किए जाएं तथा परामर्शदाताओं के माध्यम से मुख्यतः जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान/सिंचाई प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान/नेरीवालम के माध्यम से धीरे-धीरे देश की सभी वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं को शामिल किया जाए। इस मामले में, उपर्युक्त अध्ययनों के आयोजन की देख-रेख करने एवं दिशा-निर्देश देने के लिए सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गई थी। इन अध्ययनों को अब तक पूरे देश की 57 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर किया गया। इन 57 अध्ययनों में 43 अध्ययन स्वीकार्य योग्य पाए गए और इन्हें जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया। वाल्मीस/अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त 35 मसौदा अंतिम रिपोर्टों पर तकनीकी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक में चर्चा की गई थी। 38 अंतिम रिपोर्टों में से 30 रिपोर्टों की जांच की गई जिसे 2 एवं 3 फरवरी, 2009 को आयोजित कोर ग्रुप की 11वीं बैठक में कोर ग्रुप द्वारा अनुमोदित किया गया।

6.9 ty ys[kk&i j h{kk v{kj ty | j {k.k

जल लेखा—परीक्षा, जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन पर कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, एनजीओ आदि के विचारों को ध्यान में रखते हुए जल लेखा—परीक्षा तथा जल संरक्षण के लिए सामान्य दिशा-निर्देश बनाए हैं। इन दिशा-निर्देशों को केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है (www.cwc.nic.in)।

v/; k; &7

i fj ; kst ukvka dk eW; kdu

7-1 i fj ; kst uk eW; kdu

केन्द्रीय जल आयोग को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक कार्य है, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना। इस कार्य का निष्पादन एवं समन्वय परियोजना मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता है। परियोजना को तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता स्थापित करने के पश्चात सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति स्वीकृति के लिए परियोजनाओं पर विचार करती है और तत्पश्चात इसे योजना आयोग की निवेष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईई) द्वारा आरईसी स्वीकृत हेतु राज्य विद्युत बोर्ड/निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में जल विज्ञान, सिविल डिजाइन, अन्तर-राज्यीय मुद्दों और लागत की दृष्टि से जांच की जाती है तथा थर्मल परियोजनाओं की कूलिंग और अन्य प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता की व्यवस्था के लिए जांच की जाती है। इन विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करता है। राज्य सरकारों/शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजे जाने पर जल आपूर्ति योजनाओं के तकनीकी पहलुओं की जांच की जाती है।

वृहद, मध्यम सिंचाई और जल संसाधन समेकन परियोजनाओं, जो विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, के संबंध में एक मुख्य अभियंता के अधीन परियोजना तैयारी संगठन इसी प्रकार का कार्य करता है।

7-2 jk"Vh; i fj ; kst uk, a

केंद्र सरकार ने 14 जल संसाधन परियोजनाओं नामशः (1) तीस्ता बराज (पश्चिम बंगाल), (2) शाहपुर कांडी (पंजाब), (3) बुरसर (जम्मू एवं कश्मीर), (4) द्वितीय रावी व्यास संपर्क (पंजाब), (5) उझ बहुउद्देशीय परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर), (6) जिप्सा परियोजना (हिमाचल प्रदेश), (7) लखवर व्यासी (उत्तराखण्ड), (8) किसाऊ (हिमाचल प्रदेश/उत्तरांचल), (9) रेणुका (हिमाचल प्रदेश), (10) नोआ-देहांग बांध परियोजना (अरुणाचल प्रदेश), (11) कुलसी बांध परियोजना (অসম), (12) ऊपरी सियांग (अरुणाचल प्रदेश), (13) गोसीखुर्द (महाराष्ट्र) एवं (14) केन बेतवा (मध्य प्रदेश) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। इन परियोजनाओं के लिए सिंचाई, पेयजल घटक की 90% परियोजना लागत केंद्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जानी है।

jk"Vh; ty | d k/ku i fj ; kst ukvka dh | ph

Øe a; k	i fj ; kst uk dk uke	1½ fI pkbz ½gs½ 2½ fo r ½esok-½ 3½ HKMkj . k ¼, e, , Q½	j kT;
1.	तीस्ता बैराज	1) 9.23 लाख 2) 1000 मे.वा. 3) बैराज	पश्चिम बंगाल
2.	शाहपुर कांडी	1) 3,80 लाख 2) 300 मे.वा. 3) 0.016 एमएफ	पंजाब
3.	बुरसर	1) 1 लाख (अप्रत्यक्ष) 2) 1230 मे.वा. 3) 1 एमएफ	जम्मू एवं कश्मीर
4.	द्वितीय रावी व्यास संपर्क	सीमा के साथ बहते हुए लगभग 3 एमएफ जल	पंजाब

		का प्रयोग	
5.	उझ बहुउद्देशीय परियोजना	1) 0.32 लाख हे. 2) 280 मे.वा. 3) 0.66 एमएएफ	जम्मू एवं कश्मीर
6.	जिष्या परियोजना	1) 0.50 लाख हे. 2) 240 मे.वा. 3) 0.6 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश
7.	लखवर व्यासी	1) 0.49 लाख हे. 2) 420 मे.वा. 3) 0.325 एमएएफ	उत्तरांचल
8.	किसाऊ	1) 0.97 हे. 2) 600 मे.वा. 3) 1.04 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश / उत्तरांचल
9.	रेणुका	1) पेयजल 2) 40 मे.वा. 3) 0.44 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश
10.	नोआ—देहांग बांध परियोजना	1) 8000 हे. 2) 75 मे.वा. 3) 0.26 एमएएफ	अरुणाचल प्रदेश
11.	कुलसी बांध परियोजना	1) 23900 हे. 2) 29 मे.वा. 3) 0.28 एमएएफ	অসম
12.	ऊपरी सियांग	1) अप्रत्यक्ष 2) 9500 मे.वा. 3) 17.50 एमएएफ 4) बाढ़ नियंत्रण	अरुणाचल प्रदेश
13.	गोसीखुर्द	1) 2.50 लाख 2) 3 मे.वा. 3) 0.93 एमएएफ	महाराष्ट्र
14.	केन बेतवा	1) 6.46 लाख 2) 72 मे.वा. 3) 2.25 एमएएफ	मध्य प्रदेश

7-3 ogr fl pkbl i fj ; ktukvka dk ew; kdu

केन्द्रीय जल आयोग के विशिष्ट निदेशालयों तथा जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण एवं वन तथा जनजातीय मामलों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में 10,000 हैक्टेयर से अधिक कृष्य कमान क्षेत्र वाली वृहत सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना के मामले में विद्युत घटकों की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जाती है। राज्य विकास योजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की संवीक्षा और जांच तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति संबंधी मौजूदा प्रक्रिया को संशोधित किया गया है एवं इसे सरल बनाया गया है। अब, मूल आयोजना पहलुओं को शामिल करते हुए तैयार की गई संक्षिप्त प्रारंभिक रिपोर्ट की पहले जांच की जाती है और प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की "सैद्धांतिक" सहमति को सूचित किया जाता है। पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं संबंधी स्वीकृतियों तथा राज्य वित्त आदि की सहमति प्राप्त करनी होती है और उसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा एक बार स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात योजना आयोग से शीघ्र निवेश स्वीकृति प्राप्त हो सके और योजना को विभिन्न स्रोतों से विभिन्न स्वीकृतियों के लिए प्रतीक्षा किए बिना प्रारंभ किया जा सके। संशोधित दो चरणीय स्वीकृति प्रक्रिया अक्तूबर, 2001 से लागू है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान परियोजना मूल्यांकन संगठन में 68 नई वृहद एवं 43 संशोधित वृहद सिंचाई

परियोजनाएं मूल्यांकनाधीन थीं। 2 वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की सैद्धांतिक रूप में सहमति सूचित की गई थी। नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला पाई चार्ट चित्र 7.1 में दिया गया है।

ew; kduk/khu ubl ogn i fj ; kstukvka dk jkT; &okj forj .k
1/2008&09 ds nkjku% dly i fj ; kstuk, & 68

तमिलनाडु (2), राजस्थान (3), पंजाब (7), उड़ीसा (2), नागार्लेंड (1), महाराष्ट्र (11), मध्यप्रदेश (4), केरल (2), कर्नाटक (4), झारखंड (5), हिमाचल प्रदेश (1), हरियाणा (4), छत्तीसगढ़ (3), बिहार (4), आंध्रप्रदेश (8), उत्तराखण्ड (1), उत्तरप्रदेश (5)

f

p=
7-1
ew;

kduk/khu ubl ogn i fj ; kstukvka dk jkT; &okj forj .k
1/31-3-2009 rd%

7-4 e/; e fl pkbl i fj ; kstukvka dk ew; kdu

मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (2000 से 10,000 हैक्टेक. कृ.क्षे.) के लिए राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय संगठनों के मूल्यांकन एवं प्रबोधन यूनिटों को केवल प्रोफार्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मूल्यांकन के लिए शेष प्रक्रिया पैरा 7.3 के अनुसार ही होती है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 58 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जा रहा था जिसके लिए परियोजना मूल्यांकन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। मूल्यांकन के पञ्चात परियोजना मूल्यांकन संगठन द्वारा परियोजनाओं को सलाहकार समिति के विचारार्थ एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला पाई चार्ट चित्र 7.2 में दिया गया है।

fp= 7-2 ew; kduk/khu ubl e/; e i fj ; kstuk, a 1/2008&09 ds nkjku%
dly i fj ; kstuk, &58

मध्य प्रदेश (1), केरल (2), कर्नाटक (6), झारखंड (1), जम्मू एवं कश्मीर (3), हिमाचल प्रदेश (2), हरियाणा (1), छत्तीसगढ़ (2), असम (1), अरुणाचल प्रदेश (2), आंध्र प्रदेश (2) उत्तर प्रदेश (2), राजस्थान (4), पंजाब (1), उड़ीसा (3), मणिपुर (1), महाराष्ट्र (24)

fp= 7-2 मूल्यांकनाधीन नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार वितरण (31.03.2009 तक)

7-5 jkT; @i fj ; kstuk i kf/kdkfj ; ka ds | kfk ijLij &okrkz

सिंचाई परियोजनाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारी, राज्य सरकार के इंजीनियरों के साथ बारंबार विचार-विमर्श करते हैं और परियोजना स्वीकृति संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अन्तर्राज्यीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे राज्य केन्द्रीय अभिकल्प संगठन के जरिए परियोजनाओं पर कार्रवाई करें और राज्य स्तरीय बहुविषयी समिति का गठन करें ताकि केन्द्र द्वारा संवीक्षा के कार्य क्षेत्र और सीमा को कम किया जा सके।

नवम्बर, 1987 में जल संसाधन मंत्रालय ने सिंचाई, बहुउद्देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है जिसके अध्यक्ष, सचिव, (जल संसाधन) हैं और मुख्य अभियंता (परियोजना मूल्यांकन संगठन), केन्द्रीय जल आयोग इसके सदस्य—सचिव हैं। इस समिति को केन्द्रीय जल आयोग में संवीक्षा किए गए प्रस्तावों की जांच करने तथा परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी निर्णय की सूचना देने का कार्य सौंपा गया है। वर्ष 2008–09 के दौरान सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की दिनांक 22.05.2008, 09.07.2008, 20.01.2009, 16.02.2009 तथा 27.03.2009 को बैठक आयोजित की गई और 35 परियोजनाओं पर विचार किया गया जिसमें से 1 परियोजना आस्थगित कर दी गई तथा 34 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिसमें 15 प्रमुख, 7 मध्यम सिंचाई और 12 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं। तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

वर्ष 2008–09 के दौरान सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत इन 34 परियोजनाओं में से 22 सिंचाई परियोजनाएं हैं जो असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में 33,98,594 हैक्टेयर का अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई लाभ उपलब्ध कराएंगी। बिहार, झारखण्ड, असम तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में 12 बाढ़ नियंत्रण स्कीमें 121,83,601 हैक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण उपलब्ध कराएंगी जिससे सालाना औसत लगभग 1091.30 करोड़ रुपये बचत होगी। चालू वर्ष के दौरान तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य—वार वितरण को दर्शाने वाला पाई चार्ट चित्र 7.3 में दिया गया है। तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

fp= 7-3 ty | d k/ku e=ky; dh | ykgdkj | fefr }kj k Lohdr ifj ; kst uk, a 1/2008&09
ds nkj ku%
dy ifj ; kst uk, &34

उड़ीसा (1), महाराष्ट्र (8), मध्य प्रदेश (1), जम्मू और कश्मीर (1), हिमाचल प्रदेश (1), छत्तीसगढ़ (1), बिहार (7), असम (5), आंध्र प्रदेश (2), पश्चिम बंगाल (1), उत्तर प्रदेश (2), पंजाब (1), हरियाणा (1), केरल (2)

fp= 7-3 ty | d k/ku e=ky; dh | ykgdkj | fefr }kj k Lohdr ifj ; kst ukvks dk
jkT; okj forj .k 1/31-03-2009 rd%

fp= 7-1 rduhdhI | ykgdkj | fefr }kjk Lohdr vkj ; kstu k vk; kx }kjk vupekfnr
i f; kstu vka dh | ph

क्र. सं.	बैठक की संख्या	बैठक की तिथि	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वृहद्/मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	हेवटेयर/मेगा 1 वाट में लाभ	योजना आयोग की स्वीकृति की तिथि
1	93वीं	22.05.2008	उड़ीसा समेकित एवं जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (ओआईआईएडब्ल्यूएमआईपी)– द्रांच-1 के) महानदी चित्रोपोला सिंचाई परियोजना (संशोधित) ख) तालाडंडा मुख्य नहर परियोजना (ईआरएम) का सुधार ग) गोहिरा सिंचाई परियोजना (ईआरएम) का सुधार घ) रेमल सिंचाई परियोजना (ईआरएम) का सुधार ड.) सुनई सिंचाई परियोजना (ईआरएम) का सुधार	उड़ीसा	वृहद्	395.45	25160	08.08.08
				उड़ीसा	वृहद्	101.32	53602	
				उड़ीसा	मध्यम	23.10	12456	
				उड़ीसा	मध्यम	12.57	5607	
				उड़ीसा	मध्यम	25.93	14159	
2	93वीं	22.05.2008	कुदाली सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	271.79	8480	
3	93वीं	22.05.2008	नई प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	47.60	13309	
4	93वीं	22.05.2008	खेपुर, रघोपुर, अकीदतपुर गांवों को गंगा नदी से बचाने के लिए कटावरोधी योजना	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	23.5581	–	04.08.08
5	93वीं	22.05.2008	गंडक नदी के बांध तट पर तिरहुट तटबंध को 29.61 किमी से 83.40 किमी तक उठाना और उसका सुदृढीकरण	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	26.2765	–	
6	94वीं	09.07.2008	निचली गोई सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद्	360.37	15686	12.08.08
7	94वीं	09.07.2008	निचली पेढी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद्	283.10	17023	14.08.08
8	94वीं	09.07.2008	ऊपरी कुंडलिका परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	72.70	2800	09.09.08
9	95वीं	20.01.2009	ब्रह्मपुत्र नदी के तट कटाव से सियालमारी क्षेत्र का बचाव (भूमि स्पर और तान बंध का निर्माण)	असम	बाढ़ नियंत्रण	25.73	–	
10	95वीं	20.01.2009	ब्रह्मपुत्र नदी के तट कटाव से भोजाईखाटी, डोलोई गांव और उलुबारी क्षेत्र का बचाव (भूमि स्पर और तान बंध का निर्माण)	असम	बाढ़ नियंत्रण	27.92	–	
11	95वीं	20.01.2009	पश्चवर्तन और कटावरोधी उपायों द्वारा दरार को बंद करने समेत सिसीकलघर से तेकेलिफुटा तक ब्रह्मपुत्र डाइक को ऊंचा उठाना और उसका सुदृढीकरण	असम	बाढ़ नियंत्रण	142.42	–	
12	95वीं	20.01.2009	पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी तटबंधों की बिटुमिन सड़क को ऊंचा उठाना, इसका सुदृढीकरण और निर्माण	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	339.39	–	
13	95वीं	20.01.2009	भूतही बालन नदी के साथ वर्तमान तटबंधों को ऊंचा उठाना, इनका सुदृढीकरण और विस्तार	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	37.14	–	
14	95वीं	20.01.2009	नेपाल में पूर्वी एफलक्स बंध की दरार को भरना	बिहार	बाढ़ नियंत्रण	143.42	–	
15	95वीं	20.01.2009	कोसी बराज पुनरुद्धार कार्य का प्रस्ताव	बिहार	वृहद्	86.65	–	
16	95वीं	20.01.2009	केलो सिंचाई परियोजना	छत्तीसगढ़	वृहद्	606.91	22810	
17	95वीं	20.01.2009	आरडी 10230 से 19700 मीटर तक बाटा नदी का चैनलीकरण	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	34.67	1537.81	
18	95वीं	20.01.2009	यमुना नदी के बाएं तट पर उत्तर प्रदेश	बाढ़	वृहद्	46.17	–	

			अलीपुर बंध के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और इस पर 10 मीटर चौड़ा रास्ता उपलब्ध कराने हेतु संशोधित परियोजना आकलन		नियंत्रण			
19	95वीं	20.01.2009	इंदिरा सागर (पोलावरम) परियोजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	10151.04	43600 0	
20	95वीं	20.01.2009	उठावली मध्यम सिंचाई परियोजना (संशोधित आकलन)	महाराष्ट्र	मध्यम	109.64	5394	
21	95वीं	20.01.2009	निचली पंजारा सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	34.73	7585	
22	95वीं	20.01.2009	नंदुर मधमेश्वर सिंचाई परियोजना (संशोधित आकलन)	महाराष्ट्र	वृहद	941.33	45124	
23	95वीं	20.01.2009	कमानी टंडा मध्यम सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	78.49	4750	
24	95वीं	20.01.2009	हाशियारपुर से बचौर तक कांडी नहर विस्तार (आरडी 59.50 से 130.00 किमी) चरण-II (संशोधित आकलन)	पंजाब	वृहद	346.62	23326	
25	95वीं	20.01.2009	तीस्ता बराज परियोजना फेज-I के चरण-I का पहला उपचरण (संशोधित)	पश्चिम बंगाल	वृहद	2988.61	52700 0	
26	96वीं	16.02.2009	मजौली द्वीप की बाढ़ और कटाव से सुरक्षा, फेज-II और फेज-III	असम	बाढ़ नियंत्रण	115.03	—	
27	96वीं	16.02.2009	धौला हाथीगुली पर दिवांग और लोहित नदियों को उनके वास्तविक मार्ग पर लाना (पुराना नाम: धौला हाथीगुली पर ब्रह्मपुत्र का अपदारण)	असम	बाढ़ नियंत्रण	53.11	—	
28	97वीं	27.03.2009	यमुना नदी के साथ-साथ बाढ़ सुरक्षा उपाय	हरियाणा	बाढ़ नियंत्रण	173.75	—	
29	97वीं	27.03.2009	राजीव भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	1969.00	82151	
30	97वीं	27.03.2009	वेस्टर कोसी नहर परियोजना	बिहार	वृहद	1307.21	23480 0	
31	97वीं	27.03.2009	मलमपुजहा सिंचाई परियोजना	केरल	वृहद	11.08	45108	
32	97वीं	27.03.2009	चिंतूरपुजहा सिंचाई परियोजना	केरल	वृहद	34.57	33880	
33	97वीं	27.03.2009	पुनंद सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	340.56	10846	22.05.08
34	97वीं	27.03.2009	शारदा सहायक प्रणाली पुनरुद्धार क्षमता	उत्तर प्रदेश	वृहद	319.23	17500 00	

7-7 fo | r i fj ; kst ukvka dk ew; kdu

मार्च, 2009 तक 24 जल विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 860 मै० वा० की कुल संस्थापित क्षमता वाली 4 परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्ततः स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त 9 ताप विद्युत स्कीमें मूल्यांकनाधीन हैं।

7-8 ck<+i c/k i fj ; kst ukvka dk ew; kdu , oLohdfr

बाढ़ प्रबंधन के सभी पॉच निदेशालयों सहित मुख्य अभियंता (एफ.एम.) के अधीन बाढ़ प्रबंधन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग के नदी प्रबंधन स्कंध के अधीन कार्य कर रहा है। केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ प्रबंधन संगठन को सौंपे गए उत्तरदायित्वों में से एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व नदी प्रबंध स्कंध के तहत बाढ़ प्रबंध संगठन, बाढ़ नियंत्रण पहलुओं वाली वृहद, मध्यम एवं लघु बाढ़ प्रबंधन स्कीमों एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने हेतु जांच करना है।

वर्ष 2008-09 में, 29 बाढ़ प्रबंध स्कीमों की जांच/मूल्यांकन किया गया।

v/; k; & vkB
i fj ; kst ukvks dk i cksku

8-1 ogn , oa e/; e fl pkbl i fj ; kst ukvks dk i cksku

वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के केन्द्र, राज्य और परियोजना स्तर पर प्रबोधन करने के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रबोधन प्रणाली 1975 में प्रारम्भ की गई थी। केन्द्रीय स्तर पर यह कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया था। प्रबोधन का मुख्य उद्देश्य वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करना तथा सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आशा है कि प्रबोधन से आवश्यक आगमों का पता लगाने, किसी कमी/बाधाओं हेतु कारणों का विश्लेषण करने और उपचारी उपाय आदि सुझाने में मद्द मिलेगी ताकि समयबद्ध ढंग से परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

केन्द्रीय जल आयोग में की गई वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मुख्यालय के प्रबोधन एकक द्वारा अन्तर्राज्यीय, बाह्य सहायता प्राप्त और केन्द्र प्रायोजित सिंचाई परियोजनाओं तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अन्य परियोजनाओं का प्रबोधन किया जा रहा है। 2008–09 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुल 95 सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन किया गया (तालिका 8.1)। प्रबोधित परियोजनाओं की सूची की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 2008–09 के दौरान प्रबोधन के लिए शुरू की गई 95 वृहद, मध्यम और विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं (9 वृहद और 5 विस्तार/नवीकरण एवं आधुनिकीकरण) का प्रबोधन मुख्यालय द्वारा किया गया और शेष 81 परियोजनाओं (53 वृहद, 25 मध्यम और 3 विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण) का प्रबोधन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया।

वर्ष 2003–04 के दौरान, दसवीं योजना के अंत तक पांचवीं योजना के पूर्व/पांचवीं योजना की चालू 30 वृहद परियोजनाओं को 10 वीं योजना में पूरा करने के लिए अभिज्ञात किया गया एवं वर्ष में एक से अधिक दौरे की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का केन्द्रीय जल आयोग क्षेत्रीय एककों द्वारा गहन प्रबोधन किया गया। निर्धारित समय में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय अधिकारियों को गहन प्रबोधन का कार्य सौंपा गया। इन 30 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को वर्ष 2007–2008 के अंत तक पूरा किया किया गया और शेष 16 परियोजनाओं को 95 परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया जिन्हें वर्ष 2008–09 के दौरान प्रबोधित किया गया।

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में एक बार सभी अभिज्ञात परियोजनाओं के प्रबोधन हेतु दौरा किया जाता है। तत्पश्चात, क्षेत्र के दौरे तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा उनकी प्रगति में तीव्रता लाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्माण कार्य में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं सुधारात्मक उपायों आदि संबंधी सुझावों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है। केन्द्रीय जल आयोग (मु0) अथवा क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा प्रबोधित की गई चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण दर्शाने वाले चार्ट चित्र 8.1, 8.2 और 8.3 में दिए गए हैं।

क्र०सं०	राज्य	के०ज०आ० द्वारा प्रबोधित परियोजनाओं की संख्या								
		वृहद			मध्यम			विस्तार (नवीकरण) आधुनिकीकरण		
		मु०	क्षे० का०	कुल	मु०	क्षे० का०	कुल	मु०	क्षे० का०	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	2	3	—	—	—	1	—	1
2.	অসম	—	2	2	—	1	1	—	—	—
3.	बिहार	—	4	4	—	—	—	—	1	1
4.	छत्तीसगढ़	—	2	2	—	—	—	—	—	—
5.	गोवा	—	2	2	—	—	—	1	—	1
6.	ગુજરાત	—	—	—	—	1	1	1	—	1
7.	हरियाणा	—	1	1	—	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	1	—	1	1	—	—	—
9.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	झारखण्ड	1	2	3	—	3	3	—	—	—
11.	कर्नाटक	—	7	7	—	7	7	—	1	1
12.	केरल	—	2	2	—	1	1	—	—	—
13.	मध्य प्रदेश	1	8	9	—	1	1	—	—	—
14.	महाराष्ट्र	2	9	11	—	2	2	—	—	—
15.	मणिपुर	—	2	2	—	—	—	—	—	—
16.	मेघालय	—	—	—	—	1	1	—	—	—
17.	उड़ीसा	1	4	5	—	1	1	—	—	—
18.	ਪੰਜਾਬ	—	—	—	—	—	—	—	1	1
19.	राजस्थान	1	2	3	—	—	—	1	—	1
20.	தமினான்டு	—	—	—	—	1	1	—	—	—
21.	त्रिपुरा	—	—	—	—	1	1	—	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	1	3	4	—	—	—	1	—	1
23.	পশ্চিম বাংলা	—	1	1	—	4	4	—	—	—
	dly	9	53	62	&	25	25	5	3	8
	dly ; kx	62 1/2gn% \$ 25 1/e; e% \$ 8 foLrkj @uohdj.k@ vk/kfuhdj.k dly & 95								

{k0 dk0 &क्षेत्रीय कार्यालय, e0-& मुख्यालय fp= 8-1 dinh; ty vk; kx }kjk i ckf/kr
ogn i f; kstuk, a 1/ks-h; dk; kly; , oa e[; ky; 1/

dinh; ty vk; kx }kjk i ckf/kr ogn i f; kstuk, a 1/ks-h; dk; kly; , oa e[; ky; 1/

mMhI k 1/6/ ef.kij 1/2/ egkj k"V" 1/11/ e/; ins'k 1/9/ dly 1/2/ dukMd 1/7/ >kj [kM 1/3/ fgekpy i ns'k 1/1/ gfj; k. kk 1/1/ xkok 1/2/ NÝkhI x<+1/2/ fcgkj 1/4/ vle 1/2/ vkdkz i ns'k 1/3/ jktLFku 1/3/ mÝkj i ns'k 1/4/ i f'pe caky 1/1/

dly i f; kstuk, a & 62

e[; ky; }kjk i ckf/kr&09 {ks-h; dk; kly; }kjk i ckf/kr&53

fp= 8-1 dinh; ty vk; kx ds {ks-h; dk; kly; k }kjk i ckf/kr ogn i f; kstuk, a

d^hnh; ty vk; kx }kjk i ckf/kr e/; e i fj ; kstuk, a & h; dk; kly; h

f=i jk ½½ e^hky; ½½ mMhI k ½½ egkj k"V ½½ dj y ½½ e/; i ns'k ½½ dukNd ½½
>kj [kM ½½ x^htjkr ½½ vI e ½½ fgekpy i ns'k ½½ i f'pe c^hky ½½ rfeuyukMq ½½

d^hy i fj ; kstuk, a & 25

ed; ky; }kjk d^hbz i fj ; kstuk i ckf/kr ugh dh tkhra gS

fp= 8-2 d^hnh; ty vk; kx ds {ks=h; dk; kly; k }kjk i ckf/kr e/; e i fj ; kstuk, a

d^hnh; ty vk; kx }kjk i ckf/kr foLrkj uohdj .k vk/kfudhdj .k i fj ; kstuk, a & h;
dk; kly; k , oa ed; ky; h

jktLFku ½½ i atkc ½½ xkok ½½ dukNd ½½ x^htjkr ½½ fcgkj ½½ vka'kz i ns'k ½½ mYkj
i ns'k ½½

d^hy i fj ; kstuk, a & 8

ed; ky; }kjk i ckf/kr&05 {ks=h; dk; kly; }kjk i ckf/kr&03

fp= 8-3 d^hnh; ty vk; kx ds {ks=h; dk; kly; k rFkk ed; ky; }kjk i ckf/kr
foLrkj @uohdj .k@vk/kfudhdj .k i fj ; kstuk, a

8-2 fl pkbz {kerk ds | ej; kstu dk el; kdu

सिंचाई के मौजूदा आधारभूत ढाँचे पर आधारित प्रामाणिक और वास्तविक डाटा-बेस प्रदान करके मौजूदा प्रबोधन प्रणाली को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता सृजन के मूल्यांकन के लिए दूर संवेदन तकनीक का उपयोग करना आवश्यक समझा गया। सबसे पहले योजना आयोग के अनुरोध पर दो परियोजनाओं अर्थात् ऊपरी कृष्णा (कर्नाटक) परियोजना और तीस्ता बराज (पश्चिम बंगाल) परियोजना के संबंध में एनआरएसए, हैदराबाद द्वारा सेटालाइट आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मार्गदर्शी अध्ययन सफलतापूर्वक किए गए। दोनों मूल्यांकनों के अध्ययन के नतीजे संतोषजनक थे और आधारभूत वास्तविकताओं के अनुरूप थे।

मार्गदर्शी अध्ययन से प्राप्त परिणामों के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था कि परियोजनाओं को राष्ट्रीय पैमाने पर लिया जाए जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की 10 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को शामिल किया जाए। प्रथम चरण में वर्ष 2007 से 2008 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त 53 चालू परियोजनाओं के संबंध में प्रगति को प्रबोधन हेतु सिंचाई के आधारभूत ढाँचे के मानचित्रण द्वारा सिंचाई क्षमता सृजन के मूल्यांकन का कार्य एन.आर.एस.ए., हैदराबाद को सौंपा गया है। यह न केवल सृजित क्षमता प्रदान करता है बल्कि आगे प्रभावकारी प्रबोधन के लिए संकटपूर्ण अंतराल क्षेत्रों को भी बताता है।

सिंचाई क्षमता समुपयोजन के निर्धारण के लिए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को प्रबोधन के दौरान इसे शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

8-3 ckg; l gk; rk i llr i fj; kst ukvka dk i ckvku

विश्व बैंक आसान शर्तों पर ऋण देने वाले अपने संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक बहुत लम्बे समय से बृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को ऋण प्रदान कर रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक (जे.बी.आई.सी.) भी कुछ बृहत्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। जबकि ये परियोजनाएं राज्य द्वारा निष्पादित की जाती हैं, बाह्य सहायता प्राप्त सभी सिंचाई परियोजनाओं के प्रबोधन का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया है ताकि वित्तीय सहायता देने वाली विदेशी एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेश के लक्ष्यों और निर्माण-कार्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके और निर्माण-कार्य के दौरान यदि कोई कठिनाइयां सामने आती हैं तो उनको दूर किया जा सके।

8-4 Rofj r fl pkbz ykhk dk; lde

1996–97 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उन परियोजनाओं, जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं अथवा पूर्ण होने के अंतिम चरण में हैं, के त्वरित क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से देश की बृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया। परियोजनाओं का चयन करते समय पांचवीं योजना से पूर्व तथा पांचवीं योजना की परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। उन परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है जिनसे आदिवासी और सूखा-प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है। तथापि, वर्ष 1999–2000 के बाद से संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के विशेष वर्ग के राज्यों (उत्तरी-पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश, सिविकम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखण्ड के पर्वतीय राज्यों तथा उड़ीसा के बी के जिलों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं) की सिंचाई परियोजनाओं के तहत लघु सतही के लिए भी विस्तार किया जा सकता है। तथापि बाद में 1.4.2005 से गैर-विशेष वर्ग के राज्यों को भी आदिवासी क्षेत्रों को सूखा प्रवण क्षेत्रों, जिनसे पूर्णतः दलितों और आदिवासियों को लाभ पहुंचता है, के संदर्भ में 100 हैक्टेयर से ज्यादा की क्षमता वाली लघु सतही सिंचाई स्कीमों को शामिल किया जा सकेगा। 2004–05 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान घटक शुरू किया गया था तथा केन्द्र ने ऋण भाग तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान घटक दोनों को उपलब्ध कराया था। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्र केवल 2006–07 से ही अनुदान घटक उपलब्ध करा रहा है और राज्य विपणन उधार द्वारा ऋण घटक एकत्र करने के लिए अधिकृत है।

सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 2006 से केन्द्रीय सहायता के लिए मानदंडों में और छूट दी है। पहले के दिशा-निर्देशों जिनमें ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत नई परियोजना शामिल करने हेतु ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए थे, उनमें छूट दी गई है। ये छूट ऐसी परियोजनाओं को दी गई है जो (क) सूखा-प्रवण क्षेत्रों (ख) आदिवासी क्षेत्रों (ग) राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न सिंचाई विकास वाले राज्यों और (घ) कृषि समस्याग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत पहचान किए गए जिलों को लाभ पहुंचाती हैं। चित्र 8.5 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत वर्तमान में चल रही बृहद, मध्यम और विस्तारण, नवीकरण, आधुनिकीकरण परियोजनाओं का राज्यवार व्यौरा दिया गया है। तालिका 8.2 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत पूरी हो चुकी बृहद और मध्यम परियोजनाओं की राज्यवार सूची दी गई है।

वर्ष 2008–09 के दौरान 31.03.2009 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 133 बृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को ₹ 5647.90 करोड़ का अनुदान दिया गया है) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के आंभ से 267 परियोजनाओं के लिए बृहद, मध्यम और विस्तारण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं हेतु राज्यों को प्रदान की गई कुल संचयी केन्द्रीय सहायता/अनुदान ₹ 30846.109 है। विवरण तालिका 8.3 तथा चित्र 8.6 में दिए गए हैं।

इस कार्यक्रम से लाभान्वित राज्यों की संख्या दिनांक 13.04.2009 तक 24 है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के परिणामस्वरूप 267 परियोजनाओं में से 100 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 4 परियोजनाएं 13.04.2009 तक आरंभित कर दी गई हैं। जैसा कि राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम के आंभ से मार्च, 2008 तक 5.37 मि. हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का व्यापक प्रबोधन करें। वर्तमान में ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 163 चालू परियोजनाएं हैं जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है और जिनका प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। ए.आई.बी.पी. के अधीन परियोजनाओं का प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। उसके पश्चात् कार्य-स्थिति रिपोर्ट तैयार करके सभी संबंधितों को जारी की जाती हैं।

fp= 8-5 Rofj r fl pkbz ykHk dk; D'e ds rgr i eq[k] e/; e rFkk foLrkj uohdj .k
vk/kfudhdj .k i f j ; kst uk, a

, vkbzhi h ds vrxxr py jgh i eq[k] e/; e] foLrkj uohdj .k
vk/kfudhdj .k i f j ; kst uk, a
1/28-02-2009 rd%

राजस्थान (3), पंजाब (4), गोवा (1), कर्नाटक(11), गुजरात (5), बिहार (5), आंध्र प्रदेश (22), पश्चिम बंगाल (4), त्रिपुरा (3), असम (6), उड़ीसा (11), मेघालय (1), मणिपुर (3), महाराष्ट्र (42), मध्य प्रदेश (11), केरल (2), जम्मू एवं कश्मीर (11), झारखण्ड (6), हिमाचल प्रदेश (3), छत्तीसगढ़ (3),

dy i f j ; kst uk, a & 163
rkfydk 8-2 Rpfj r fl pkbz ykHk dk; D'e ds rgr i wkl dh xbz jkT; okj ogn rFkk e/; e
i f j ; kst uk, a

ठोठा	राज्य	परियोजना	क्र0सं0	राज्य	परियोजना
1.	आंध्र प्रदेश	चेय्यरु (अन्नामाया)	48.		मध्यगंगा तथा अपरगंगा का आधुनिकीकरण
2.		नागार्जुन सागर	49.		राजधानी बांध
3.		श्रीराम सागर स्टेज- I	50.		शारदा सहायक
4.		मङ्गलुवालासा	51.		एच.के. दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध करना
5.		प्रियदर्शनी जुराला	52.		टिहरी
6.		मडुडीगेडा	53.		जरौली पंप नहर
7.		सोमासिला	54.	कर्नाटक	मसर्कील्लाह
8.		गंडालावागु	55.		हीरबाला
9.		अलीसागर	56.	केरल	कलादा
10.		वंसधारा चरण-II फेज-I	57.	मध्यप्रदेश	बंजर
11.	असम	बोर्डीकराई	58.		अपर वाणगंगा
12.		रुपाही	59.		उर्मिल
13.		हवाईपुर लिफ्ट	60.		वाणसागर यूनिट-I
14.		कोलांगा	61.		सिंध फेज-I
15.		कोलांग बेसिन में समेकित सिंचाई योजना	62.	महाराष्ट्र	जवालगाँव
16.	बिहार	बिलासी	63.		जयकवाड़ी चरण-II

17.		उर्नी जलाशय	64.		कडवी
18.		अपर कियूल	65.		कसारी
19.	छत्तीसगढ़	शिवनाथ डिवीजन	66.		कसारसाई
20.		हसदियो बांगो	67.		खडकवासला
21.		जोंक विपथन	68.		अपर तापी
22.		बरनाई	69		वाण
23.	गोआ	सलोली	70.		विष्णुपुरी (वकर्सी)
24.	गुजरात	दमनगंगा	71.		बाहुला
25.		दियू	72.		कुंभी
26.		हरनव-II	73.		सूर्या
27.		झुज	74.		भीमा
28.		कर्जन	75.		पटगांव
29.		सियू	76.	उडीसा	अपर कोलाब
30.		सुखी	77.		पोटेरू
31.		उमरिया	78.		सेसन नहर
32.		वातरक	79.		सल्की सिंचाई
33.		मुक्तेश्वर	80.		नाराज
34.	हरियाणा	गुडगाँव नहर	81.		सालादी लेफ्ट मुख्य नहर अम्बाहता
35.		डब्ल्यू आर.सी.पी	82.	पंजाब	रंजीत सागर
36.	झारखण्ड	लतरातू	83.		यू.बी.डी.सी की रिमॉडलिंग
37.		तपकारा जलाशय	84.	राजस्थान	गंभीरी आधुनिकीकरण
38	जम्मू एवं कश्मीर	जैनगिर नहर का आधुनिकीकरण	85.		जैसामंद आधुनिकीकरण
39.		मरवाल लिफ्ट	86.		छापी
40.		लेथोपोरा लिफ्ट	87.		पंचाना
41.		कोइल लिफ्ट	88.		छौली
42		प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	89		माही बजाज सागर
43.		कटुआ नहर का आधुनिकीकरण	90.		बिसालपुर
44..		इगोफे	91.	पश्चिम बंगाल	कंगसाबती
45.	तमिलनाडु	डब्ल्यू.आर.सी.पी.	92		बराज तथा डीवीसी की सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण
46	उत्तरप्रदेश	गुंटानाला			
47.		ज्ञानपुर पप नहर			

rkfydk 8-3 % cgn@e/; e fl pkbl i fj ; kstukvks ds fy, l keku; vkg QkLV Vd Rofjr fl pkbl
ykhk dk; Øe ds rgr o"kbkj dñh; __.k l gk; rk dk forj.k ½ekp] 2009 rdh

½dkM+ : i , e%

0"kl	dy dñt; __.k l gk; rk@forfjr vunku	(*o" kl
1996–97	500.00	200
1997–98	952.190	8&0
1998–99	1119.180	9 ds
1999–2000	1392.065	nkj k
2000–01	1791.605	u
2001–02	2554.226	i klr
2002–03	3015.138	i lr
2003–04	3023.284	kok
2004–05	2773.129	ds
2005–06	1709.225	fy,
2006–07	1884.221	½
2007–08	4483.947	
2008–09*	5647.900	
dy	30846-109	

fp= 8-6 Rofj r fl pkbz ykH dk; Øe ds rgr fueDr jkT; okj I p; h dñh; __.k
I gk; rk ½1 ekpj 2009 rdh

राजस्थान (1930.343), उड़ीसा (2471.300), मेघालय (4.000), मणिपुर (557.919), पंजाब (464.827), महाराष्ट्र (4575.240), मध्य प्रदेश (3009.654), केरल (164.441), कर्नाटक (3443.981), झारखण्ड (103.469), जमू एवं कश्मीर (314.727), हरियाणा (90.54), गुजरात (5458.740), गोवा (204.670), छत्तीसगढ़ (355.284), असम (209.159), बिहार (619.077), आंध्र प्रदेश (3695.971), पश्चिम बंगाल (200.537), त्रिपुरा (73.428), उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड (2645.482), तमिलनाडु (20.000)

8-5 fl pkbz fodkl dh jkT; &okj fLFkfr fj i kVh

परियोजना प्रबोधन संगठन राज्य—वार वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है जिनमें राज्य में बृहद और मध्यम परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई विकास को दर्शाया जाता है। इन रिपोर्टों में राज्य के सतही जल संसाधन, चरम सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता/उपयोग की गई क्षमता एवं किए गए खर्च के संबंध में योजना—वार सिंचाई विकास, भूमि उपयोग वर्गीकरण, सूखा—संभावित और आदिवासी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं, अन्तर्राजीय/विदेशी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधित बृहत परियोजनाएं आदि के विवरण के साथ—साथ उन गंभीर मुद्दों और संबंधित मुद्दों की जानकारी भी दी जाती है जिनपर राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है।

8-6 i ckku I puk i zkyh

केन्द्रीय जल आयोग त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट द्वारा प्राप्त सूचना/आंकड़ों का रख—रखाव करता है जो कि प्रबोधित परियोजनाओं के लिए राज्य/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तथा ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय जल आयोग की क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इससे निर्माण कार्य के आयोजन, परियोजना कर्मचारियों की भर्ती, भू—अधिग्रहण समस्याएं, गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दे आदि जैसी अत्यावश्यक निर्माण गतिविधियों, जो कि केन्द्रीय जल आयोग की प्रबोधन—स्थिति रिपोर्टों में दर्शायी गई हैं, की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का प्रबोधन करने के लिए उनके साथ लगातार तालमेल रखना सुनिश्चित होता है। तथापि एक विस्तृत प्रबंधन सूचना प्रणाली को अभी विकसित किया जाना है।

8-7 dñh }kj k ik; kftr deku {k= fodkl i fj; kstu kva dk i cksku

28 राज्यों में 134 परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रबोधन स्थिति रिपोर्टों के संबंध में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रबोधन से संबंधित कार्य और समन्वय की जांच भी की गई और जहां भी आवश्यक था टिप्पणियां भेजी गई। केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लगभग उन सभी परियोजनाओं का प्रबोधन कर लिया गया है जो केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी गई थी। वर्ष 2007–08 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से 73 तथा 2008–09 के दौरान 35 अर्धवार्षिक कार्य—स्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई, इन रिपोर्टों की जांच की गई जहां भी आवश्यक था टिप्पणियां भेजी गई।

8-8 ty fudk; k dh ejEr] uohdj.k ,oa i µ:)kj

विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत “कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत नवीकरण और पुनरुद्धार” के समन्वय का कार्य और इससे जुड़े अन्य कार्य हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग को सौंपे गए। इस स्कीम के लिए प्रस्तावित वित्त पोषण का अनुपात केन्द्र:राज्य :: 75:25 है। इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के दिशा—निर्देशों, संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकारियों और केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय संगठनों के अनुसार योजनाओं की जांच के पश्चात् की गई सिफारिशों के बाद 15 राज्यों को 26 जिलों के 1098 प्रस्तावों को जिनकी कुल लागत ₹0 299.075 करोड़ है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत 1.72 लाख

हेक्टर के कुल मूल कृषियोग्य कमान क्षेत्र के साथ इन परियोजनाओं में शामिल 1098 जल निकायों को शामिल किया गया था। 14 राज्यों में 939 जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भौतिक कार्य मार्च, 2009 तक पूर्ण किए जा चुके हैं।

बाह्य सहायता से जल निकायों की मरम्मत नवीकरण और पुनरुद्धार स्कीम के तहत तमिलनाडु के साथ 4 लाख हेक्टर के सी.सी.ए वाले 5763 जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 2182 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश के साथ 2.5 लाख हेक्टर के सीसीए वाले 3000 जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए रुपये 835 करोड़, कर्नाटक के साथ 0.523 लाख हेक्टर के सीसीए वाले 1225 जल निकायों की पुनरुद्धार के लिए 268 करोड़ रुपए तथा उड़ीसा के साथ 1.2 लाख हेक्टर के सीसीए वाली 900 जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 478 करोड़ रुपए का विश्व बैंक समझौता हस्ताक्षर किया गया है। पश्चिम बंगाल परियोजना मूल्यांकनाधीन है।

8-9 *tyk'k; kə ds | o[ks.k fØ; kdyki kə ds i[ks/ku ds fy, | fefr dh rduhdh Lohdfr
ds fy, tyk'k; {kerkvks ds | o[ks.kkə i j fj i ksVz dk v/; ; u@t k[ib*

“मुख्य अभियंता (पीएंडडी) जलाशयों के सर्वेक्षण क्रियाकलापों के प्रबोधन के लिए तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। बदुआ जलाशय पर एक रिपोर्ट की जाँच की गई तथा अवधि के दौरान ही टिप्पणियों की गई।”

केन्द्रीय जल आयोग के केंद्रीय मशीनरी संगठन के अधीन सीएमसी निदेशालय निर्माण उपस्कर की आयोजना और प्रबंधन के विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप से कार्यरत है, जिनमें संयंत्र आयोजन की दृष्टि से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, उपस्करों के आयोजन में परामर्श, उपस्करों के कार्य निष्पादन का प्रबोधन, उपस्करों व स्पेयर पार्ट्स मंगाने में सहायता, संविदा प्रबंध, लागत/अनुमान स्पेयर पार्ट्स की पुनःस्थापना तैयार करना और डाटा प्रोसेसिंग शामिल है।

9-1 i fj ; kst uk eW; kdu

वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों की सिंचाई, ऊर्जा और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की 37 परियोजना रिपोर्टों की संयंत्र आयोजन की दृष्टि से तकनीकी जांच की गई थी। इनमें से 23 परियोजना रिपोर्टों की अर्थमूविंग व निर्माण उपकरणों के संबंध में 21261.80 लाख रुपये के प्रावधान के साथ स्वीकृति की गई थी। शेष 14 परियोजना रिपोर्टों के संबंध में टिप्पणियां अनुपालना और आगे समीक्षा हेतु परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थी।

9-2 i jke' khz I tk, a

- (i) उपस्कर आयोजना, निर्माण कार्यक्रम को तैयार करने तथा निर्धारित कार्यक्रम बनाने सहित 'निर्माण उपस्कर आयोजना तथा पद्धति' पर एक अध्याय तैयार करके निम्नलिखित परियोजनाओं की डीपीआर के निर्माण में परियोजना प्राधिकारियों को परामर्श सेवाएं प्रदान की गई:
 - (क) केन-बेतवा लिंक परियोजना।
 - (ख) कोलोडाइन ज.वि.परि., चरण-II, मिजोरम।
- (ii) पुनात्सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, चरण-I, भूटान के संबंध में निम्नलिखित घटकों के निविदा मूल्यांकन में तकनीकी सहायता प्रदान की गई:
 - (क) निर्माण उपस्कर की आपूर्ति।
 - (ख) सिविल संविदा पैकेज के लिए तकनीकी वाणिज्यिक बोली।
- (iii) दिल्ली की एनसीटी, सरकार, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग, मेकेनिकल प्रभाग-II, द्वारा खरीदी जाने वाली 0.40 क्यूमेक सुपर लांग आर्म रहित बैक फावडा बाल्टी के जलीय उत्खनक के विशिष्ट तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप दिया गया तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेज दिया गया।

9-3 i tkYku fu"iknu vKj mi Ldjka dk I ej ; kst u

नदी धाटी परियोजनाओं में उपलब्ध भारी अर्थमूविंग और निर्माण उपस्करों के समुपयोजन का प्रबोधन करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग प्रत्येक तिमाही के आधार पर उपस्करों के कार्यनिष्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। इन आंकड़ों का विश्लेषण केन्द्रीय यांत्रिकी संगठन (सीएमओ) के संयंत्र एवं मशीनरी निदेशालय द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य उपस्करों के कम कार्यनिष्पादन/समुपयोजन के कारणों का पता लगाना है।

वर्ष 2008-09 के दौरान पंजाब राज्य से 5 त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

9-4 ty I dk/ku ds {k= e@vf/k'k;k mi Ldjka rFkk Li \$ j i kVz dk fui Vku

निदेशक (पी एंड एम) ने 8.4.2008 से 11.4.2008 की अवधि के दौरान पूर्वी गंगा नहर निर्माण डिवीजन हरिद्वार, अपर गंगा नहर आधुनिकीकरण डिवीजन हरिद्वार तथा सिंचाई कार्य डिवीजन सहारनपुर का दौरा टी एंड पी सामग्री तथा रुपये 17,99,917/- की राशि वाले अधिशेष स्पेयर पार्ट का सुरक्षित मूल्य निश्चित करने के लिए किया।

निदेशक, पी एंड एम ने 9.6.2008 से 11.6.2008 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के सिंचाई कार्य सर्किल अलीगढ़ के अधीन एटा (उत्तर प्रदेश) का दौरा किया। उन्होंने यह दौरा बेकार निर्माण उपस्करों तथा भारी अर्थमूविंग मशीनरी तथा सिंचाई डिवीजन, एटा में पड़े रु. 11,20,650/- की राशि वाले विशेष टी एंड पी का सुरक्षित मूल्य निश्चित करने के लिए क्षेत्रीय निपटान समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किया।

9-5 tu&'kfDr v{k; kstuk

केंद्रीय जल आयोग द्वारा 'वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रचालन एवं अनुरक्षण स्तर पर रोजगार उत्पन्न करने हेतु एक विशेष अध्ययन शुरू किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य रोजगार शक्यता प्रति हजार हेक्टर रोजगार मानक तथा 2000-01 से 2004-05 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रचालन तथा अनुरक्षण चरण परियोजना जनशक्ति पर व्यय, उपस्कर एवं मशीनरी तथा अन्य मदों में प्रवृत्ति को जानना है। 36 वृहद तथा मध्यम परियोजनाएं अध्ययन के लिए चयनित की गईं। इनमें से आयोग में अभी तक 25 सिंचाई परियोजनाओं की सूचना प्राप्त हो चुकी है।

अध्ययन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 30 वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं को भी Purposive Random Sampling पद्धति द्वारा चयनित किया गया था। राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों तथा केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्र प्रबोधन निदेशालय से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार डाटा समेकन प्रगति पर है।

9-6 vll; fØ; kdyki

- केन-बेतवा लिंक परियोजना की डी.पी.आर. के निर्माण के लिए संपूर्ण कार्य के प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण के लिए समिति की छठी बैठक दिनांक 19.06.2008 को आयोजित की गई। श्री जे.आर. बोरो, उप निदेशक तथा श्री बी. सैकिया, उप निदेशक ने इस बैठक में भाग लिया।
- श्री बी लेंका, निदेशक (सीएमसी) तथा श्री जे.आर. बोरो, उप निदेशक (सीएमसी) ने दिनांक 12.07.08 से 14.07.08 की अवधि के दौरान केन-बेतवा लिंक परियोजना का दौरा में किया।
- संकोश बहुउद्देशीय परियोजना, भूटान की डीपीआर के उन्नयन के लिए टेहरी जल विद्युत विकास कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) को 'पुनर्वलोकन तथा निर्माण अनुसूची, निर्माण पद्धति विज्ञान तथा उपस्कर आयोजना को अंतिम रूप देने में सहायता देने के लिए 11.28 लाख रुपये का एक अनुमान तैयार किया गया है तथा निदेशक, सीएमडीडी (ई एंड एन ई) निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग को भेजा गया।
- निदेशक, सीएमसी ने पुनातसांगचू जल-विद्युत इलैक्ट्रिक परियोजना, चरण-I भूटान' के संबंध में 14 से 17 नवम्बर, 2008 तक निर्माण उपस्करों की आपूर्ति के लिए निविदा मूल्यांकन की बैठक में भाग लेने के लिए Phuentsholing, भूटान का दौरा किया।
- निदेशक सीएमसी ने Phuentsholing, भूटान का दौरा 'पुनातसांगचू जल-विद्युत इलैक्ट्रिक परियोजना, चरण-I भूटान' के संबंध में सिविल संविदा पैकेज के लिए तकनीकी आर्थिक बोली के लिए टेंडर मूल्यांकन की बैठक में भाग लेने के लिए 29 से 30 नवम्बर, 2008 तक Phuentsholing, भूटान का दौरा किया।
- पर-तापी-नर्मदा तथा दमनगंगा-पिंजल लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण के संबंध में एनडब्ल्यूडीए को निर्माण पद्धति विज्ञान तथा उपस्कर आयोजना तथा निर्माण कार्यक्रम की जांच हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए 11.60 लाख रुपए का एक अनुमान प्रस्तुत किया।

- उझा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना (280 मे.वा.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निर्माण के संबंध में एम एंड ए निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग, जम्मू को निर्माण पद्धति विज्ञान तथा उपस्कर आयोजना तथा निर्माण कार्यक्रम की जांच के लिए परामर्श सेवाओं के लिए 5.98 लाख का एक अनुमान प्रस्तुत किया।
- केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के लिए स्टेषनरी, फर्नीचर आदि सहित भंडार की खरीद की गई। पीसीपी निदेशालय ने फोटोकॉपी मषीन, फैक्स मषीन, वातानुकूलन, वाहन, वाटर प्योरिफायर, डेजर्ट कूलर, इंटरकॉम प्रणाली आदि की खरीद/अनुरक्षण तथा अन्य हाउस कीपिंग क्रिया-कलाप किए। उपर्युक्त कार्यों के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 3.2 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
- वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न यूनिटों में कार्य की बेहतर गुणवत्ता सुसाध्य बनाने के लिए 9 फोटोकॉपी मषीनों, 1 डुप्लीकेटिंग मषीन, 16 फैक्स मषीनों, 40 डेजर्ट कूलर, 2 वाटर कूलरों, 12 एर कंडीशनर, 5 आर.ओ. सिस्टम आदि की खरीद की गई।
- केंद्रीय जल आयोग, पुस्तकालय तथा सूचना ब्यूरो को पञ्चिम खण्ड-II से नये पुस्तकालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सेवा भवन के नवें तल पर स्थित नक्षा अभिलेख अनुभाग (Map Record Section) को भी नए पुस्तकालय भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। लागत मूल्यांकन निदेशालय तथा एन.डब्ल्यू.पी. निदेशालय से संबंधित लगभग 7000 परियोजना रिपोर्ट कमरा नं. 520 (उ.) तथा 840 (द.), सेवा भवन से नए पुस्तकालय भवन में स्थानांतरित कर दी गई है।
- लोक निर्माण विभाग की सहायता से केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन के आधुनिकीकरण/नवीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है।

v/; k; &nl
v\Urjk\T; h; ekeys

10-1 v\Urjk\T; h; unl ty foorn

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय को राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से हल निकालने में तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित के संबंध में सहायता प्रदान की गई है:

10-1-1 dkojh ty foorn vf/kdj.k

भारत सरकार द्वारा 2 जून, 1990 का अन्तर्राज्यीय कावेरी नदी तथा इसकी नदी घाटी के संबंधित विवाद का अधिनिर्णय करने के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) की स्थापना की गई थी। अधिकरण ने 05.02.2007 को अपने निर्णय सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कावेरी जल विवाद अधिकरण ने निचले कोलरून अनीकट डेल्टा पर 740 टीएमसी कावेरी जल के 50 प्रतिशत जल उत्पाद होने का अनुमान लगाया गया है तथा इसका बेसिन राज्यों में बंटवारा निम्नानुसार किया गया है:

तमिलनाडु	: 419 टीएमसी
कर्नाटक	: 270 टीएमसी
केरल	: 30 टीएमसी
पाण्डिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र	: 7 टीएमसी
पर्यावरण सुरक्षा	: 10 टीएमसी
समुद्र में जल का अनिवार्य प्रवाह	: 4 टीएमसी

तथापि कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम निर्णय को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि सहभागी राज्यों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अलग—अलग विशेष अनुमति हेतु याचिकाएं दायर करने के अलावा अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूटी) अधिनियम, 1956 की धारा 5 (3) के तहत अधिकरण से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सी.डब्ल्यू.डी.टी. का अंतिम पंचाट प्रतीक्षित है।

10-1-2 d".kk ty foorn vf/kdj.k

अन्तर्राज्यीय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद के संबंध में निर्णय लेने हेतु कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन 2 अप्रैल, 2004 को किया गया था।

अधिकरण ने बेसिन राज्यों द्वारा दायर किए गए सात अंतरिम आवेदनों के संबंध में 09. 06.2006 को आदेश जारी किए हैं। इन आवेदनों के द्वारा प्रत्येक राज्य ने मुख्य रूप से अन्य बेसिन राज्यों को कुछ परियोजनाओं को आगे बढ़ने से रोकने हेतु मांग की थी। अधिकरण ने सभी राज्यों की प्रार्थना पर अंतरिम राहत प्रदान करने से मना कर दिया है। अधिकरण के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

10-1-3 ekMoh unl ty foorn

मांडवी एक अन्तर्राज्यीय नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक में है और गोवा में प्रवाहित होने के पश्चात् यह अरब सागर में जाकर मिलती है। आवाह क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा महाराष्ट्र में भी है। कर्नाटक सरकार ने मांडवी के जल के प्रवाह को मोड़ने संबंधी प्रस्ताव पहले तैयार किया था। अप्रैल, 2002 में जल संसाधन मंत्रालय ने पेय जल के प्रयोजनों के लिए मांडवी बेसिन से 7.56 टीएमसी जल

को साथ में लगे मालप्रभा उप-बेसिन (कृष्णा बेसिन) की ओर प्रवाहित करने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति दी थी। गोवा सरकार के कड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय ने सितम्बर, 2002 के दौरान "सैद्धांतिक सहमति" को लंबित रखा। गोवा सरकार ने भी विवादों पर निर्णय के लिए एक अधिकरण के गठन की मांग की।

बाद में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने दिसम्बर, 2002 में एक अन्तर्राज्यीय बैठक की जिसके दौरान यह निर्णय लिया गया कि गोवा सरकार और केन्द्रीय जल आयोग मिलकर आंकड़ों में विसंगतियों आदि को ठीक करने का प्रयास करें और प्राप्त अंकों तथा आंकड़ों के आकलन का कार्य मार्च, 2003 तक पूरा कर लें। चूंकि गोवा सरकार केन्द्रीय जल आयोग की साइट के रन ऑफ आंकड़ों की मूल रिकार्ड से विशेष रूप से जांच करना चाहती थी, इसलिए जल संसाधन मंत्रालय ने जुलाई, 2003 में केन्द्रीय जल आयोग के गंगिम स्थल के सभी अपरिष्कृत गेज आंकड़ों को गोवा को देने की अनुमति दे दी।

संसद सदस्यों/विधान परिषद के सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर माननीय जल संसाधन मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि सचिव, जल संसाधन और अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, गोवा और कर्नाटक के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करें। बाद में माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 4 अप्रैल, 2006 को मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। लेकिन किसी समझौते या निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका। बैठक में व्यक्त की गई इच्छानुसार अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 26.04.2006 को एक अधिकारिक स्तर की बैठक के आयोजन का प्रस्ताव किया गया जिसे गोवा सरकार के बैठक में भाग लेने की सूचना मिलने पर मुल्तवी कर दिया गया। गोवा राज्य द्वारा विवाद पर अधिनिर्णय लेने संबंधी अधिकरण का गठन किए जाने का आग्रह किया गया है।

10-1-4 oEI /kkjk unl ty foon

फरवरी, 2006 के दौरान, उड़ीसा सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत उड़ीसा तथा ऑंध्रप्रदेश राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी वस्त्रधारा तथा इसकी नदी-घाटियों के संबंध में अधिनिर्णय लेने संबंधी एक जल विवाद अधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध में प्रस्तुत मुद्दों में वस्त्रधारा तथा इसकी घाटियों कटरगाड तथा गोट्टा बराज को उपलब्ध जल का पुर्न-आकलन तथा 30.09.1962 को हुए समझौते के अनुसार उड़ीसा तथा ऑंध्रप्रदेश जल की कुल मात्रा को समान रूप से बंटवारा किया जाना शामिल है।

सचिव (जल संसाधन) भारत सरकार ने विवाद को बातचीत के जरिए हल करने के लिए 24.04.2006 को ऑंध्रप्रदेश तथा उड़ीसा सरकार के सिंचाई/जल संसाधन विभाग के सचिवों के साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की थी। बैठक में यह सहमति हुई कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वस्त्रधारा बेसिन के उत्पाद का पुनराकलन किया जाएगा। जैसा कि दिनांक 30.9.1962 को सहमति हो गई थी कि उड़ीसा तथा ऑंध्र प्रदेश राज्य नदी के उत्पाद का हिस्सा 50:50 के आधार पर लेंगे। कटरगाड़ा में साईड वीयर का निर्माण किए जाने की वजह से नदी के प्रवाह को मोड़ने संबंधी पहलू पर अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला द्वारा अध्ययन किए जाने के मामले पर भी सहमति जताई गई है। बाद में केन्द्रीय जल आयोग ने ऑंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा सरकार के दो सदस्यों वाले संयुक्त कार्यकारी समूह की सहायता से वस्त्रधारा बेसिन के 75 प्रतिशत आश्रित उत्पाद का गोट्टा बराज में 105 टीएमसी पुर्नांकलन किया है।

अनेक अंतर्राज्यीय बैठकें आयोजित की गईं। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 17.12.2007 को ली गई बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अतिरिक्त अध्ययनों को पुष्ट करने के रूप में मुख्य अभियंता, एमबीओ, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक अंतर्राज्यीय बैठक दिनांक 22.01.08 को आयोजित की गई। ऑंध्र प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.07.08 के द्वारा उड़ीसा सरकार के साथ आगे मामले पर बातचीत करने के लिए तथा की गई कार्रवाई के लिए एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित करने के लिए अनुरोध किया है। यह मामला अभी विचाराधीन है।

10-1-5 i kylj ty fookn

पालार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बहने वाली एक अंतर्राज्यीय नदी है। तमिलनाडु सरकार ने फरवरी, 2006 में केंद्र सरकार को शिकायत की थी कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनकी बिना सहमति के पालार नदी पर एक जलाशय का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे राज्य में जल की मौजूदा उपयोगिता प्रभावित होगी और यह 1892 के करार के खिलाफ भी है। तमिलनाडु ने उसी महीने उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया है। अतः जल संसाधन मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह मामला अभी न्यायाधीन है।

उच्चतम न्यायालय ने 07.01.2008 को मुकदमे की सुनवाई की तथा आदेश पारित किया है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के अभ्यावेदन पर विचार कर सकती है तथा मामले का समाधान करने का प्रयत्न करे। अभी तक दो अंतर्राज्यीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। दिनांक 26.08.08 को आयोजित दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय जल आयोग संयुक्त रूप से राज्य अधिकारियों के साथ जल विज्ञानीय अध्ययन करे ताकि आगामी बैठक में आगे विचार-विमर्श किया जा सके। सितम्बर, 2008 के महीने में, केंद्रीय जल आयोग ने संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिए पद्धतियों तथा आंकड़ों की आवश्यकताओं को संप्रेषित किया है तथा राज्य सरकारों से उनके प्रतिनिधियों को नामांकित करने के लिए अनुरोध किया। दो राज्यों से नामांकन प्राप्त हो चुके हैं। एचएसओ, केंद्रीय जल आयोग के परामर्श से राज्य सरकार से जल विज्ञानीय अध्ययनों का कार्यक्रम बनाने का अनुरोध किया है।

10-2 Nūkh! x<+ds txnyij 'kgj ds fy, i§ ty dñ vki fnl

मध्य प्रदेश सरकार (जिसे अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है) द्वारा 1999 में सूचित किया गया था कि पिछले वर्षों के दौरान इन्द्रावती नदी में मानसून के पश्चात् जल का प्रवाह लगातार कम होता जा रहा है जिसका कारण "जौरानल्ला" नामक एक छोटी नदी जो कि कोलाब-सबरी नदी से जुड़ती है के माध्यम से इन्द्रावती नदी का दिशा बदलना है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के निचले प्रवाह क्षेत्र में गांवों और जगदलपुर शहर में पेय जल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो रही है।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों के बीच दिनांक 09.12.1975 को हुए समझौते तथा अनुलग्नक 'ए' के तहत अनुलग्नक-IV के अनुसार गोदावरी जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रावधानों के अनुसार, उड़ीसा को मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी अपनी सीमा पर मध्य प्रदेश द्वारा इन्द्रावती और इसकी सहायक नदियों में 45 टीएमसी जल को उपलब्ध कराने तथा इसको इस्तेमाल करने की 75 प्रतिशत की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। तथापि, उपलब्ध कराए जाने वाले जल की मासिक मात्रा के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है।

सदस्य (जल आयोजन व परियोजना) ने अप्रैल, 2003 तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सचिवों और केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के साथ चार अन्तर्राज्यीय बैठकें की। 24 दिसम्बर, 2003 को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता के स्तर पर एक अन्तर्राज्यीय बैठक रायपुर में आयोजित की गई जिसमें अन्य मुददों के अलावा जगदलपुर शहर और अनुप्रवाह क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय जल आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि वह डिजाइन का कार्य करे और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को परामर्श का खर्च दिया जाए। तदनुसार, निदेषक, बीसीडी (पूर्व एवं पूर्वोत्तर), केन्द्रीय जल आयोग ने मार्च, 2004 में प्रस्तावित संरचनाओं के स्थान का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण संबंधी टिप्पणी दोनों राज्य सरकारों को भेजी जिसमें क्षेत्रीय तथा प्रयोगशाला अन्वेषणों के किए जाने तथा डिजाइन कार्य के लिए एकत्र किए जाने वाले और भेजे जाने वाले आंकड़े आदि दर्शाए गए। सचिव (जल संसाधन) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 20.03.2007 को भू-तकनीकी आंकड़े प्रस्तुत करने की समय सीमा तय करने के संबंध में एक अंतर्राज्यीय बैठक बुलाई गई थी। तदनुसार उड़ीसा सरकार द्वारा अपेक्षित भू-तकनीकी अन्वेषण आंकड़े मई, 2007 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किए गए। केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधानशाला ने भी मॉडल अध्ययन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी केन्द्रीय जल आयोग में जॉच की गई। उड़ीसा सरकार तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला पुणे के आदानों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इन्द्रावती तथा जौरानल्ला नदियों पर नियन्त्रण संरचना हेतु निविदा प्रयोजनों के लिए विशिष्ट ड्राइंग कार्य किया गया तथा नवम्बर, 2007 में परियोजना प्राधिकारियों को

भेजा गया। इंजीनियर—इन—चीफ, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई, 2008 में सूचित किया है कि उड़ीसा सरकार ने निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया है। तदनुसार केंद्रीय जल आयोग, उड़ीसा सरकार ने मामले में शीघ्र कार्रवाई तथा स्थिति को केंद्रीय जल आयोग को सूचित करने का अनुरोध किया है।

10-3 unhl ckMz vf/kfu; e] 1956

अन्तर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनियमन व विकास के लिए संविधान की सूची—। की प्रविष्टि 56 के तहत नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 बनाया गया था। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत नदी बोर्ड का गठन कर सकती है। तथापि, केन्द्र सरकार अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी नदी बोर्ड का गठन नहीं कर सकी है। जैसा कि उक्त अधिनियम में निहित है, नदी बोर्ड केवल एक सलाहकार के रूप में है। एकीकृत जल संसाधन विकास योजना हेतु राष्ट्रीय समिति ने मौजूदा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के स्थान पर "अन्तर्राज्यीय नदी और नदी घाटी (एकीकृत और सहभागितापूर्ण प्रबंध)" नामक एक नया अधिनियम बनाने की सिफारिश की है।

10-4 vUlrjkII; h; i fj ; kst ukvku ds fy, fu; #.k ckMz

10-4-1 ck.kl kxj fu; #.k ckMz

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसरण में बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का गठन बाणसागर बांध और उससे जुड़े कार्यों के कुशल मितव्यी और शीघ्र निष्पादन हेतु जनवरी, 1976 में तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय के संकल्प के अनुसार किया गया था। बोर्ड का मुख्यालय रीवा (मध्य प्रदेश) में स्थित है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री एवं संबंधित तीनों राज्यों के सिंचाई एवं वित्त प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी विद्युत मंत्री इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

सोन नदी में खनिज प्रधान क्षेत्रों की औद्योगिक शक्ति के दोहन के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने के अतिरिक्त सिंचाई तथा विद्युत विकास के लिए तथा सूखा और कमी वाले क्षेत्रों को लाभान्वित करने की पर्याप्त शक्ति है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के शाहदोल, सिद्धी, सतना तथा रेवा जिलों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले तथा बिहार के पालामा जिलों में अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों के बड़े भागों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

सोन नदी का कुल आवाह क्षेत्र 69,284 वर्ग किमी है जिसमें से 47,848 वर्ग किमी अथवा लगभग 68.9 प्रतिशत मध्य प्रदेश में तथा शेष उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। बांध क्षेत्र तक आवाह क्षेत्र 18,648 वर्ग किमी है। आवाह क्षेत्र के उच्च भाग में वर्षा काफी अधिक है तथा इस नदी में पर्याप्त जल संसाधन है। हालांकि, उपलब्ध जल की मात्रा का उपयोग अभी तक सोन नदी प्रणाली के तहत बिहार में विकसित सिंचाई तथा विद्युत के विकास तथा उत्तर प्रदेश में रिहद बांध के अतिरिक्त सिंचाई के लिए प्रयोग नहीं हुआ है।

सोन नदी पर बाणसागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त उपक्रम है, का कार्य निष्पादन जल संसाधन विभाग द्वारा बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अन्तर्गत किया जा रहा है। संघ शासित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहरों का निष्पादन कार्य संबंधित राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से और विद्युत गृह के कार्य का एमपीईबी द्वारा किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास सहित बांध की लागत और लाभ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा 2:1:1 के अनुपात में होगा। मार्च, 2009 तक इस परियोजना में 1459.77 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया जा चुका है।

क्रेस्ट फाटकों सहित बाँध संबंधी कार्यों को जून, 2006 तक पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्ष 2008–09 के दौरान जलाशय को 336.48 मी० एफ आर एल की तुलना में 341.65 मी० तक भरना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2008–2009 के दौरान दिनांक 31.03.2009 तक 1517 मिलियन यूनिट विद्युत निर्माण किया गया था।

विद्यमान सोन नहर प्रणाली के स्थायित्व के लिए इस परियोजना से मध्य प्रदेश में 2.49 लाख हैक्टर, उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख हैक्टर तथा बिहार में 0.94 लाख हैक्टर की वार्षिक सिंचाई प्राप्त होगी।

अभी तक कार्यकारी समिति की 72 बैठकें आयोजित की गई हैं। दिनांक 31.03.2009 तक 336 ग्रामों का 36677 हैक्टर का क्षेत्र प्राप्त किया जा चुका है। कुल भूमि के लिए अवार्ड दिया जा चुका है तथा 36415 हैक्टर (लगभग 99.30 प्रतिशत) के लिए मुआवजा दिया जा चुका है। सभी 18 स्पिलवे ब्लॉक आर.एच. 347 मी. पर पूर्ण किए जा चुके हैं। सभी सिंचाई जल मार्ग, स्पिलवे ब्रिज, 6 सेडल बाँध, आर.एल. 347 मी. तक रॉकफिल बाँध पूर्ण किए जा चुके हैं।

10-4-2 crok unl ckM

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 1973 में हुए समझौते के अनुसरण में राजघाट बांध परियोजना, जोकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है, के कार्यान्वयन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, परियोजना के दक्षतापूर्ण, मितव्ययी और शीघ्र निष्पादन के लिए बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 के अधीन बेतवा नदी बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड का मुख्यालय झांसी (उत्तर प्रदेश) में है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय विद्युत मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एवं वित्त, सिंचाई तथा विद्युत प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग बेतवा नदी बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 के अनुसार बोर्ड के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के आधार पर बोर्ड के प्रबंध संबंधी मामले कार्यकारी समिति द्वारा देखे जाएंगे। बोर्ड की नियमावली और निर्देशों के आधार पर कार्यकारी समिति किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है या किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती है, जो कि बोर्ड द्वारा किए गए जाते हैं। अध्यक्ष, कार्यकारी समिति को कार्यकारी समिति द्वारा अभिसमर्थन के आधार पर अत्यावश्यक प्रस्तावों पर आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु आपात्कालिक अधिकार प्रदान किया गया है।

राजघाट बाँध परियोजना जून, 2005 में पूर्ण हो चुकी है। परियोजना का अनुरक्षण और प्रचालन चरण अब शुरू हो चुका है। कार्यकारी समिति, बेतवा नदी बोर्ड राजघाट बाँध परियोजना के अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए राजघाट बाँध संयुक्त बोर्ड का निर्माण करेगी। तदनुसार, समझौता ज्ञापन का एक प्रारूप तैयार किया गया तथा पक्षकार राज्यों को उनकी टिप्पणी/विचारों के लिए प्रेषित कर दिया गया है। पक्षकार राज्यों से टिप्पणियाँ/विचार प्रतीक्षित हैं।

अनुबद्ध ढांचे के साथ राजघाट बाँध बेतवा नदी के आर पार निर्मित किया गया है ताकि बांये पार्श्व पर बाँध के नीचे राजघाट जल विद्युत शक्ति परियोजना के माध्यम से 45 मेगा वाट के विद्युत उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश में 1.21 लाख हैक्टर उत्तर प्रदेश में 1.38 लाख हैक्टर की सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा सकें। लागत के साथ-साथ परियोजना के लाभों को भी दोनों राज्यों में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। बाँध और विद्युत गृह का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

उत्तर प्रदेश में 38 ग्राम तथा मध्य प्रदेश में 31 ग्राम बांध में निमग्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र में क्षतिपूर्ति कार्य पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला प्रशासन ने 25 ग्रामों को भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है तथा शेष 13 ग्रामों के लिए बेतवा नदी बोर्ड द्वारा आपसी समझौते के माध्यम से भूमि सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है।

371.00 मी. के एफ.आर.एल. तक जलाशय को भरना संभव नहीं होगा जब तक कि शेष 13 निमग्न ग्रामों की भूमि तथा संपत्ति का अधिग्रहण पूर्ण न हो जाए।

वर्ष 2008–2009 के दौरान जलाशय (एफआरएल 371.00 मी0) को 370.15 मी0 तक भरा गया था। वर्ष 1999–2000 के दौरान बिजली घर के तीन एककों का परीक्षण किया गया तथा इन्हें चालू किया गया है। वर्ष 2008–2009 के दौरान विद्युत का उत्पादन 132 मिलियन यूनिट था।

बेतवा नदी बोर्ड की अब तक 82 बैठकें हो चुकी हैं। कार्यकारी समिति की 82वीं बैठक दिनांक 09.07.2009 को हुई थी। समिति ने बोर्ड के वित्तीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों पर चर्चा/निर्णय लिए।

10-5 vUrjkII; h; | fefr; ka

कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय समितियों की गतिविधियों का संक्षिप्त व्यौरा नीचे दिया गया है।

10-5-1 ?kX?kj LFkk; h | fefr

फरवरी 1990 में घग्घर स्थाई समिति का गठन घग्घर बेसिन में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास संबंधी कार्यों की जांच, समन्वय तथा इसके कार्यान्वयन में प्राथमिकता निर्धारित करने और अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से घग्घर बेसिन में अलग—अलग स्कीमों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। इस समिति के सदस्य, जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर रेलवे, केन्द्रीय जल आयोग तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के सिंचाई विभागों से लिए गए हैं।

सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2009 को घग्घर स्थाई समिति की 21वीं बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष ने पुनः मास्टर योजना के महत्व पर बल दिया ताकि बेसिन के जल का इष्टतम प्रयोग किया जा सके। उन्होंने हरियाणा के मुख्य अभियंता से सिंचाई उद्देश्यों के लिए लघु रबर बांधों के प्रयोग के संभावना को खोजने का अनुरोध किया। समिति के सदस्यों ने यह अनुभव किया कि मास्टर योजना को 'घग्घर बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए मास्टर योजना' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है तथा इसे समिति के अध्यक्ष ने सहमति दे दी है।

घग्घर नदी की जल गुणवत्ता का प्रबोधन करने तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपचारात्मक सुझाव देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.12.2005 को घग्घर स्थायी समिति की एक उप समिति का गठन किया गया था।

फरवरी, 2006 से सितंबर, 2007 की अवधि के दौरान उप समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई तथा घग्घर नदी में प्रदूषण की मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई तथा घग्घर स्थाई समिति के सदस्यों की स्वीकृति के लिए परिचालित की गई थी।

10-5-2 ; euk LFkk; h | fefr

यमुना स्थायी समिति का गठन दिल्ली और इसके उप-नगर तथा उत्तर रेलवे पुल के हितों का अध्ययन करने तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रतिप्रवाह के कारण दिल्ली में यमुना में अधिकतम बाढ़ स्तर में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में अन्य अध्ययन करने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हितों में इन क्षेत्रों में से किसी में भी बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा करने और यमुना नदी पर किए गए किसी नए निर्माण के लिए पर्याप्त जल मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

इस समिति के सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, उत्तर रेलवे, केन्द्रीय जल आयोग, भू तल परिवहन मंत्रालय और हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सिंचाई विभाग से लिए गए हैं। यमुना स्थायी समिति की 74वीं बैठक सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की

अध्यक्षता में दिनांक 17.07.2008 को आयोजित की गई थी। बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देकर समिति के सदस्यों को परिचालित किया गया है।

10-5-3 | kfgchI LFkk; hI fefr

वर्ष 1977 के दौरान साहिबी बेसिन में अप्रत्याशित बाढ़ के बाद, राजस्थान और हरियाणा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने साहिबी नदी नजफगढ़ नाला जल निकास बेसिन की एक एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया। जिसके अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (नदी प्रबंध), निदेशक (बाढ़ प्रबंध-1) सदस्य सचिव है तथा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य हैं। साहिबी स्थायी समिति –नजफगढ़ नाला की मास्टर योजना के सभी तत्वों के क्रियान्वयन की देखरेख करने और केन्द्र बिन्दु पर प्रवाहों का विनियमन सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1978 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय, सिंचाई विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया गया था ताकि सभी संबंधित राज्यों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। वर्ष 1978 से बेसिन में कोई बड़ी बाढ़ नहीं आई है।

10-5-4 | rypt vkj jkoh ds ck<+I j{kk rVcikk ds fy, fo'k'k mi pkjh dk; k*h* i j I fefr

दिसम्बर, 1989 में मुख्य अभियंता (बाढ़ प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सतलुज तथा रावी के बाढ़ संरक्षण तटबंध के लिए विशेष उपचारी कार्यों संबंधी समिति का गठन किया गया था ताकि चालू तथा पूर्ण किये गये कार्यों का आवधिक निरीक्षण करके ऐसे कार्यों हेतु उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता का पंजाब द्वारा किये गये उपयोग का प्रबोधन करने के लिए इस क्षेत्र में विकास कार्यों की जांच करने के पश्चात् पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत सतलुज तथा रावी पर बाढ़ संरक्षण तटबंध हेतु विशेष उपचारी कार्यों संबंधी प्रस्तावों की तकनीकी रूप से जांच की जा सके। समिति के सदस्य जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, केन्द्रीय जल आयोग, रक्षा मंत्रालय तथा पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग से हैं। समिति ने 1996 के दौरान सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा गृह मंत्रालय से भी सदस्य लिए हैं।

समिति की 29वीं बैठक 17-11-08 से 20-11-08 तक अमृतसर में आयोजित की गई, रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा समिति के सभी सदस्यों को भेज दी गई है।

10-6 nkeknj ?kkVh tyk'k; fofu; eu I fefr

सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति दामोदर घाटी जलाशय के प्रचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश देती है। जलाशयों के दिन प्रतिदिन प्रचालन के लिए मैथन स्थित अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुदेश दिए जाते हैं।

v/; k; &11
ty | d k/ku i fj ; kst ukvka dk lk; kbj .kh; i c/ku

11-1 lk; kbj .kh; i c/ku

11-1-1 unh ?kkVh i fj ; kst ukvka ds fy, jk"Vh; lk; kbj .kh; i c/ku I fefr ¼, u bl , e | h
vkj oh i h½

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति का गठन फरवरी, 1990 में सिंचाई, बहुउद्देशीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए किया गया था। इस समिति को पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए राज्य सरकारों एवं परियोजना प्राधिकारियों द्वारा संस्थापित तंत्र की समीक्षा करने एवं 21 राज्यों (चित्र 11.1) में स्थित चर्नींदा 85 परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त प्रतिपूरक उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया है। इन 85 चर्नींदा परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं का गहन प्रबोधन किया जा रहा है। (चित्र 11.2)

fp= 11-1

unh ?kkVh i fj ; kst ukvka ds fy, jk"Vh; lk; kbj .kh; i c/ku I fefr }kjk i cks/kr jkT; okj
i fj ; kst uk, a
½dy % 85 i fj ; kst uk, ½

महाराष्ट्र (12), राजस्थान (6), उत्तर प्रदेश (4), झारखण्ड (2), उत्तरांचल (3), आंध्र प्रदेश (4), बिहार (2), गुजरात (6), मध्य प्रदेश (9), छत्तीसगढ़ (4), हिमाचल प्रदेश (5), केरल (8), कर्नाटक (3), हरियाणा (3), तमिलनाडु (2), असम (1), मणिपुर (1), त्रिपुरा (1), गोवा (1), उत्तरांचल (1), पंजाब (3)

fp= 11-2

unh ?kkVh i fj ; kst ukvka ds fy, jk"Vh; lk; kbj .kh; i c/ku I fefr }kjk xgu i c/ku ds
vrxt jkT; okj i fj ; kst uk, a
½dy % 17½

महाराष्ट्र (2), मणिपुर (1), मध्य प्रदेश (1), केरल (1), कर्नाटक (1), गुजरात (1), बिहार (1), आंध्र प्रदेश (2), छत्तीसगढ़ (2), झारखण्ड (1), उत्तर प्रदेश (2), उड़ीसा (2)

11-1-2 unh ?kkVh i fj ; kst ukvka ds fy, jk"Vh; lk; kbj .kh; i c/ku I fefr dk xBu

सदस्य (ज.आ. एवं परि.), के.ज.आ. नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबोधन समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति में योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग के अलावा कृषि एवं सहकारिता, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन, जन-जातीय कल्याण मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। मुख्य अभियंता, (पर्यावरणीय प्रबोधन समिति), केन्द्रीय जल आयोग इसके उपाध्यक्ष है एवं निदेशक, (पर्यावरणीय प्रबोधन समिति) सदस्य-सचिव हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग एनईएमसीआरवीपी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

11-1-3 I fefr ds dk; l

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति परियोजनाओं का दौरा करती है और पर्यावरण एवं वन स्वीकृति के लिए यथा-निर्धारित पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों एवं परियोजना प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करती है। समिति ने 57 जल संसाधन विकास परियोजनाओं का दौरा किया जिसमें पिछले 17 वर्षों के दौरान सभी गहन प्रबोधित परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 1990 से इस समिति द्वारा 60 बैठकें आयोजित की गई हैं।

यह समिति राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समिति (एसईएमसी) एवं परियोजना पर्यावरणीय प्रबंधन समिति के गठन को प्रोत्साहित करती है तथा इन समितियों के क्रियाकलापों का प्रबोधन करती है।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप सचिव, राज्य जल संसाधन/सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में 20 राज्यों ने पहले से ही राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का गठन कर लिया है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा चुनिंदा 85 परियोजनाओं में से 68 परियोजनाओं के लिए परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजनाओं के लिए 48 अतिरिक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का भी गठन किया गया है। परियोजना के लिए निर्धारित पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन में परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। मुख्य अभियंता, (ईएमओ)/निदेशक (ईएम), केन्द्रीय जल आयोग राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों के सदस्य हैं जहां क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग इन समितियों के विशेष अतिथि हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक (मूल्यांकन/प्रबोधन) परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को वार्षिक रिपोर्टों के रूप में वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसमें दौरों एवं बैठकों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्य एवं परियोजना प्राधिकारियों को दिए गए निर्देशों को वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाता है। पर्यावरण संबंधी स्थिति रिपोर्टों एवं संबंधित पहलुओं को भी वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया जाता है।

भारत में नदी घाटी परियोजनाएं तथा पर्यावरणीय मामलों के बारे में संतुलित वैज्ञानिक जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकाशन निकाले गए हैं। यह नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए भारतीय मानक ब्यूरों के मानकों को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है।

**11-1-4 unħ ?kkVħ i fj ; kst ukvkħ ds fy , jk"Vħ; i ; kbj .kh; i ckvku | fefr ds o"kl 2008&09
ds fØ; kdyki**

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति ने अपनी 60वीं बैठक दिनांक 27.08.2008 को गुलबर्ग, कर्नाटक में आयोजित की गई तथा बेनीथोरा सिंचाई परियोजना, कर्नाटक का दौरा परियोजना की स्वीकृति के दौरान निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन के प्रबोधन के लिए किया।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के प्रारूप को एनईएमसीआरवीपी के सदस्यों के मध्य परिचालित किया गया है तथा इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

11-2 lk; kbj .kh; i kkko eW; kdu

11-2-1 lk; kbj .kh; i kkko eW; kdu 1bλkbl, ½

जल संसाधन मंत्रालय की एक अनुसंधान एवं विकास स्कीम के तहत परामर्शदाताओं के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निदेशालय द्वारा पूर्ण जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय (सामाजिक सहित) प्रभाव अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। तीन परियोजनाओं अर्थात् जयकवाड़ी चरण—। (महाराष्ट्र), बर्ना (मध्य प्रदेश) और सालंडी (उड़ीसा) का कार्य अंतिम चरण में है। चार और परियोजनाओं जैसे कि महानदी डेल्टा (उड़ीसा), माही बजाज सागर (राजस्थान), रामगंगा बांध (उत्तर प्रदेश) तथा सिंगूर परियोजना (आंध्र प्रदेश) को XIवीं योजना के दौरान प्रारंभ किया गया। यह परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई 57 परियोजनाओं की ईआईए/ईएमपी रिपोर्टों की जॉच की गई और टिप्पणियां मंत्रालय में भेजी गयीं। नदी घाटी और जल विद्युत संबंधी विशेषज्ञ समिति की 12 बैठकें आयोजित की गयीं और समिति ने पर्यावरणीय/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 42 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 'सेव्हांतिक रूप' से सहमति प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से 7 व्यवहार्यता रिपोर्टों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की गई है।

11-3 i ꝑokl , oa i ꝑLFkkl uk

केन्द्रीय जल आयोग विभिन्न राज्यों में जल संसाधन परियोजनाओं के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मामलों का सक्रिय रूप से प्रबोधन कर रहा है। इस संबंध में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपायों का अनुपालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वृहद/मध्यम सिंचाई तथा बहुदेशीय परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के संबंध में अपनाए गए मानदण्डों/अधिनियमों/नीतियों का संग्रहण तथा विश्लेषण किया गया है। 245 विद्यमान/चालू एवं मध्यम जलाशय परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास उपयों का संग्रहण तथा एक डेटाबेस अद्यतन किया गया है।

मैगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (उड़ीसा) तथा लोअर इंदिरा परियोजना (आंध्र प्रदेश) की पुनर्वास और पुनर्स्थापना के दृष्टिकोण से जांच की चुकी है तथा टिप्पणियों को निदेशक (पीपीसी) निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित कर दिया गया है।

राज्य सरकारों से प्राप्त 28 निर्माणाधीन परियोजनाओं की अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की जांच की गई थी तथा टिप्पणियां संबंधित प्राधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए प्रेषित की गई।

केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त 20 सामान्य/एआईबीपी प्रबोधन रिपोर्टों की जांच की गई।

12-1 ty | d k/kuk ds fodkl ds fy, ckg; | gk; rk

देश को विभिन्न रूपों में बाह्य सहायता प्राप्त होती है जैसे बहुपक्षीय या द्विपक्षीय सहायता, ऋण, अनुदान तथा विभिन्न देशों एवं अन्य प्रदाता अभिकरणों से पर्ण्य सहायता। भारत में सिंचाई क्षेत्र में बाह्य सहायता का प्रमुख स्रोत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, इसकी सुलभ ऋणदाता संबद्ध, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) है। विश्व बैंक के अतिरिक्त, अन्य निधिकरण अभिकरण जैसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक, (जेबीआईसी) तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भी सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। परियोजनाओं को फांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी तथा नीदरलैंड के द्विपक्षीय सहयोग के द्वारा भी निधि प्रदान की जा रही है। देश में जल संसाधनों के त्वरित विकास के लिए निधि तथा तकनीकी आधुनिकीकरण दोनों के संबंध में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय तथा इसके संगठन, राज्य सरकारों को विभिन्न निधिदाता अभिकरणों से बाह्य सहायता उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं।

12-1-1 dñh; ty vñ; kx dh Hñfedk

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में केन्द्रीय जल आयोग के महत्वपूर्ण कार्य-कलाप निम्नलिखित हैं :-

- (क) जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के संबंध में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना।
- (ख) बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का तकनीकी-आर्थिक परीक्षण तथा राज्य तथा संबंधित विभागों/मंत्रालयों जैसे केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि से समन्वय करना।
- (ग) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का प्रबोधन करना तथा परियोजनाओं के निष्पादन में विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति करना।

12-1-2 i fj ; kst ukvñ dk rduhdkh vñffkld el; kdu , oñ Lohdfr

वर्ष 2008–09 के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित 3 वृहद परियोजनाएं और जेबीआईसी से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित 15 मध्यम परियोजनाएं तथा एक वृहद परियोजना एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन थी। परियोजनाओं के विस्तृत विवरण तालिका 12.1, 12.2 तथा 12.3 में दिए गए हैं।

rkydk 12-1 fo'o cñ | gk; rk ds fy, i Lrkfor ogn i fj ; kst uk, a

Øe a	i fj ; kst uk dk uke	vñekfur ykxr ½dkM+ : i ; s e½
1.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना	4444.41
2.	उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में जल निकास विकास संबंधी मास्टर योजना	856.43
3.	महानदी बेसिन विकास योजना उड़ीसा	3493.10

rkfydk 12-2 t̪ʃvkb] h | gk; rk d̪s fy, iLrkfor e/; e Ldhe]

Øe a	i f̪j ; kst̪ uk dk uke	vuekfur ykxr ½dj kM+ : i ; s e½
1.	वीरा	46.00
2.	तालीपेठ	13.20
3.	कनापा सथनाला	48.39
4.	जोवली स्वर्ण	14.50
5.	लंकासागर	12.00
6.	मल्लुरुवागू	12.00
7.	लोअर संगिलेरु	19.00
8.	स्वर्णमुखी अनिकट प्रणाली	27.55
9.	दिंडी	15.00
10.	गंडीपालेम	29.30
11.	गजुलाडिन्ने	55.00
12.	पालेरु बित्तागंडा अनिकट प्रणाली	19.00
13.	कूमबूम मध्यम सिंचाई परियोजना	16.00
14.	पाखेल मध्यम सिंचाई परियोजना	45.60
15.	रालाप्पाडु सिंचाई परियोजना	34.60

rkfydk 12-3 fo' o c̪d | gk; rk d̪s fy, iLrkfor ogn i f̪j ; kst̪ uk, a

Øe a	i f̪j ; kst̪ uk dk uke	vuekfur ykxr ½dj kM+ : i ; s e½
1.	उड़ीसा समेकित सिंचाई कृषि तथा जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम	829.00

12-2 fo' o c̪d | gk; rk

जल संसाधन के क्षेत्र में बाह्य सहायता के लिए विश्व बैंक अभी भी प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। विश्व बैंक द्वारा क्रेडिट अथवा ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। सिंचाई के लिए विश्व बैंक की वित्तीय नीतियां समय-समय पर बदलती रही हैं। प्रारंभ में इसके द्वारा एक-एक सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया और तत्पश्चात् इसने संयुक्त परियोजनाओं को वित्त पोषित करना शुरू किया जिसके अंतर्गत प्रमुख, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को एक एकल क्रेडिट/ऋण करार के तहत वित्तपोषित किया गया। इसके बाद इसने जल संसाधन समेकन परियोजनाओं को वित्तपोषित करना शुरू किया जिसमें पूरे राज्य के सिंचाई क्षेत्र को एक क्रेडिट/ऋण करार के तहत सम्मिलित किया गया। अब विश्व बैंक की नीति बदलकर जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की है जिसके अंतर्गत समूचे राज्य के सिंचाई क्षेत्र में सुधार पर बल दिया गया है।

12-2-1 ty {ks= i p̪u] j̪puk i f̪j ; kst̪ uk

जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, जल संसाधन विकास तथा प्रबंध के क्षेत्र में नवीनतम अवधारणा है तथा यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही नवीनतम पीढ़ी की सिंचाई परियोजनाएं हैं। जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजनाओं का आयोजन जल क्षेत्र सुधारों का ध्यान रखने, राज्य जल नीति का उचित क्रियान्वयन करने, शीर्ष जल संस्थाओं का सृजन करने तथा बहुक्षेत्रीय जल संसाधनों एवं पर्यावरणीय क्षमता के सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में चार ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. समेकित जल संसाधन प्रबंधन हेतु राज्य में जल क्षेत्र सुधारों के लिए एक समर्थ संस्थागत एवं नीतिगत ढांचे की रूपरेखा तैयार करना।
2. सतही तथा भू-जल संसाधनों की नीतिबद्ध आयोजना एवं सतत विकास तथा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना।
3. उन्नत सतही सिंचाई प्रणाली निष्पादन द्वारा सिंचित कृषि की पैदावार बढ़ाने तथा सेवा प्रदान करने में उपभोक्ताओं एवं निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के द्वारा कृषि सहायक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में सिंचाई एवं जल-निकास उप-क्षेत्र सुधारों को प्रारंभ करना।

12-2-2 cn gks pdls ØfMV@_.k djkj

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 41 परियोजनाओं में से बंद हो चुकी 38 परियोजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और उपयोग की गई सहायता का विवरण तालिका 12.4 में दर्शाया गया है।

rkfydk 12-4 | ekIr djkjks ds C; kjs

de C; k	jkt; dk uke	ifj ; kstuks dh C; k	fefy; u vesjdu Mkyj eI gk; rk , l , vkj ds vuq kj mi HkDr		
1	आंध्रप्रदेश	6	995.30	802.62	
2	बिहार	2	142.00	158.61	
3	गुजरात	7	921.50	805.82	
4	हरियाणा	3	519.00	505.98	
5	कर्नाटक	2	451.00	291.96	
6	केरल	1	80.00	79.08	
7	मध्यप्रदेश	2	360.00	318.18	
8	महाराष्ट्र	4	453.00	480.75	
9	उड़ीसा	5	544.90	457.55	
10	पंजाब	2	294.00	290.06	
11	तमिलनाडु	3	340.90	268.36	
12	उत्तर प्रदेश	1	125.00	126.76	
	dy	38	6051.60	5217.33	

12-2-3 pkyw ØfMV@_.k djkj

विश्व बैंक द्वारा चार परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया गया है। प्रयुक्त सहायता का विवरण तालिका 12.5 में दिया गया है:-

rkfydk 12-5 i fj ; kstuks cká | gk; rk 1fo'o cdh

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केंद्रित संख्या / ऋण संख्या	अभिकरण	समयावधि		अनुमानित लागत (मिलियन रुपयों में)		सहायता (अमेरिकन मिलियन डालर में)	
				प्रारंभण माह	समाप्त माह	कुल (एसएआर के अनुसार)	अद्यतन	कुल	3/8 के अंत तक उपभुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना*	एल 4796—आईएन	आईबीआरडी	09—2005	3—2012	18595.58	18595.58	325.00	72.58
2	राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना	केंद्रित 3603—आईएन	आईडीए	03—2002	03—2008	8305.07	8305.07	140.00	96.29
3.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र 3602—	केंद्रित	आईडीए	03—2002	10—2008	8351.00	8351.00	149.20	57.61

	पुनःसंरचना परियोजना	आईएन							
4	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना	ऋण 4750—आईएन	आईबीआरडी	01—2005	03—2011	20402.23	20402.23	394.02	79.38
	dly							1008-22	305-86

*परियोजना की डीपीआर अभी प्रतीक्षित है। अतः इसे केंद्रीय जल आयोग/टीएसी की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

12-3 tkiku vrjk!Vt; | g; kx cd l s l gk; rk

जल संसाधन के क्षेत्र में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सिंचाई प्रणाली में सिविल कार्यों के निर्माण को वित्तपोषित करके कृषि की पैदावार बढ़ाना है। इन परियोजनाओं के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :—

- सिविल कार्यों का निर्माण
- प्रशिक्षण
- परामर्शी सेवाएं
- कृषि तीव्रीकरण कार्यक्रम
- फार्म पर विकास

12-3-1 pky! djkj

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) के अंतर्गत तीन चालू परियोजनाओं को वित्त पोषण किया गया है। प्रयुक्त सहायता का विवरण तालिका 12.6 में दिया गया है।

rkfydk 12-6 i fj ; kstukvka dks cká | gk; rk !tchvkb! h%

Øe- Ø	i fj ; kstuk dk uke	—.k djkj Ø	—.k vof/k		vupkfu r ykxr djkj ds vuq kj Wefy; u : 0 e½	dly l gk; rk ½e0 ; u½	12@08 dh l ekflr rd i z Ør l gk; rk ½e0 ; u½	fVi .kh
			i kj lk vof/k	l ekflr vof/k				
1.	रेणाली सिंचाई परियोजना, नहर-II के बाएं किनारे, फेज-I, उड़ीसा	आई-डी-पी 135 एवं आईडी-पी154	6 / 04	6 / 2011	6580	7760	6844.23	समाप्त
						6342	5531.83	चालू
2.	के. सी. नहर आधुनिकीकरण परियोजना, आंध्रप्रदेश	आई-डी-पी 113 एवं आईडी-पी 155	3 / 04	3 / 09	11070	16049	15728.65	समाप्त
						4773	2811.78	चालू
3.	ए पी सिंचाई तथा आजीविका सुधार परियोजना	आई-डी-पी 181	3 / 07	07 / 13	11377	23974	38	चलू
		dly				58898	29002-88	

13-1 Hkkfedk

भारत की तीन मुख्य नदी प्रणालियाँ नामशः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। जल संसाधन मंत्रालय इन नदियों के जल से संबंधित मामलों को पड़ोसी देशों से बातचीत के जरिए हल करने, जल संसाधन विकास परियोजनाओं तथा जल संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

13-2 Hkkj r rFkk u^s ky ds chp | g; k^x

- नेपाल से निकलने वाली अधिकांश नदियों के कारण भारत में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में बाढ़ आती है। ये नदियाँ घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक, बुराहि गंडक, बागमती, कामला, कोसी एवं महानन्दा नदियाँ हैं। नेपाल से प्रवाहित होने वाली उपर्युक्त नदियों के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान एवं अग्रिम चेतावनी देने के लिए वर्ष 1989 से एक स्कीम अर्थात् “भारत और नेपाल के बीच साझी नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली” चल रही है, जिसमें नेपाल के 42 मौसम विज्ञानीय/हाइड्रोमेट रथल और भारत के 18 जल विज्ञानीय रथल शामिल हैं। इस प्रकार संग्रहीत आंकड़े आवाह के अनुप्रवाह में बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करने में सहायक होते हैं। इस स्कीम की समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।
- मौजूदा करारों एवं समझौतों के क्रियान्वयन सहित जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता में भारत-नेपाल संयुक्त जल संसाधन समिति सभी समितियों एवं दलों की छत्रक (अम्बेला) अम्बेला समिति के रूप में अधिदेश के साथ कार्य कर रही है। केन्द्रीय भू-जल आयोग भारत-नेपाल संयुक्त जल संसाधन समिति एवं संयुक्त विशेषज्ञ दल के क्रियाकलापों के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को सहायता प्रदान करता है।

शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित महाकाली (शारदा) नदी पर एकीकृत विकास संधि पर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच फरवरी, 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे जो जून, 1997 (महाकाली संधि) से लागू है। यह संधि इसके लागू होने की तिथि से 75 वर्षों के लिए वैध है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना महाकाली संधि का एक केन्द्र बिन्दु है। पंचेश्वर में सिंचाई और आकस्मिक बाढ़ नियंत्रण लाभों एवं उत्तर प्रदेश में बनबासा के अनुप्रवाह पर सिंचाई संबंधी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पुनर्विनियमित संरचना के साथ पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 5600 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाले अपेक्षित क्षेत्र अन्वेषण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सिंचाई एवं विद्युत तथा साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच पुनर्विनियोजित बांध रथल, लागत प्रभाजन को अंतिम रूप देने संबंधी लंबित मुद्दों को परस्पर हल करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में भारत-नेपाल जल संसाधन विकास परियोजना संबंधी नई दिल्ली में 01.10.2007 को हुई दूसरी अंतर-मंत्रालयी बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि भारत तथा नेपाल सरकार के बीच हुई महाकाली संधि के अनुसार दोनों देश पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा परियोजना के वित्त तथा कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। पंचेश्वर विकास प्राधिकरण न केवल संबंधित मुद्दों का निपटारा करता है अपितु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की अवस्था से परे कार्यान्वयन को शीघ्रता से कराने की चेष्टा करता है।

- भारत सरकार, सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं सन कोसी भण्डारण सह व्यपवर्तन स्कीम का संयुक्त अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए भी नेपाल के साथ विचार-विमर्श कर रही है। स्वीकृत संयुक्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र अन्वेषण एवं संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल में अगस्त, 2004 में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय (जीपीओ) खोला गया है। संयुक्त परियोजना कार्यालय के गठन की तिथि से 30 महीने के अंदर संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। सिंचाई एवं विद्युत लाभ

के अतिरिक्त, उक्त परियोजना से, विशेष रूप से उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण में अत्यधिक लाभ होगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्र अन्वेषण संबंधी कार्य चल रहा है। तथापि नेपाल में सुरक्षा कारणों तथा अन्दरूनी राजनैतिक-सामाजिक अवस्था की वजह से कार्य की प्रगति में व्यवधान आया था। कार्य की धीमी प्रगति के मद्देनजर 10वीं योजना के दौरान 12.44 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। कमला बहुप्रयोजनीय परियोजना के अध्ययन संबंधी अतिरिक्त कार्य जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) को तथा भागमती बहुप्रयोजनीय परियोजना के प्रारंभिक अध्ययन का कार्य संयुक्त परियोजना अधिकारी—एस के एस के आई को सौंपा गया। भारत सरकार द्वारा 70.55 करोड़ रुपये की राशि के सीपीआईबी के एक संशोधित ज्ञापन का अनुमोदन किया गया है।

- us ky dh vkj I s ykycsd k] Hkkxerh] [kk. Mka rFkk deyk ufn; k] I s fcgkj e; ck<+ ds ty ds mRi ykou dks jkdsu ds fy, Hkkj r vkj us ky bu ufn; k] ds rVca/kka dk foLrkj djus ds fy, I ger gq gA us ky e; dk; k] dk foUk fons'k e;ky; rFkk Hkkj r e; ty I d k/ku e;ky; }kj k mi yC/k djk; k x; k gA bl I c/k e; rVca/kka ds fuekLk I c/k , d LFkkbz I fefr %, I I hbz h% xBu fd; k x; k gS tks bu rVca/kka dh vk; kstuk] vfhkdyi rFkk fuekLk ds fy, ftEenkj gA

13-2 Hkkj r rFkk phu ds chp I g; kx

- बाढ़ मौसम में यालुजंगबू/ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा भारत के साथ जल विज्ञानीय सूचना आपस में बांटने के लिए 2002 में भारत सरकार ने चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 01 जून से 15 अक्तूबर तक यालुजंगबू/ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित तीन केन्द्रों नामषः नुगेषा, यंगकुन और नक्सिया के संबंध में चीनी पक्ष जलविज्ञानीय सूचना (जल स्तर, निस्सरण और वर्षण) उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2005 तक के आवध्यक आंकड़े प्राप्त किए गए और बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका उपयोग किया गया।
- जून 4–7, 2008 में भारत के माननीय विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन द्वारा भारत के साथ बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र/येलजांदू नदी की जल-विज्ञानीय सूचना की व्यवस्था के लिए चीन के साथ 05.06.2008 को पांच वर्ष की वैधता वाले एक नए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसरण में, चीन पक्ष ने 08.09.2008 से आंकड़े प्रदान करना आरंभ कर दिया है।
- सीमा-पार नदियों के संबंध में विशेषज्ञ स्तर के तंत्र की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 10–12 अप्रैल, 2008 को हुई। बैठक के दौरान विशेषज्ञ स्तर के तंत्र के कार्य विनियमन पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई और हस्ताक्षर किए गए।

अप्रैल, 2005 में चीन के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान बाढ़ मौसम में सतलुज/लैंगकेन जैंगबो नदी की जल विज्ञानीय सूचना के लिए दोनों देशों ने अप्रैल, 2005 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार चीनी पक्ष वर्तमान प्रबोधन एवं आंकड़ा संग्रहण सुविधाओं के आधार पर जल स्तर/निस्सरण में किसी असामान्य चढ़ाव/उतार के संबंध में तथा ऐसी कोई अन्य सूचना, जब अचानक बाढ़ आने की संभावना हो, वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त चीनी पक्ष वर्ष 2007 के बाढ़ मौसम से पहले सतलुज/लैंगकेन जैंगबो नदी पर एक जलविज्ञानीय केंद्र बनाने और भारतीय पक्ष को जलविज्ञानीय सूचना उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। आंकड़ों के आदान-प्रदान हेतु कार्यान्वयन योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पलानजंगबू और लोहित में साइट स्थापित करने हेतु चीन से बातचीत जारी है।

- इसके अतिरिक्त, परीछू नदी पर वर्ष 2004 में बनी कृत्रिम झील और तत्पश्चात उसमें दरार आने के कारण परीछू नदी के जल स्तर का प्रबोधन करने के लिए वास्तविक समय आंकड़ा संचरण हेतु तिब्बत (चीन) में दो स्थल, अर्थात् भूस्खलन बांध /झील स्थल के अनुप्रवाह एवं निर्मित

झील के प्रतिप्रवाह पर एवं भारत में दो स्थल एक जम्मू और कश्मीर में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में (बांध के अनुप्रवाह) स्थापित किये गये हैं।

- नवंबर, 2006 में चीन गणतंत्र के माननीय राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान एक संयुक्त घोषणा जारी की गई जिसमें दोनों पक्ष बाढ़ मौसम जल विज्ञानीय आंकड़े के प्रावधान, आपातकाल प्रबंधन तथा सीमा पार की नदियों से संबंधित अन्य मुद्दों के लिए परस्पर संवाद तथा सहयोग संबंधी विशेषज्ञ स्तर की प्रक्रिया के गठन के लिए सहमत हुए। विशेषज्ञ स्तरीय प्रक्रिया संबंधी पहली बैठक पेंचींग चीन में 19.09.2007 से 21.09.2007 तक आयोजित की गई जिसमें सीमापार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और लैंगकेन जैंग्बो/सतलुज नदी की योजना के कार्यान्वयन मसौदे सहित जलविज्ञानीय सूचना के आदान-प्रदान हेतु विचार-विमर्श किया गया था।
- 06.09.2008 से 15.10.2008 तक यूबीडी, केंद्रीय जल आयोग, डिबूगढ़, को चीनी पक्ष द्वारा 3 केंद्रों अर्थात् नुगहेशा, यानगौन और बकिसया को जल स्तर, निस्सरण और वर्षा जल के आंकड़े भेजे गए।

13-3 Hkkj r vkj cklykns k ds chp | g; kx

Ü vkadMka dk gLrkUrj .k

भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972 से मानसून मौसम के दौरान बांग्लादेश को जल स्तर, निस्सरण और वर्षण आंकड़ों के हस्तांतरण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था बांग्लादेश के एक संप्रभु राज्य बनने से पूर्व से ही विद्यमान है। बांग्लादेश को मानसून मौसम (15 मई से 15 अक्टूबर तक) के दौरान जल स्तर का निस्सरण और वर्षण आंकड़ों का हस्तांतरण जारी है।

Ü xkk ty dk | a Pr i g.k.k

गंगा/गंगा जल के बंटवारे के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा बनाई गई प्रक्रिया और मार्गदर्शिकाओं के अनुसार फरक्का और हार्डिंग पुल पर स्थित संयुक्त प्रेक्षण दल प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 31 मई तक संयुक्त प्रेक्षण करता है। वर्ष के दौरान हार्डिंग पुल पर संयुक्त प्रेक्षण के लिए केंद्रीय जल आयोग के 6 अधिकारियों को भेजा गया।

भारत की ओर से पहले बांग्लादेश को आर्सनिक परीक्षण किट तथा आर्सनिक खत्म करने वाले पौधे मुफ्त उपलब्ध कराने की सद्भावना की अभिव्यक्ति के रूप में पेशकश की गई थी। इस संबंध में उपर्युक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बांग्लादेश के वैज्ञानिकों द्वारा कोलकाता के केंद्रीय कांच एवं सीरामिक अनुसंधान संस्थान में उपस्कर्तों की जाँच की गई है। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रियों द्वारा तटीय सुरक्षा/लघु लिफ्ट सिंचाई/पेय जल आपूर्ति स्कीमों संबंधी प्रस्तावित कार्य स्थलों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करेंगे और दोनों सरकारों को, कार्रवाई के संबंध में अपना उचित निर्णय प्रदान करेंगे।

भारत द्वारा बांग्लादेश को मानसून के दौरान गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी मुख्य नदियों से संबंधित बाढ़ पूर्वानुमान आंकड़ों के हस्तांतरण की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा गया था। भारत द्वारा मानसून के दौरान बांग्लादेश को हस्तांतरित बाढ़ पूर्वानुमान सूचना से बांग्लादेश की सिविल तथा सेना प्राधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में सहायता मिलती है। जेआरसी की 36वीं बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की सतह, प्रवाह और पूर्वानुमान संबंधी सूचना तथा फरक्का में गंगा के पूर्वानुमान की सलाह उपलब्ध कराने की पेशकश की है ताकि बाढ़ पूर्वानुमान की चेतावनी की समयावधि में बढ़ोत्तरी की जा सके।

13-4 हक्कजर व्हिं हक्कि/कु द्स च्हप | ग; क्ष

- “भारत और भूटान की साझी नदियों पर जल मौसम विज्ञानीय एवं बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित करने की समेकित योजना” नामक एक समेकित योजना वर्ष 1979 से ही चल रही है। इस नेटवर्क में भूटान में स्थित 35 जल—मौसमविज्ञानीय/मौसमविज्ञानीय केन्द्र शामिल हैं जिनका रख—रखाव भूटान की शाही सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसका वित्त पोषण भारत द्वारा किया जा रहा है। इन केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भारत में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में किया जाता है। भारत सरकार तथा भूटान की शाही सरकार के अधिकारियों वाला एक संयुक्त विशेषज्ञ दल इस योजना की प्रगति एवं अन्य आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा करता है।
- भूटान से निकलने वाली एवं भारत में आने वाली नदियों से होने वाली बाढ़ की समस्या से संबंधित मामला भूटान की शाही सरकार के साथ उठाया गया। इस संबंध में भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त विशेषज्ञ दल (जे जी ई) का गठन किया गया जो भूटान के दक्षिणी पादगिरि एवं भारत के साथ लगते मैदानों में बार—बार आने वाली बाढ़ों और कटाव के संभावित कारणों एवं प्रभावों पर चर्चा एवं मूल्यांकन करेगा और दोनों सरकारों को उपयुक्त एवं दोनों तरफ से स्वीकार्य उपचारी उपायों की सिफारिष करेगा। संयुक्त विशेषज्ञ दल की पहली बैठक भूटान में नवम्बर, 2004 में हुई। जे जी ई ने इस विषय पर लगातार चर्चा की हैं और कुछ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र भ्रमण किए हैं जिसमें भू—स्खलन संभावित क्षेत्र एवं डोलोमाइट खनन क्षेत्र शामिल हैं। इन सिफारिषों के आधार पर जे जी ई ने यह महसूस किया है कि और अधिक विस्तृत तकनीकी जांच की आवश्यकता है और तदनुसार सदस्य (पी आई डी), उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में एक संयुक्त तकनीकी दल (जे टी टी) का गठन करने पर सहमति हुई है, जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भू—वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) और मंडलीय आयुक्त, जलपाईगुड़ी में से प्रत्येक का प्रतिनिधि शामिल है।
- भूटान में जलविद्युत क्षमता के विकास के संबंध में भी केन्द्रीय जल आयोग तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। भूटान अन्वेषण मंडल, फुंटषोलिंग, भूटान की शाही सरकार से समन्वय कर रहा है और इस संबंध में अपेक्षित क्षेत्र—कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निष्पादित नौ लघु जल—विद्युत परियोजनाएं भूटान की शाही सरकार को सौंपी गई। चुक्खा बांध और इससे संबंधित संरचनाओं के लिए स्थाई उपचारी उपायों हेतु क्षेत्र अन्वेषण पूरा कर लिया गया है और इसके अभिकल्प/आरेखन का कार्य प्रगति पर है। पुनात्तरांगचू जल—विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए भू—वैज्ञानिक एवं नींव अन्वेषण के तहत 1385 मी. खुदाई की जा चुकी है और शेष कार्य प्रगति पर है। पारो हवाई अड्डे के लिए नदी नियंत्रण कार्यों के सुदृढ़ीकरण की तैयारी और निष्पादन भी जारी है। ताला जल—विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) के विनिर्देशन/निर्माण चरण कार्य के लिए अभिकल्प परामर्श भी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान आई सभी प्रमुख समस्याओं को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नवाचारी समाधानों के साथ संबोधित किया गया। परियोजना का निर्धारित समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने स्थल आवश्यकताओं के अनुसार सभी सिविल घटकों के लिए सभी आवश्यक अभिकल्प और आरेखन समय पर जारी कर दिए हैं।

13-5 हक्कजर एंड ई क्फ्डलर्कु द्स च्हप | ग; क्ष

- ० सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल के लिए आयुक्त के दो स्थायी पद, एक भारत में और एक पाकिस्तान में सृजित किए हैं। प्रत्येक आयुक्त इस संधि के तहत उठने वाले सभी मामलों के लिए अपनी सरकार के प्रतिनिधि हैं और ये संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में संपर्क के लिए नियमित माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। दोनों आयुक्तों से मिलकर स्थाई सिंधु आयोग बना है।

- सिंधु जल संधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, सिंधु प्रणाली के झेलम और चिनाब बेसिनों के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे 26 जल-विज्ञानीय स्थलों के दैनिक आंकड़े पाकिस्तान को भेजे गए।
- ઉ नियमित आधार पर नदी आंकड़ों के आदान-प्रदान के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 से ही सहयोग जारी है। भारत प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान को बाढ़ संदेशों का संप्रेषण करता आ रहा है। सिंधु नदी प्रणाली की अखनूर साइट के प्रवाह आंकड़ों को प्राथमिकता आधार पर तार/प्रसारण/दूरभाष द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

14-1 izkkyh i cku %

मानक साफ्टवेयर के अनुप्रयोग तथा प्रचालनात्मक उपयोग में और जल संसाधन तथा इससे संबंधित सांख्यिकी के डाटा बैंक के उन्नयन में सूचना प्रणाली संगठन के कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा उपयोगकर्ता निदेशालयों को तकनीकी सहायता देना जारी है। इस केन्द्र द्वारा इंटरनेट के उपयोग सहित मानक साफ्टवेयर के अनुप्रयोग तथा प्रचालनात्मक उपयोगों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

14-2 dñh; ty vñ; kx eñ dEl; WjhñdJ.k xfñfñfñ/k; ka

केंद्रीय जल आयोग, सॉफ्टवेयर प्रबंधन निदेशालय 6.0 करोड़ रुपये की लागत योजना स्कीम 'निदेशक (एसएम) के लिए अवसंरचना विकास' का प्रचालन कर रहा है, जो 115.0 करोड़ रुपये लागत की अपेक्षाकृत बड़ी ईएफसी नामत: 'जल संसाधन मंत्रालय में अवसंरचना विकास स्कीम' का भाग है। योजना स्कीम के प्रचालन के दौरान, एसएमडी ने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग मद्दें प्राप्त की है। इन्होंने केंद्रीय जल आयोग के मुख्यालय में मैसर्स कंसॉर्टियम हाई-टेक प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्स करके आईटी मद्दों के रखरखाव के लिए भी व्यवस्था की है। वर्ष 2007–08 के दौरान 46.77 लाख रुपये का व्यय किया गया तथा वर्ष 2008–09 के दौरान प्रस्तावित व्यय लगभग 60.00 लाख रुपये होगा।

14-2 ty | d k/ku vñdMñ

14-2-1 ty&foKkuh; vñdMñ

केंद्रीय जल आयोग के निरीक्षण स्थलों से एकत्र किए गए अवर्गीकृत बेसिनों के लिए जलविज्ञानीय ऑकड़े समेकित जलविज्ञानीय ऑकड़े आंकड़ा बही (डाटा बुक) नामक प्रकाशन में शामिल करने के लिए आईएसओ के जलविज्ञानीय ऑकड़ा निदेशालय में संकलित किए जाते हैं। उक्त प्रकाशन में निम्नलिखित सूचना शामिल है:-

1. विभिन्न नदी बेसिनों का विवरण
2. अवसादीकरण सांख्यिकी
3. जल गुणवत्ता सांख्यिकी
4. भूमि उपयोग सांख्यिकी

2003–04 तक के आँकड़े रखने वाले वर्ष 2007 के प्रकाशन केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर पहले ही लोड कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2006–07 तक के उपलब्ध आँकड़ों के साथ वर्ष 2008 के लिए प्रकाशन तैयार किया जा रहा है।

14-2-2 ty rFkk bl | s | cf/kr | kf[; dñh

जल तथा इससे संबंधित संसाधनों जैसे देश के विभिन्न मौसम–विज्ञानीय उपमंडलों में वर्षा, भारत के नदी बेसिनों में जल संसाधन क्षमता, भारत में बेसिन–वार तथा राज्य–वार संचयन, राज्य–वार चरम सिंचाई क्षमता, बेसिन–वार जल विज्ञानीय एवं अवसाद प्रेक्षण तथा केन्द्रीय जल आयोग के जल गुणवत्ता केन्द्रों से संबंधित सूचना प्रदान करने वाला डाटाबेस केन्द्रीय जल आयोग में सृजित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त नीचे दी गई सूचना / आंकड़े भी डाटाबेस में शामिल कर लिए गए हैं।

- योजना–वार/राज्य–वार सृजित क्षमता, प्रयुक्त क्षमता, वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (सतही जल) की सिंचाई क्षमता की उपलब्धिओं समेत संसाधन उपयोगिता।
- उत्पादन संबंधी निष्पादन एवं आर्थिक दक्षता।

- वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर राज्य-वार तथा योजना-वार वित्तीय व्यय का वित्तीय निष्पादन
- जनजातीय उप-योजना क्षेत्र (अखिल भारतीय वित्तीय प्रगति और भौतिक लाभ) के अन्तर्गत वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय निष्पादन का संकलन किया गया तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

14-2-3 *Hkkj r e॥ ty i z kkyh e॥ ty ds e॥; fu/kkj .k l c/kh i dk'ku dks 2004 e॥ i dkf' kr fd; k x; k Fkk] ft l e॥ 1999&2000 rd fuEufyf[kr tkudkjh nh xbz Fkh%

1. जल की दरें, राजस्व और प्रचालनात्मक व्यय।
2. राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में जल की दरों/प्रभारों का निर्धारण।
3. राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण।
4. जल राजस्व की छूट।
5. भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय प्रदर्शन – एक समीक्षा।
6. फसलों द्वारा जल की दरें।
7. राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा जल की दरें।

पूरे देश में 2008 के दौरान, यथा प्रचलित घरेलू और औद्योगिक उपयोग और लिफ्ट और फ्लो सिंचाई के लिए जल की दरें “भारत में सार्वजनिक प्रणाली में जल की दरें” के प्रकाशन हेतु संकलित की जा रही है।

14-2-4 *Hkkj r e॥ fl pkbz i fj ; kstukvks ds foYkh; i gyvkh ds l c/k e॥ i dk'ku bl mnfs ; ds l kf k i dkf'kr fd, tkrs g; fd fo'k'kr; k i z kkyh ds ipkyu o i c/ku ij i Hkkko Mkyus okys fofo/k foYkh; i j kehVjks ds l c/k e॥ vklM s 'kkskkFFk; k; fo'y'skdks dk; Oe i z kki dks rFkk i c/kdks }kjk mi ; kx djus ; k; QkM s mi yC/k djk, tk l dA mDr i dk'ku e॥ jkT; @l g;k&jkT; {k=okj fuEufyf[kr tkudkjh nh xbz g%

1. बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय पहलू – वाणिज्यिक, गैर-वाणिज्यिक और सभी
2. लघु सिंचाई स्कीमों के वित्तीय पहलू
3. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के वित्तीय पहलू

उक्त प्रकाशन को वर्ष 2005–06 की जानकारी के साथ अद्यतन बनाया गया है और वेबसाइट पर रखा गया है। वर्ष 2006–07 के प्रकाशनों का संकलन किया जा रहा है।

14-2-5 vklM s dk i yks[ku

जल और संबंधित जानकारी, मार्च, 2008 संबंधी पुस्तिका को कार्यालय उपयोग हेतु केंद्रीय जल आयोग के इंटरनेट पोर्टल पर पोस्ट किया गया है।

अति संपर्क (हाइपर लिंक) ‘जल संसाधन सांख्यिकी’ के अंतर्गत जल और संबंधित सांख्यिकी – 2008 केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

14-3 i c/ku dks l ipuk l gk; rk

प्रकाशन का उद्देश्य जल संसाधन नियोजकों, प्रबंधकों, प्रशासकों और शोधों तथा कुल मिलाकर जनता की आवश्यकता को पूर्ण किया जाना है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 'जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास' के अन्तर्गत एक नई योजना स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, जल संसाधन, भूमि, कृषि तथा संबंधित मामलों के आँकड़ों सहित प्रत्येक नदी बेसिन पर आँकड़ों का रख-रखाव किए जाने के लिए आई.एस.आर.डब्ल्यू.डी, अधिनियम, 1956 द्वारा अनिवार्य एक आँकड़ा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय जल आयोग मुख्यालय के आँकड़ा बैंक को राज्यों के स्रोत अभिकरणों से सूचना के ऑनलाइन संग्रहण तथा आदान प्रदान के लिए जोड़ा जाएगा।

15-1 i f' k{.k

केन्द्रीय जल आयोग, कार्मिकों के ज्ञान, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों एवं संगठनों के सेवाकालीन अधिकारियों के लिए जल से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का प्रबंध एवं समन्वय करता है। देश के अंदर एवं बाहर, दोनों जगह आयोजित किए जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि में केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का प्रायोजन करके अन्य व्यावसायिक संगठनों और संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की गई। प्रशिक्षण निदेशालय, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के सहयोग से नए इंजीनियरों/ग्रेजुएट/डिप्लोमा धारकों/व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण का प्रबंध भी करता है। इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के कुछ विद्यार्थियों को केन्द्रीय जल आयोग में प्रत्येक वर्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुबंध—15—1 (क) तथा 15—1 (ख) में दिए गए हैं।

15-2 i d's ku i f' k{.k@mJe[khdj .k dk; Øe

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुने गए सहायक निदेशकों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण, पुणे में स्थित प्रशिक्षण निदेशालय और राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा भी आयोजित किया जाता है। 22वें प्रवेशन प्रशिक्षण का पहला और तीसरा भाग केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालयों में 20 अक्टूबर, 2008 से 24 अक्टूबर, 2008 तक, और 17 फरवरी, 2009 से 18 मार्च, 2009 तक आयोजित किया गया, जबकि 22वें प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का द्वितीय भाग राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में 4 नवम्बर, 2008 से 13 फरवरी, 2009 तक आयोजित किया गया जिसमें 17 अधिकारियों ने भाग लिया।

15-3 jk"Vh; ty vdkneh

राष्ट्रीय जल अकादमी (रा.ज.अ.), जिसका जल विज्ञान परियोजना—एक के तहत विश्व बैंक की सहायता से नवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रशिक्षण एकक (सी.टी.यू.) से उन्नयन किया गया था, अब जल संसाधन इंजीनियरी कार्मिकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय जल अकादमी, जल संसाधन विकास, आयोजना एवं प्रबंधन के विभिन्न पक्षों में केन्द्रीय तथा राज्य संगठनों के सेवारत अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा साथ ही जल संसाधन क्षेत्र में नए उभरते हुए क्षेत्रों में सतत आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण क्षमताएं विकसित कर रहा है।

अतिरिक्त कम्प्यूटरों की संस्थापना, अतिरिक्त कक्षाएं, आधुनिक सुविधाओं वाले पुस्तकालय की स्थापना, प्रशिक्षु अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था आदि जैसी अवसंरचना के विकास से प्रशिक्षण एवं अन्य संबंधित गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय जल अकादमी नियमित आधार पर दीर्घावधि तथा साथ ही साथ अल्पावधि वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है और जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों के विषय में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित करती है। अकादमी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जल विज्ञानीय परियोजना—II के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने वाली एक नोडल एजेंसी भी है।

वर्ष 2008—09 के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा कार्यशाला/संगोष्ठी सहित 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार संगठनों के 586 अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर कुल 1010 मानस सप्ताहों में कार्य किया गया।

16.02.2009 से 06.03.2009 तक प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (इथियोपियन व्यवसायियों के लिए) एनडब्ल्यूए में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 व्यवसायियों ने भाग लिया।

एनडब्ल्यूए द्वारा आयोजित 26 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में से निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्यशालाएं पहली बार आरंभ की गईः—

- जल जागरूकता पर कार्यशाला (30 जून, 2008)
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कर्मचारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (21–25 जुलाई, 2008)
- भुवनेश्वर में “वेब आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग” के संबंध में परिसर के बाहर (ऑफ–कैम्पस) कार्यशाला (18 अक्टूबर, 2008)
- पीडब्ल्यूडी, चेन्नई में ‘प्रचालनात्मक जलविज्ञान के संबंध में परिसर के बाहर (ऑफ–कैम्पस) प्रशिक्षण कार्यक्रम (9–13 फरवरी, 2009)
- पीडब्ल्यूडी, चेन्नई में ‘प्रचालनात्मक जलविज्ञान के संबंध में परिसर के बाहर (ऑफ–कैम्पस) प्रशिक्षण कार्यक्रम (10–14 फरवरी, 2009)
- इथियोपिया से व्यवसायियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (16 फरवरी से 16 मार्च, 2009)
- नियोजन सर्किल, केंद्रीय जल आयोग, फरीदाबाद के पत्र के अनुसरण में समूह घ (गैर– मैट्रिक) कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- गैर तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम।

अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में गठित पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष, आयुक्त (पीपी), जल संसाधन मंत्रालय के रूप में, वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, महानिदेशक, वालामातारी, आंध्र प्रदेश सरकार, मुख्य इंजीनियर (एचआरएम), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली, निदेशक, केंद्रीय जल और ऊर्जा शोध केंद्र, पुणे, प्रमुख, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी, मुम्बई, निदेशक, भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन, बंगलौर, योजना आयोग के प्रतिनिधि, निदेशक डब्ल्यूआरडीटीसी, रुड़की, निदेशक, गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उप–अध्यक्ष, ऐक्शन फॉर एंग्रीकल्चर रीन्यूयल इन महाराष्ट्र (एएफएआरएम) और उप कुलपति, पुणे विश्वविद्यालय शामिल हैं। मुख्य इंजीनियर, एनडब्ल्यूए, पुणे सदस्य सचिव हैं।

बोर्ड एनडब्ल्यूए के समग्र कार्यकरण का निरीक्षण करता है और प्रशिक्षण कार्यकलापों से संबंधित मामलों के संबंध में सलाह देता है। सलाहकार बोर्ड की 15वीं बैठक 18 सितम्बर, 2008 को आयोजित की गई थी।

वर्ष 2008–09 के दौरान, पुणे में एनडब्ल्यूए द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के ब्यौरे अनुबंध–XV-1(ग) में दिए गए हैं।

df"k vkJ xkeh.k fodkl e=ky;] QMjy MekOFVd fj i fcyd vklD bffk; kfi ; k ds vf/kdkfj ; k ds fy, vkJ kftr okVj 'kM i cku vkJ I gHkkxh fl pkbz i cku I ckh i f'k{k.k dk; Øe ½16 Qjojh & 06 ekp] 2009%

Qks/Vks

वर्ष 2008–2009 के दौरान देश और विदेश में प्रशिक्षण, संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन इत्यादि के लिए प्रतिनियुक्त किए गए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों का समेकित विवरण तालिका 15.1 में दिया गया है।

rkfydk 15-1 प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी

छेकद	dk; ldyki kः ds uke	l gHkkfx; kः dh aः k
1	अन्य संगठनों द्वारा भारत में आयोजित किए गए प्रशिक्षण, समिनार/ कार्यशाला आदि के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना	104
2	विदेश में प्रशिक्षण, समिनार/ कार्यशालाओं आदि के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना	19

15-5 vll; fØ; ldyki

- (i) केन्द्रीय जल आयोग, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए कुछ ग्रेजुएट/डिप्लोमा/10+2 उत्तीर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाता है। वर्ष 2008–2009 के दौरान 16 ग्रेजुएट इंजीनियरों/डिप्लोमा धारकों/व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- (ii) शैक्षणिक संस्थानों के साथ विचार–विमर्श के एक भाग के रूप में विभिन्न संस्थानों के 61 इंजीनियरों और सचिवालयी पद्धति प्रशिक्षणार्थियों को 4 से 6 सप्ताह का ऑन–द–जॉब व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
- (iii) अध्ययन सर्किल के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के लाभ हेतु विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए।

o"kl 2008&09 ds nkjku dñhi; ty vk; kx }kj k vk; kfstr i kB; ØeA

Ø-I a	lkf' k{k.k dk; Øe	i kB; Øe dh vof/k	i kB; Øe dk LFkku	I gHkkfx; k dh I a[; k
1.	हिन्दी कार्यशाला	24–25 जून, 2008	नई दिल्ली	17
2.	'निर्माण प्रबंधन' के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	22–23 जून, 2008	पुणे	1
3.	'आरंभ करने वालों के लिए कम्प्यूटर और संबंधित सॉफ्टवेयर का उपयोग' के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	12–14 जून, 2008	लखनऊ	30
4.	डिजाइन बाढ़ और डिजाइन और्धी के प्राक्कलन हेतु ज्यामितीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए कृष्णा नदी बेसिन के ऊपर सामान्यीकृत पीएमपी ऐटलस का उपयोग और कार्यान्वयन	7–18 जुलाई, 2008	नई दिल्ली	23
5.	जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय), सीएसएमआरएस और सीजीडब्ल्यूबी (मुख्यालय) में अवर सचिव / अनुभाग अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण	22–24 जुलाई, 2008	नई दिल्ली	17
6.	पेंशन के कागजात तैयार करना	7–18 अगस्त, 2008	लखनऊ	30
7.	हिन्दी कार्यशाला	24–25 सितम्बर, 2008	नई दिल्ली	18
8.	नए भर्ती किए गए सहायक निदेशकों के लिए बाइसवॉ प्रवेशन प्रशिक्षण	20–24 अक्टूबर, 2008	नई दिल्ली	13
9.	बाढ़ पूर्वानुमान के लिए गणितीय मॉडल माइक- II का उपयोग	3–7 नवम्बर, 2008	लखनऊ	7
10.	जीव-विज्ञानीय पैरामीटरों का विश्लेषण	17–19 नवम्बर, 2008	नई दिल्ली	30
11.	एसडब्ल्यूडीईएस सॉफ्टवेयर	25–27 नवम्बर, 2008	देहरादून	18
12.	एसडब्ल्यूडीईएस संबंधी प्रशिक्षण	8–12 दिसम्बर, 2008	गांधीनगर	10
13.	एसडब्ल्यूडीईएस संबंधी प्रशिक्षण	15–17 दिसम्बर, 2008	हैदराबाद	29
14.	एमएस ऑफिस के संबंध में पुनर्शर्यापा ठायक्रम	18–20 दिसम्बर, 2008	हैदराबाद	26
15.	हिन्दी कार्यशाला	22–23 दिसम्बर, 2008	नई दिल्ली	12
16.	'हाईमोस' सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	12–16 जनवरी, 2009	गांधीनगर	14
17.	जल गुणवत्ता निगरानी के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	9–13 फरवरी, 2009	चेन्नई	20
18.	नए भर्ती सहायक निदेशकों के लिए 22वाँ प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम (तृतीय भाग)	17 फरवरी से 18 मार्च, 2009	नई दिल्ली	17
19.	बाढ़ के लिए गणितीय मॉडल माइक-II के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	3–7 मार्च, 2009	मैथन	14
20.	एसडब्ल्यूडीईएस संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	16–20 मार्च, 2009	बंगलौर	20

o"kl 2008&2009 ds nkjku fofHkUu if' k{.k@I feukj@I akBh@fI Ei kft; k@I Eesyukj
bR; kfn ds fy, ifrfu; Dr fd, x, vf/kdkfj ; k dhl I ph

O- I a	dk; Oe@LFky@vof/k dk 'kh"kd	I gHkkxh I oUjh
1.	'जल मौसम विज्ञान संबंधी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण में नई प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी', सेंट पिटरसर्बर्ग, 12–16 मई, 2008	प्रमोद नारायण, उप निदेशक
2.	माइन्ड लेश्का एच.ई. परियोजना, स्पेन 8–13 जून, 2008 के टरबाइन रनर का निरीक्षण	राकेश दुटेजा, उप निदेशक
3.	अंतरराष्ट्रीय जलविज्ञानीय कार्यक्रम (आईएचपी) – यूनेस्को, पेरिस की अंतर सरकारी परिषद का 18वाँ सत्र, 9–14 जून, 2008	ए.के. खरिया, निदेशक
4.	स्थायी खपत और उत्पादन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला, काठमांडू (नेपाल), 18–21 जून, 2008	नर्मदेश्वर झा, उप निदेशक
5.	सलमा बांध परियोजना, अफगानिस्तान का दौरा, 5–21 सितम्बर, 2008	वाई.पी. सिंह, निदेशक एम. रमेश कुमार, उप निदेशक पी.के. सक्सेना, निदेशक एस.के.जी. पंडित, निदेशक एस. आहलवालिया, निदेशक
6.	जल संसाधन संबंधी संयुक्त समिति की तृतीय बैठक, नेपाल, 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2008	ए.के. बजाज, अध्यक्ष आर.सी. झा, सदस्य (आरएम)
7.	20वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस और आईसीआईडी, लाहौर की 59वीं आईईसी बैठक	ए.के. बजाज, अध्यक्ष योगेश पैथनकर, निदेशक
8.	मेना क्षेत्र, मस्कट में जल संसाधन और ऋतु परिवर्तन संबंधी प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन, मस्कट, 2–4 नवंबर, 2008	सी.एस. माथुर, मुख्य अभियंता
9.	जल-विज्ञान के लिए डब्ल्यूएमओ आयोग का 13वाँ सत्र, जेनेवा, स्विटजरलैंड, 4–12 नवंबर, 2008	आर.के. गुप्ता, निदेशक
10.	एशिया और प्रशांत क्षेत्र, सियोल में सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आर्थिक-सक्षम जल अवसंरचना के विकास के संबंध में प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला, सियोल, 10–12 नवंबर, 2008	एस.के. सेनगुप्ता
11.	एडीबी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित नॉलेज मैनेजमेंट फॉर ऐनहांसड ऑपरेशन्स एफेक्टिवनेस संबंधी अध्ययन दौरा, 22–29 नवंबर, 2008	ए.के. बजाज, अध्यक्ष
12.	हार्डिंग ब्रिज, बांग्लादेश में संयुक्त जलविज्ञानीय प्रेक्षण, 29 दिसम्बर से 22 फरवरी, 2009	नीरज कुमार मांगलिक, उप निदेशक ए.के. राव, सहायक निदेशक

o"kl 2008&09 ds nkjku jk"Vt; ty vdkneh] iqks }kj k vk; kftr if'k{k.k i kB; Øe

Ø- I a	if'k{k.k dk; Øe	frffk; ka	अवधि (सप्ताह)	पाठ्यक्रम समन्वय सर्वश्री	सहभागियों की संख्या	आदमी— सप्ताह
1.	बाढ़ पूर्वानुमान के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम	21–25 अप्रैल, 2008	1 सप्ताह	आरकेएस	16	16
2.	वर्षा जल संचयन और भूमि जल पुनर्भरण	28 अप्रैल से 2 मई, 2008 तक	1 सप्ताह	टीएसपी	12	12
3.	सिंचाई क्षेत्र सुधार (पीआईएम), बैंचमार्किंग, आयतनी आपूर्ति)	5–9 मई, 2008	1 सप्ताह	पीके	12	12
4.	एसडब्ल्यूडीईएस सॉफ्टवेयर के उपयोग सहित उत्पलव घनत्व मापन में टीओटी	12–23 मई, 2008	2 सप्ताह	आरबीडब्ल्यू	16	32
5.	बहूददेशीय नदी घाटी परियोजनाओं के डीपीआर की तैयारी	26 मई से 6 जून, 2008	2 सप्ताह	पीके	28	56
6.	जल गुणवत्ता प्रबंधन	10–20 जून	2 सप्ताह	आरबीडब्ल्यू	19	38
7.	निर्माण प्रबंधन	23–27 जून, 2008	1 सप्ताह	टीएसपी	15	15
8.	जल जागरूकता के संबंध में कार्यशाला	30 जून, 2008	1 दिन	टीएसपी	34	7
9.	जल क्षेत्र में जैव-सूचना-विज्ञान का अनुप्रयोग	8–18 जुलाई, 2008	2 सप्ताह	आरकेएस	35	70
10.	गुवाहाटी में प्रबंधन विकास कार्यक्रम	21–25 जुलाई, 2008	1 सप्ताह	एकेएस	25	25
11.	जल विज्ञान परियोजना-II के अंतर्गत जल संसाधन परियोजनाओं (परियोजना जल विज्ञान) के लिए जल विज्ञानीय अध्ययन	18–22 अगस्त, 2008	1 सप्ताह	आरकेएस	30	30
12.	गुरुत्व बाँधों का विश्लेषण और डिजाइन	1–12 सितम्बर, 2008	2 सप्ताह	पीके	32	64
13.	आईडब्ल्यूआरडीएम हेतु डीएसएस नियोजन	16–26 सितम्बर, 2008	2 सप्ताह	आरकेएस	24	48
14.	भूवनेश्वर में 'वेब आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग' के संबंध में कार्यशाला	18 अक्टूबर, 2008	1 सप्ताह	डीएससी	60	12
15.	हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20–24 अक्टूबर, 2008	1 सप्ताह	—	25	25
16.	केंद्रीय जल आयोग के नए भर्ती सहायक निदेशकों के लिए 22वां प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	4 नवम्बर, 2008 से 13 फरवरी, 2009 तक	15 सप्ताह	एस के और सभी अन्य संकाय सदस्य	17	255

17.	बाँध सुरक्षा और यंत्रीकरण	17–21 नवम्बर, 2008	1 सप्ताह	पीके	17	17
18.	हाइमोस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सतह जल आँकड़ा संसाधन	24 नवम्बर, 2008 से 5 दिसम्बर, 2008	2 सप्ताह	एकेएस	10	20
19.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	10–22 दिसम्बर, 2008	2 सप्ताह	पीके	22	44
20.	जल विज्ञानीय अभिकल्प सहायक सामग्री	5–9 जनवरी, 2009	1 सप्ताह	आरकेएस	23	23
21.	प्रचालनात्मक जल विज्ञान के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पीडब्ल्यूडी, चेन्नई में)	9–13 फरवरी, 2009	1 सप्ताह	एकेएस	32	32
22.	इथियोपियाई व्यवसाइयों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	10–14 फरवरी, 2009	1 सप्ताह	एकेएस	32	32
23.	प्रचालनात्मक जल विज्ञान के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पीडब्ल्यूडी, चेन्नई में)	16 फरवरी, 2008 से 6 मार्च, 2009 तक	3 सप्ताह	एकेएस	12	36
24.	केंद्रीय जल आयोग के नए पदोन्नत अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए चौथा उन्मुखीकरण कार्यक्रम	16–27 फरवरी, 2009	2 सप्ताह	पीके	15	30
25.	नए पदोन्नत ईएडी (उपाधि धारकों) के लिए पाँचवां उन्मुखीकरण कार्यक्रम	9–27 मार्च, 2009	3 सप्ताह	एसके	18	54
26.	समूह 'घ' (गैर-मैट्रिक) कमेचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	25–26 एवं 30–31 मार्च, 2009	4 दिन	—	10	10
				day	591	1015

अधिकारियों की कुल संख्या = 586

मानस सप्ताह = 1010

संक्षिप्त :

टीएसपी	—	श्री टी.एस. पाटिल, निदेशक
आरबीडब्ल्यू	—	श्री आर.बी. वलिम्बे, निदेशक
पीके	—	श्री प्रदीप कुमार, निदेशक
आरकेएस	—	श्री आर.के. सूर्यवंशी, निदेशक
एसके	—	श्री सुशील कुमार, निदेशक
डीएससी	—	श्री डीएस चस्कर, उप निदेशक
आरएनएस	—	डॉ. आर.एन. संखुआ, उप निदेशक
एकेएस	—	श्री ए.के. श्रीवास्तव, उप निदेशक

16-1- vukkli ful ekeys

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त हुए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों तथा शिकायतों पर तत्काल समुचित ध्यान दिया गया। वर्ष 2008–2009 के दौरान 13 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी जांच की गई। 26 मामलों में अंतिम निर्णय लिए गए जिसमें से 4 मामलों में कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उन्हें मुख्य/लघु दण्ड दिया गया। विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संदर्भ में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का विवरण इस प्रकार है :–

अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी

क्र.सं.	विवरण	श्रेणी 'क'	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ग'	श्रेणी 'घ'
क.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	22	15	14	6
ख.	वर्ष के दौरान शामिल किए गए मामलों की संख्या	10	3	—	—
ग.	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	17	6	1	2
घ.	वर्ष के अंत में लम्बित मामलों की संख्या (क+ख-ग)	15	12	13	4

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 03 से 07 नवम्बर, 2008 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

v; k; & l =g
fofhku | fefr; ka e dkh; ty vk; kx dk i frfuf/kRo

17-1 d₁t-vk- ds vf/kdkfj ; ka }jk i frfuf/kr | fefr; ka

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अन्य संगठनों की विभिन्न तकनीकी समितियों में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी समितियों की सूची नीचे दी गई है :—

क्र सं	समिति/बोर्ड/ पैनल/ तकनीकी समूह आदि का नाम	के.ज.आ. का प्रतिनिधित्व	
		अधिकारी	समिति में पद
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे की शासी परिषद के लिए तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
2.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष सदस्य
3.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.) सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
4.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अन्तर्बंधिन जल अंतरण प्रस्तावों पर राज्यों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु समूह	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
5.	बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
6.	बी आई एस की जल संसाधन मण्डलीय परिषद (डब्ल्यू आर डी सी)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
7.	भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजना (सिंचाई स्कंध) की संगठन और पद्धति से संबंधित समस्याओं पर सलाह देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
8.	राष्ट्रीय जल बोर्ड का कार्य समूह	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
9.	जल विज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आई एन सी ओ एच)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
10.	सिंचाई और जलनिकास पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनसिड)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
11.	1.जैन-इनसिड सूक्ष्म सिंचाई पुरस्कार 2.जैन-इनसिड कृषि सिंचाई विकास पुरस्कार के लिए चयन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष

12.	बेतवा नदी बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
13.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
14.	बड़े बाँधों, भारत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय आयोग की समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	उपाध्यक्ष
15.	बाणसागर जलाशय की विनियामक समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
16.	शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी स्थायी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
17.	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की पर्यावरण / वन स्वीकृति तेजी से प्राप्त करने हेतु समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
18.	राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे का सलाहकार बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
19.	केंद्रीय जल आयोग की कार्यालय परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (अभि एवं अनु.) सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
20.	सिंचाई में निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को इष्टतम बनाने से संबंधित समस्याओं संबंधी आई.सी.ए.आर.—के.ज.आ. का संयुक्त पैनल	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(ज.आ. एवं परि.)	अध्यक्ष/ सह अध्यक्ष सदस्य
21	पंचेष्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर विषेषज्ञों का संयुक्त दल	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	दल नेता विशिष्ट आमंत्रित
22.	जल संसाधन आवधकताओं और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए संचालन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	सह—अध्यक्ष सदस्य
23.	d̄nh; eŋk ,oa l kexh vud ɻku'kkyk d̄s fy, 'kkI h i f̄ "kn	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
24.	अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग	अध्यक्ष, के.ज.आ.	उपाध्यक्ष
25.	बाढ़ प्रबंधन के समेकित अभिगमों पर आई. सी.आई.डी. कार्य समूह (डब्ल्यू.जी.—सी.ए. एफ.एम.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
26.	जल संसाधन मंत्रालय की विभागीय परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ	सदस्य

27.	केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे की शासी परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
28.	राष्ट्रीय जल विज्ञान सोसाइटी संस्थान	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य(अभि. एवं अनु.)	सदस्य सदस्य
29.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का शासी निकाय	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
30.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना(एन.आर.सी.पी.) की प्रबोधन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
31.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना(एन.आर.सी.पी) की संचालन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
32.	जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण (डब्ल्यू. क्यू.ए.ए.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
33.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड का उच्च अधिकार प्राप्त पुनरीक्षा बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	सदस्य स्थायी आमंत्रित
34.	राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आई.सी.एम.ए.आर.) का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बी.ओ.जी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
35.	जल संसाधन पर भारत-नेपाल संयुक्त समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
36.	फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
37.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य आमंत्रित
38.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संस्था	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.) सदस्य (ज.आ.एवं.परि.)	सदस्य सदस्य सदस्य
39.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का शासी निकाय	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य सदस्य सदस्य
40.	राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का राष्ट्रीय जल बोर्ड (एन.डब्ल्यू.बी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.)	सदस्य सदस्य सचिव
41.	यमुना नदी के न्यूनतम प्रवाह के रखरखाव हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
42.	कावेरी प्रबोधन समिति (सी.एम.सी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
43.	योजना आयोग की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की आयोजना समिति (पी. सी.-एन .एन.आर.एम.एस) की जल संसाधन पर स्थायी समिति (एससीडब्ल्यू)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
44.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने हेतु सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (नदी प्रबंध) सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति विशेष आमंत्रित व्यक्ति विशेष

			आमंत्रित व्यक्ति
--	--	--	---------------------

45.	गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रिती
46.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रिती
47.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रिती
48.	बेतवा नदी बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रिती
49.	बाणसागर कंट्रोल बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रिती
50.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
51.	राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
52.	रिहन्द बांध के लिए संयुक्त प्रचालन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
53.	बेतवा नदी बोर्ड की संविदा कार्य उप समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
54.	बाणसागर कंट्रोल बोर्ड के सामान और उपकरणों की खरीद के लिए निविदाओं और प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए उप—समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
55.	राजघाट बांध परियोजना के मिट्टी बांध—भूखंड में मैसर्स एच.एस.सी.एल के दावों पर विचार करने के लिए अधिकारियों की उप समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
56.	बेतवा नदी बोर्ड के मैसर्स एन.पी.सी.सी. लिमिटेड के दावों का निपटान करने हेतु समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
57.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड के ठेकेदारों के दावा मामलों की जांच और कार्रवाई करने के लिए उप—समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
58.	प्रस्तावित तिपाईमुख बहुउद्देश्यीय परियोजना के असंरचनात्मक पक्षों के लिए प्रबोधन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
59.	सामाजिक—आर्थिक, कृषि—आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन पर तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
60.	पंचाट बोर्डों में मध्यस्थों के चयन के लिए छानबीन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
61.	चांडिल बांध और गलुडिह बराज की संयुक्त नियामक समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
62.	खरकाई बांध की संयुक्त नियामक समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
63.	सिंचाई, निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, षिक्षा, प्रषिक्षण, अनुसंधान एवं विकास पर उप—समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
64.	के.ज.आ. की स्थाई परियोजना मूल्यांकन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
65.	जल संसाधन आयोजना प्रबंधन और मूल्यांकन सेक्षनल समिति—डब्ल्यू आर डी—06 (बी आई एस)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष

66.	एक समान रूप में सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता की सिंचाई के आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्शिकाओं की रिपोर्टिंग हेतु समेकित जल संसाधन विकास कार्यबल पर राष्ट्रीय आयोग (एन सी आई डब्ल्यू आर डी पी) की सिफारिष	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
67.	देष (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) में बाढ़ प्रबंध के लिए कार्यबल	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
68.	हथिनीकुंड बराज के लागत बंटवारे हेतु समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
69.	आमंत्रित आरक्षित वर्ग के तहत अनुसंधान विषयों के लिए उप— समूह-1	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
70.	वर्षा जल संचयन के लिए उप—समूह-2	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
71.	पुनर्गठित यू पी / उत्तरांचल राज्यों के लिए समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
72.	पुनर्गठित बिहार/झारखण्ड राज्यों के लिए समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
73.	ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य सचिव
74.	क्षमता निर्माण पर इनसिड का कार्य समूह	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
75.	सामाजिक—आर्थिक प्रभावों एवं नीति संबंधी मुद्दों पर कार्य दल (आई सी आई डी)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
76.	जल के विविध प्रयोग के संबंध में समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जल आयोजना और समन्वय के लिए स्थायी समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
77.	डब्ल्यू पी सं. 914 / 96 (सेक्टर 14 निवासी कल्याण संघ नोएडा बनाम संघ सरकार तथा अन्य) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
78.	डब्ल्यू पी (सिविल) सं. 725 / 94 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति। “मुख्यतः यमुना के कम प्रवाह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य” पर हिन्दुस्तान टाइम्स में न्यूज आइटम के संबंध में	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
79.	योजना आयोग की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की योजना समिति (पी सी—एन आर एम एस) के ग्रामीण विकास (एस सी—आर) पर स्थायी समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
80.	नदियों की सिंधु प्रणाली के पूर्वी नदी जल पर समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
81.	राष्ट्रीय जलशेड समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
82.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऋण सहायता	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
83.	जल विज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति की संचालन समिति (आई एन सी ओ एच)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	स्थाई आमंत्रित
84.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की यमुना कार्य योजना—उच्चाधिकार प्राप्त समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	आमंत्रित

85.	बाढ़ नियंत्रण, जलनिकास और समुद्र कटाव—रोधी (गोवा) के लिए तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
86.	सुबर्णरेखा तटबंध समिति (उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
87.	नदियों में न्यूनतम प्रवाह पर डब्ल्यू क्यू ए ए को सलाह देने के लिए कार्य समूह	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
88.	विष्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल विज्ञानीय परियोजना चरण—2 के कार्यान्वयन हेतु एच आई एस जी (आंकड़ा और आंकड़ा प्रसार) का गठन	सदस्य (नदी प्रबंध)	सदस्य
89.	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना चरण—2 के क्रियान्वयन के लिए एच आई एस एम जी (तकनीकी) का गठन	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
90.	जल संसाधन आवश्यकता और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता पर रिथिति रिपोर्ट तैयार करने हेतु संचालन समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
91.	तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति (सी पी डी ए सी)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
92.	राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण (एन सी जैड एम ए)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
93.	घग्गर स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
94.	यमुना स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
95.	साहिबी स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
96.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण उपायों की सिफारिष, पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित षष्ठी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
97.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा गठित बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
98.	ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
99.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
100.	पश्चिम बंगाल राज्य अभियंता समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
101.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
102.	कोसी उच्च स्तरीय समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
103.	दामोदर घाटी जलाषय विनियमन समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
104.	द्रव प्रवाह मापकों के लिए बी.आई.एस. की डब्ल्यू आर डी 01 सेक्षनल समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
105.	डब्ल्यू आर डी-22 नदी एवं विपथन कार्य सेक्षनल समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष

106.	इनसिड की उप समिति III (बाढ़ प्रबंध, अपवाह और पर्यावरण प्रभाव)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
107.	पंचेष्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पर विषेषज्ञों का संयुक्त दल	सदस्य (नदी प्रबंध)	विषेष आमंत्रिती
108.	सप्त कोसी परियोजना पर विषेषज्ञों का संयुक्त दल (जे टी ई)	सदस्य (नदी प्रबंध)	दल नेता
109.	जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब मुख्य पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना के संबंध में तकनीकी मुद्दों की जांच के लिए समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
110.	असम राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
111.	कछार बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (असम) की तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
112.	तीस्ता पर निर्मित विभिन्न जल-विद्युत परियोजनाओं से निर्मुक्ति के नियमन का अध्ययन करने हेतु उच्च स्तरीय समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
113.	भूटानी डायरा (पश्चिम बंगाल) और मजोली द्वीप (असम) की कटाव समस्या के अध्ययन हेतु समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
114.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव रोधी कार्यों के लिए मार्गदर्शिकाएं तथा योजनाओं की प्राथमिकता तैयार करने वाली स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
115.	सी एस आर एस, नई दिल्ली की शासी परिषद की स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
116.	यंत्रीकरण केंद्र (आई डी सी) के लिए यंत्र तथा कार्य प्रतिरूपों की अधिप्राप्ति हेतु तकनीकी समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
117.	राष्ट्रीय षैल यांत्रिकी संस्थान (एन आई आर एम) का षासी निकाय	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
118.	राष्ट्रीय षैल यांत्रिकी संस्थान (एन आई आर एम) का सामान्य निकाय	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
119.	सीमेंट और बिल्डिंग सामग्री राष्ट्रीय परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति (आर ए सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
120.	कोयना बांध एवं इसके अनुबद्ध कार्यों तथा कोयना विद्युत गृह समेत उपकरण/मपीनरी उत्पन्न करने के लिए परामर्शदाता बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
121.	द्रविकी अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आई एन सी एच)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष

122.	आर एण्ड डी कार्यान्वयन और प्रबोधन समिति (आर आई एम सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
123.	नदी धाटी परियोजनाओं के भूकम्पीय अभिकल्प पैरामीटरों पर राष्ट्रीय समिति (एन सी एस डी पी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
124.	आर एंड डी कार्यक्रम के लिए स्थायी सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
125.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना(डी आर आई पी) हेतु राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एन एल एस सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
126.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना(डी आर आई पी) हेतु तकनीकी समिति (टी सी सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
127.	पी एम पी एटलस की तैयारी के लिए तकनीकी सलाहकार एवं पुनरीक्षण समिति (टी ए आर सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
128.	इनकोह की संचालन समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
129.	विश्व मौसम विज्ञानीय संगठन	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	प्रधान प्रतिनिधि
130.	टिहरी जल विकास निगम निदेषक बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अंषकालिक निदेषक
131.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी समूह	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
132.	भारतीय मानक ब्यूरो, डब्ल्यू आर डी-15 की सेक्शन समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
133.	अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के पार अंतिरिक्त नदी जल प्रवाह की मात्रा का आकलन करने और इसके विपथन का सुझाव देने संबंधी समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
134.	फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
135.	ताला जल विद्युत परियोजना, भूटान की तकनीकी समन्वय समिति (टी सी सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सह अध्यक्ष
136.	ताला जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (टी एच पी ए), भूटान की बोर्ड बैठक	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	आमंत्रित
137.	विद्युत योजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्वीकृति के लिए सी ई ए की समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	स्थायी विषिष्ट आमंत्रित
138.	एन एच पी सी निष्पादन पुनरीक्षण समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
139.	फरक्का बराज परियोजना की निविदा समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
140.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित फ्लाई ऐश इकाई – कार्यक्रम सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य

141.	अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार बहने वाली पूर्वी नदी के पूर्ण उपयोग के संबंध में कार्य योजना को अंतिम रूप देने की समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
142.	प्रस्तावित तिपाईमुख बहुदरेशीय परियोजनाओं के अवसंरचनात्मक पहलुओं की निगरानी करने की समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
143.	फरक्का बराज परियोजना की प्रगति के प्रबोधन संबंधी समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
144.	बगलिहार जल विद्युत परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) से संबंधित तकनीकी/विधिक मामलों की जांच हेतु समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष

17-2 dN egRoi wkl | fefr; k d s dk; &dyki

17-2-1 jk"Vh; ty fodkl vfkldj.k dh rduhdh | ykgdkj | fefr

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, एनडब्ल्यूडीए की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं तथा सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) तथा सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग, इसके सदस्य हैं।

तकनीकी सलाहकार समिति की 37वीं बैठक 12 सितम्बर, 2008 को हुई जिसमें निम्नलिखित रिपोर्टों के तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया :

- (i) केंद्रीय जल आयोग के परामर्श से एनडब्ल्यूडी के जल संतुलन अध्ययनों को अंतिम रूप देना
- (ii) एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति
- (iii) महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगाई-गुंडर लिंकेज की 9 लिंक प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट
- (iv) एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति
- (v) जोगीघोपा की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट-तिस्ता-फरक्का संपर्क परियोजना
- (vi) अंतः-राज्य संपर्क प्रस्ताव

17-2-2 ,uvkbL p dh rduhdh | ykgdkj | fefr

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एनआईएच की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा एनआईएच के अनुसंधान कार्यक्रम तथा अन्य तकनीकी कार्यकलापों का प्रबोधन एवं दिशा-निर्देशन किया गया। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) तथा मुख्य अभियंता, जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन इसके सदस्य हैं।

तकनीकी सलाहकार समिति को सतही जल, भूजल और जलविज्ञानीय प्रेक्षण और उपकरण के संबंध में 3 कार्यकारी समूहों से फीडबैक मिलता है। मुख्य इंजीनियर, एचएसओ और मुख्य इंजीनियर, बीपीएमओ सतही जल समूह के सदस्य हैं और मुख्य इंजीनियर (पी एंड डी) जलविज्ञानीय प्रेक्षण और उपकरण समूह के सदस्य हैं।

तकनीकी सलाहकार समिति की 59वीं बैठक 11.11.2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

17-2-3 dLnh; ty ,ofo | r vuq kkyk dh rduhdh | ykgdkj | fefr

तकनीकी सलाहकार समिति का गठन मुख्यतः द्रविकी अनुसंधान के क्षेत्र में सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से किया गया था। तकनीकी सलाहकार समिति में विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के 17 सदस्यों को लिया गया है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग इसके एक सदस्य हैं। तकनीकी सलाहकार समिति की 30वीं बैठक अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में पुणे में 9 सितम्बर, 2008 को हुई। समिति के सदस्य—सचिव ने सूचित किया कि विविध प्रणोद क्षेत्र(thrust areas) पहचाने गए हैं, जिन पर तकनीकी सलाहकार समिति के परामर्श से XIवीं योजना प्रस्ताव बनाए गए थे।

17-2-4 QjDdk cjkt i fj; kstu k dh rduh dh l ykgdkj l fefr

सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में फरक्का बराज परियोजना—तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में परियोजना के विभिन्न कार्यों के दक्ष एवं सुरक्षित निष्पादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं। समय—समय पर विभिन्न समस्याएं, विशेष अध्ययन तथा अभिकल्प से संबंधित कार्य अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध को भेजे गए। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) ने समय—समय पर फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों से विचार—विमर्श किया और फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। गंगा नदी के कटाव सुरक्षा कार्य करने हेतु फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में 40 किलो मीटर तक तथा अनुप्रवाह में 80 किलो मीटर तक फरक्का बराज परियोजना का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में फरक्का बाँध परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की 104वीं बैठक 20 अक्टूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

17-2-5 dInh; e nk , o a l kexh vuf ikku' kkyk dh Lfk; h rduh dh l ykgdkj l fefr

स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति का गठन मुख्यतः केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला में की जा रही अनुसंधान स्कीमों की तकनीकी जांच में सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा मार्गदर्शन देने हेतु किया गया था। स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति में विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के 11 सदस्यों को लिया गया है तथा इसके अध्यक्ष, सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग हैं। एसटीएसी की पिछली बैठक 23.02.2007 को नई दिल्ली में सदस्य (डी एंड आर), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में की गई, ताकि सीएसएसआरएस का तकनीकी मामलों (आर एंड डी) और (एस एंड टी) के संबंध में समग्र परिप्रेक्ष्य और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। वर्ष 2008–09 के दौरान आगे कोई बैठक नहीं हुई।

17-2-6 Hkkj rh; jk"Vh; tyh; vuf ikku l fefr %vkbz , u l h , p%

जल संसाधन मंत्रालय में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की आयोजना तथा प्रबोधन, विज्ञान एवं तकनीकी सलाहकार समिति (एस.टी.ए.सी.); (क) जलविज्ञान, (ख) सिंचाई एवं अपवाह, (ग) जलीय अनुसंधान, (घ) भू—तकनीकी अभियांत्रिकी, (ड) निर्माण सामग्री एवं संरचनाओं संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समितियों के सहयोग से स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) द्वारा की जाती हैं। जलीय अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाली जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित पांच राष्ट्रीय समितियों में से एक समिति का गठन बाढ़ प्रबंधन, जलीय संरचना और नदी द्रव इंजीनियरी, पर्यावरणीय द्रव इंजीनियरी, अपवाह और सुधार, तटीय तथा ज्वारनदमुखीय हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीनरी, नगर जल आपूर्ति, बंदरगाहों एवं पोताश्रयों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। जलीय अनुसंधान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति को उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और निधिकरण का कार्य सौंपा गया है। सदस्य (अभि. एवं अनु.) इस समिति के अध्यक्ष हैं।

भारतीय राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान समिति में विभिन्न केन्द्र एवं राज्य अनुसंधान संस्थानों से प्रतिनिधियों सहित हाइड्रोलिक्स क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली

में पहले स्थित आईएनसीएच का मुख्यालय सितम्बर, 2008 से सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्ष 2008–09 के दौरान, 20 शोध स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा था जिसमें से 2 का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है।

17-2-7 Hkkj rh; jk"Vt; ty foKku | fefr

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1982 में भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति का गठन किया गया था। यह एक शीर्ष निकाय है, जो देश में जल विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति के सदस्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों के विशेषज्ञों में से लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य गैर-सरकारी व्यवसायिक संगठनों से भी लिए जाते हैं। समिति को राज्यों से मंतव्य (फीड-बैक) प्राप्त होता है तथा राज्य समन्वयकों के माध्यम से राज्य स्तर पर कार्य-कलापों का समन्वय किया जाता है।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय जलवैज्ञानिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु इनकॉह सक्रिय भूमिका निभाता है। आईएचपी VII (2008–13) में भारत द्वारा प्रभावी सहभागिता के लिए एक कार्यनीति का विकास करने के लिए वर्ष के दौरान गहन चर्चा की गई।

सेवा भवन, नई दिल्ली में 27.06.2008 को 34वीं बैठक आयोजित की गई थी। तिरुअनंतपुरम, केरल में 03.12.2008 से 05.12.2008 तक इनकॉह का छठा आर एंड डी सत्र आयोजित किया गया।

- (क) अनुसंधान उप-समिति (सतही जल) – इनकॉह की अनुसंधान उप-समिति की सामान्यतया वर्ष में एक बार दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। निदेशक, जलविज्ञान (डीएसआर) इस उप-समिति के सदस्य हैं।
- (ख) संचालन उप-समिति – एक वर्ष में संचालन उप-समिति की दो बैठकें आयोजित होती हैं। सदस्य (डी एंड आर) उप-समिति के अध्यक्ष और मुख्य अभियंता (एचएसओ) इसके अध्यक्ष हैं।

17-2-8 Hkkj rh; jk"Vt; fl pkbz , oI ty fudkl | fefr %vkbz uI hvkbMh%

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1990 में भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास समिति (इनसिड) का अध्यक्ष तथा सदस्य, (जल आयोजना एवं परियोजना) को इसका सदस्य बनाया गया है। इनसिड का सचिवालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में स्थित है। भारत में इनसिड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग (आईसीआईडी) के लक्ष्य तथा कार्य-कलापों का अनुसरण किया जाता है। यह सिंचाई एवं जल-निकास क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्य-कलापों की भी जांच करती है। अनुसंधान स्कीमों को बढ़ावा देने तथा इन्हें तुरन्त तैयार एवं प्रबोधन करने के लिए इनसिड की निम्नलिखित चार उप-समितियों का गठन किया गया है :–

- (i) सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास।
- (ii) फसल, जल उपयोग एवं सूखा प्रबंधन, सूक्ष्म तथा यंत्रीकृत सिंचाई।
- (iii) बाढ़ प्रबंध, जल-निकास तथा पर्यावरण प्रभाव और
- (iv) निर्माण, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण, प्रचालन, रख-रखाव एवं प्रबंधन।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक अनुसंधान पर कार्य करने हेतु दो उप-समूह तथा एक कार्यकारी समूह गठित किए गए।

वर्ष के दौरान सिंचाई एवं अपवाह संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति की गतिविधियां निम्न प्रकार रहीं :–

- मार्च, 2008 से, केंद्रीय जल आयोग को इनसिड के सचिवालय के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। आईएडी निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग को इस कार्य को आबंटित किया गया है और इसके निदेशक को इनसिड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय इनसिड के माध्यम से कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में विविध अनुसंधान संस्थानों की 34 अनुसंधान परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। स्कीमों का मूल्यांकन और प्रबोधन किया गया है।
- इनसिड आईसीआईडी की आईसीआईडी बैठकों की 60वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आईईसी) बैठक की मेजबानी कर रहा है।

दिसंबर, 2009 के दौरान नई दिल्ली में 5वीं एशियाई रीजनल कांफ्रेंस आयोजित होगी। इस संबंध में प्रथम सूचना बुलेटिन जारी कर दिया गया है।

आमंत्रित अनुसंधान श्रेणी के अंतर्गत दो उप-समूह और एक कार्यकारी समूह का भी गठन किया गया था। वर्ष 2008–09 के दौरान पिछले सचिवालय सेट अप को समाप्त करने और इनसिड सचिवालय के नए सेट अप का पुर्नर्गठन होने के कारण उप-समिति/उप-समूह की कोई बैठक नहीं हुई थी।

17-2-9 fo'o ty ifj "kn

विश्व जल परिषद एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जो जल पर नीति तैयार करती है और उसे अनुमोदित करती है। केन्द्रीय जल आयोग इस संगठन का सदस्य है। भारत में विश्व जल परिषद के कार्य-कलापों को बढ़ावा देने के लिए विश्व जल परिषद का केन्द्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। विश्वव्यापी जल सहभागिता एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जो खरूप में अर्ध-सरकारी है और विश्व स्तर पर जल के नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करती है और आगे विचार हेतु इसे विश्व जल परिषद को प्रस्तुत करती है। भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास समिति भारत की ओर से विश्व जल सहभागिता की सदस्य है। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र की तकनीकी सलाहकार समिति के साथ एक क्षेत्रीय जल सहभागिता है। देश स्तर पर एक गैर-सरकारी संगठन बनाया गया है, जिसका नाम भारत जल सहभागिता रखा गया है। केन्द्रीय जल आयोग का भारतीय जल सहभागिता – संचालन समिति में प्रतिनिधित्व है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस संचालन समिति के सदस्य हैं। सिंचाई आयोजना (दक्षिण) निदेशालय विश्व जल परिषद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक नोडल निदेशालय के रूप में कार्य करता है। विष्व जल परिषद, नई दिल्ली केन्द्र की एक महत्वपूर्ण गतिविधि गहन विचार सत्र का आयोजन करना है। श्री एम. गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में 30 जनवरी, 2009 का विश्व जल परिषद के नई दिल्ली केन्द्र का 60वां गहन विचार सत्र आयोजित किया गया।

17-2-10 vUrqjkVh; fl pkbz ,o@ty&fudkl vk; kx

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग एक गैर-सरकारी संगठन है जिसमें 80 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग का एक संस्थापक सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग का लक्ष्य विश्व में दीर्घकालीन कृषि हेतु व्यापक परियोजनाओं को ग्रहण करके और उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देकर अनुसंधान और विकास एवं क्षमता निर्माण के साथ सिंचाई जल-निकास, बाढ़ नियंत्रण और नदी नियंत्रण अनुप्रयोगों के प्रबंधन में कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी की तकनीकें, कृषि, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समाज विज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है।

सिंचाई आयोजना (एस) निदेशालय, आईसीआईडी की नोडल इकाई है।

Ü vUrqjkVh; fl pkbz ,o@ty&fudkl vk; kx ds vUrxkr I fefr; k@dk; hy

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग द्वारा विभिन्न समितियों/कार्यदलों का गठन किया गया है जिनमें उपर्युक्त कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग की समितियों/कार्य दलों में केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	समिति का नाम	सदस्य
1.	कार्यनीति आयोजना एवं संगठनात्मक कार्यों पर स्थायी समिति (पी सी एस पी ओ ए)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
2.	तकनीकी गतिविधियों पर स्थायी समिति (पी सी टी ए)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
3.	बाढ़ प्रबंधन के लिए समेकित दृष्टिकोण पर कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी-सी ए एफ एम)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
4.	क्षमता निर्माण, प्रषिक्षण और विकास पर कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी-सी बी टी ई)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड
5.	जन संपर्क एवं प्रकाशन पर समिति	सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), के.ज.आ.
6.	सिंचाई, जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण के इतिहास संबंधी कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी-एच आई एस टी)	मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ.

17-2-11 Hkkj rh; df"k , oI vuq gkku i fj "kn 1Hkk-d-, oI vuq i fj -%&dIuht; ty vk; kx I a Df i my

कृषि मंत्रालय के फसल मौसम निगरानी समूह की बैठकों में केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व है जिनमें के.ज.आ. द्वारा प्रबोधित 81 प्रमुख जलाशयों में जल की कमी की स्थिति से अवगत कराया जाता है।

भा.कृ.एवं अनु.परि.—केन्द्रीय जल आयोग संयुक्त पैनल का गठन पहली बार मार्च, 1979 में तीन वर्षों की अवधि के लिए मुख्य रूप से प्रभावी जल उपयोग प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने तथा वृहत्, मध्यम, लघु और अन्य सिंचाई कार्यकरणों के तहतष्ट्रामिल क्षेत्रों में सिंचाई पर हुए निवेष से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु उपाय सुझाने की दृष्टि से भा.कृ.एवं अनु.परि. द्वारा किया गया था। पैनल के कार्यों में सिंचाई कमानों में पर्याप्त एवं प्रभावी कृषि अनुसंधान, विकास प्राधिकरण सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। प्रति इकाई जल से पैदावार को इष्टतम बनाने की दृष्टि से यह पैनल कृषि विष्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, केन्द्र एवं राज्य भू-जल संगठनों तथा अन्यों द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा करता है। तीन वर्षों की इसकी अवधि के समाप्त होने के पश्चात, इस पैनल को अब तक आठ बार पुनर्गठित किया गया है। महानिदेशक, भा.कृ.एवं अनु.परि. पहले एवं तीसरे वर्ष में पैनल के अध्यक्ष रहते हैं और अध्यक्ष, के.ज.आ. दूसरे वर्ष में पैनल के अध्यक्ष रहते हैं। केंद्रीय जल आयोग—भा.कृ. एवं अनु. परि. के संयुक्त पैनल का पुनर्गठन जनवरी, 2007 में किया गया। नव गठित आठवें पैनल की द्वितीय बैठक 14 अगस्त, 2008 को आयोजित की गई।

केन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में एक शीर्षस्थ तकनीकी निकाय होने के नाते भारतीय मानक व्यूरो के जल संसाधन प्रभाग (डब्ल्यूआरडी) तथा सिविल इंजीनियरी प्रभाग (सीईडी) के कार्यकलापों में अपनी सहभागिता के माध्यम से जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों में मानकों का निरूपण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन प्रभाग परिषद के अध्यक्ष हैं। के.ज.आ. में भारतीय मानक व्यूरो के जल संसाधन प्रभाग परिषद के कार्यों के लिए नींव अभियांत्रिकी एवं विशेष विश्लेषण नोडल निदेशालय है।

डब्ल्यूआरडी.सी. की 18 सेक्शनल समितियां हैं और इनमें केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व मुख्य अभियंता एवं निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

चूंकि अध्यक्ष, के.ज.आ. डब्ल्यू आर डी सी के अध्यक्ष हैं और इससे संबंधित कार्यों के लिए निदेशक (एफ. ई. एण्ड एस.) नोडल निदेशक हैं, मसौदा कोड को अपनाने एवं मुद्रण के लिए स्वीकृति/भारतीय मानक कोड में परिवर्तन के लिए स्वीकृति संबंधी कार्य एफ ई एण्ड एस ए में किए जाते हैं तथा अध्यक्ष की स्वीकृति से भारतीय मानक व्यूरो को अवगत कराया जाता है।

(क) वर्तमान वर्ष में 11 मसौदा मानकों एवं भारतीय मानक कोड में 8 परिवर्तनों को अध्यक्ष, के.ज.आ. ने अपनाने एवं मुद्रण हेतु स्वीकृति प्रदान की।

(ख) डब्ल्यूआरडी – 05 की 11वीं बैठक 'जियोलॉजिकल इन्वेस्टीगेशन एंड सब-सरफेस एक्सप्लोरेशन' में उप निदेशक ने भाग लिया।

(ग) भारतीय मानक व्यूरो, नदी घाटी परियोजनाओं: बांध सुरक्षा के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव के लिए एक सुरक्षा कोड तैयार कर रहा है। इसके लिए बुनियादी दस्तावेज केंद्रीय जल आयोग के डीएसआर निदेशालय द्वारा तैयार किए गए हैं। बीआईएस, दस्तावेज में भूकम्पीय अध्ययनों, जलविज्ञान, प्रलेखन और आपातकालीन योजना (खंड 4,5, 6 और 7) से संबंधित खंडों का सविस्तार प्रतिपादन चाहते थे। डीएसओके संगत निदेशालयों में मसौदा कोड के उपर्युक्त खंडों की जाँच की गई है तथा प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों को संकलित किया गया है और उपर्युक्त कोड में शामिल करने के लिए बीआईएस को भेज दिया गया है। निदेशक, डीएसआर, केंद्रीय जल आयोग ने मानक भवन, भारतीय मानक व्यूरो, नई दिल्ली में मंगलवार, 21 अक्टूबर, 2008 को आयोजित नदी घाटी परियोजना सेक्शनल समिति, डब्ल्यूआरडी-21 के निर्माण, प्रचालन व अनुरक्षण में सुरक्षा की सातवीं बैठक में भाग लिया।

17-2-13 "vf/kd QI y ,o@ ty dh i fr c@n | svk;" | c@kh mi &I fefr

जल संसाधन मंत्रालय ने प्रो. सैफुद्दीन सोज, माननीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन किया। परिषद की प्रथम बैठक 22 जुलाई, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई और डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि 'हमें अपने जल उपयोग को न्यूनतम बनाना होगा – यह सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश करना होगा, ताकि हम वे फसलें उगा सकें, जिनमें कम पानी का उपयोग होता है। दूसरे शब्दों में प्रति बँड फसल उपयोगिता के रास्ते निकालें। प्रधानमंत्री के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए, परिषद ने अपनी प्रथम बैठक में 'अधिक फसल एवं जल की प्रति बँड से आय' के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु डॉ. एम.एस. एस. स्वामिनाथन की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया। मुख्य इंजीनियर (आई.एम.ओ.) उप-समिति के सदस्य-सचिव थे। उप-समिति ने 09.09.2006 और 29.09.2006 को दो बैठकें आयोजित की और 02.10.2006 को अपनी रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ—साथ पूरे देश में 5000 किसान सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने की सिफारिश की गई। उप—समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2006 में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया, जिसने बदले में केंद्रीय जल आयोग में सचिवालय सहित एक परियोजना कार्यान्वयन दल का गठन किया। पीटीआई ने 5000 प्रदर्शन करने के लिए 60 संस्थाओं को अभिज्ञात किया है। मंत्रालय ने कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए 1712.805 लाख रुपये की दर से निधियों के 70 प्रतिशत की प्रथम किस्त जारी की है। उक्त कार्यक्रम रबी के मौसम 2007–08 से आरंभ हुआ। रबी फसल मौसम 2008 के दौरान, 1801 प्रदर्शन पूरे किए गए। इस प्रकार चालू खरीफ मौसम 2008 के अंत तक 3306 प्रदर्शन (5000 का लगभग 55%) पूरे किए गए हैं। रबी फसल मौसम 2008–09 के दौरान 1503 प्रदर्शन पूरे किए गए। यह आशा की जाती है कि वर्ष 2009 के अंत तक 5000 प्रदर्शन पूरे कर लिए जाएंगे।

18-1 eqz k , oai idk'ku

तकनीकी प्रलेखन निदेशालय के प्रकाशन प्रभाग के ऑफसेट प्रेस ने केंद्रीय जल आयोग एवं जल संसाधन मंत्रालय के प्रिंटिंग के विविध कार्य किए। वर्ष के दौरान लगभग 13,400 कम्पोज पेज तथा विविध प्रकाशनों/फार्मों की 77,800 प्रतियां छापी गई। प्रेस ने प्रकाशनों एवं रिपोर्ट इत्यादि की जिल्डसाजी/कतरने का कार्य भी किया।

वर्ष 2008–09 के दौरान मुद्रित किए गए कुछ प्रकाशन/रिपोर्ट/पत्रिकाएं/पैम्फ्लेट्स/फोल्डर्स निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	प्रकाशन/ कार्य का नाम	नोडल एजेंसी
1	2	3
1.	सिंचाई और बहुदेशीय परियोजनाएं 1980 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	टी.डी. निदेशालय
2.	सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल, 2003	पीसीपी निदेशालय
3.	ईएफसी ज्ञापन 04 बाढ़ पूर्वानुमान की रिपोर्ट	एफएमपी निदेशालय
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की रिपोर्ट	एनसीडी निदेशालय
5.	सरदार सरोवर में बैंक वाटर स्तर की रिपोर्ट	—वही—
6.	आरडीए सं. 124385 में ड्रेनेज प्रणाली का डिजाइन ज्ञापन	एनसीडी निदेशालय
7.	इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) 11982 एम पर कलवर्ट की मुख्य कलवर्ट डिजाइन ड्रेनेज	नर्मदा नहर डिजाइन निदेशालय
8.	आरडी 118644 एम पर ड्रेनेज प्रणाली संबंधी डिजाइन ज्ञापन	—वही—
9.	आरडी 116321 एम पर ड्रेनेज प्रणाली संबंधी डिजाइन ज्ञापन	—वही—
10.	इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) आरडी 11248 एम पर ड्रेनेज प्रणाली की मुख्य नहर डिजाइन	—वही—
11.	आरडी 111141 एम पर डिजाइन ड्रेनेज प्रणाली संबंधी डिजाइन ज्ञापन	—वही—
12.	आरडी 111114 एम पर ड्रेनेज प्रणाली संबंधी डिजाइन ज्ञापन	—वही—
13.	टिप्पणियाँ तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	—वही—
14.	पुस्तक 'छोटे बांधों की डिजाइन'	एनसीडी निदेशालय
15.	वैद्रीय जल आयोग के अधिकारियों को उपलब्ध बुक ऑफ पॉवर	—वही—
16.	चार्ट सहित तकनीकी विनिदेशन	एनएचपीडी निदेशालय
17.	नदी व्यवहार प्रबंधन और प्रशिक्षण	एफएमपी निदेशालय
18.	बैंक वाटर रिपोर्ट मार्च, 1989 इंदिरा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश)	एचडीसी निदेशालय
19.	इंदिरा सागर (मध्य प्रदेश) के लिए बैंक वाटर अध्ययनों की रिपोर्ट	—वही—
20.	बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण के लिए कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट	एफएमपी निदेशालय
21.	सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल	पीसीपी निदेशालय
22.	सीपीडब्ल्यूडी कार्य मैनुअल	—वही—
23.	जल संसाधन मंत्रालय 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी)	जीए अनुभाग, जल संसाधन मंत्रालय

24.	ऊपरी नर्मदा परियोजना और भूमि बाँध का डिजाइन फीचर संबंधी डिजाइन ज्ञापन	एनडी एंड एचडब्ल्यू (डिजाइन) निदेशालय पश्चिम ब्लॉक 2
25.	माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सुरक्षा और ऐक्सीलरेशन सर्वर 2004	एसएमडी निदेशालय
26.	आईएस-4, 5, 6-2000 कोड इंडियन स्टैंडर्ड प्लेन और रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैविटस	एनसीडी निदेशालय
27.	बाढ़ नियंत्रण/कटाव नियंत्रण हेतु कार्यबल की अंतिम रिपोर्ट	एफएम एंड पी निदेशालय
28.	सिंचाई और बहुदेशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (मसौदा) को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी कार्यकारी समूह रिपोर्ट	पी एंड पी (एन एंड एस) निदेशालय
29.	सिंचाई परियोजना की जल उपयोग दक्षता का अध्ययन करने के लिए विचारार्थ विषय	आईपीओ निदेशालय
30.	ऊपरी नर्मदा परियोजना भाग-II की विशेषताओं के संबंध में डिजाइन ज्ञापन, ऊपरी नर्मदा परियोजना का चिनाई (मैसनरी) बाँध	नर्मदा बाँध और शीर्ष कार्य (डी) निदेशालय
31.	सिंचाई जल आवश्यकता के आकलन हेतु दिशा-निर्देश	सिंचाई आयोजना (दक्षिण निदेशालय)
32.	हाइड्रो-इलेक्ट्रिक संस्थापना के लिए वेल्ड किए गए निर्माण के स्टील पेनस्टॉक के डिजाइन विनिर्माणकारी इरेक्शन के लिए सिफारिश	एचसीडी (ई एंड एन ई) निदेशालय, केंद्रीय जल आयोग
33.	विस्तृत परियोजना सिंचाई और बहुदेशीय परियोजनाएं तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट (मसौदा)	पी एंड पी (एन एंड एस) निदेशालय
34.	अनुप्रयुक्त जलविज्ञान	एचएसओ निदेशालय
35.	कर्नाटक बैरेज का तकनीकी विनिर्देशन	गेट्स डिजाइन (एन डब्ल्यू एंड एस) निदेशालय
36.	2007-08 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी)	जी ए अनुभाग, जल संसाधन मंत्रालय
37.	डिजाइन फैब्रीकेशन इरेक्शन और स्टील परियोजना के रखरखाव का मैनुअल	एचसीडी (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय
38.	राजमार्ग पुलों के लिए मानक योजना	एनसीडी निदेशालय
39.	नर्मदा जल विवाद अधिकरण की रिपोर्ट खंड-II की रिपोर्ट	नर्मदा नहर डिजाइन निदेशालय
40.	-वही- खंड-III	-वही-
41.	-वही- खंड-IV	-वही-
42.	भारत के जलाशय की सिलिंटंग संबंधी सारांश	-वही-
43.	पोडियमजिस फॉर इंडिया - एक रिपोर्ट	एनडब्ल्यूपी निदेशालय
44.	सिंचाई विकास के संबंध में उप-समूह-I (एक) की रिपोर्ट	पीसीपी निदेशालय
45.	प्रयोक्ता गाइड	एचसीडी निदेशालय
46.	केंद्रीय जल आयोग के इंजीनियरी अधिकारियों के लिए 43वीं विभागीय परीक्षा	जल संसाधन मंत्रालय
47.	बकेट (इंजी.) डिस्सीपेटरों के हाइड्रॉलिक डिजाइन के लिए मानदंड	एसएसपीएच निदेशालय
48.	बुकलेट : ड्रिप सिंचाई	-वही-
49.	बुकलेट : सिंचाई की छिड़काव प्रणाली	-वही-
50.	पैम्फलेट : राष्ट्रीय जल नीति (अंग्रेजी / हिंदी)	-वही-
51.	पैम्फलेट : वाटर फॉर ऑल (अंग्रेजी)	-वही-
52.	पैम्फलेट : सबके लिए जल (हिंदी)	-वही-
53.	केंद्रीय जल आयोग विवरण	-वही-

54.	दमनगंगा लिंक परियोजना की रिपोर्ट	ईएमबी (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय
55.	इंदिरा सागर परियोजना के लिए बैंक वाटर अध्ययनों संबंधी रिपोर्ट	एनसीडी निदेशालय
56.	डिजाइन मुड़यामा नल्लाह की पेन्ह घाटी जल आपूर्ति	ईएमबी (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय
57.	काश्रो बराज परियोजना के लिए तकनीकी विनिर्देशन और अनुसूची	गेट डिजाइन निदेशालय
58.	भगीरथ हिंदी अप्रैल–जून, 2007	भगीरथ हिंदी
59.	भगीरथ (अंग्रेजी) जनवरी–मार्च, 2007	भगीरथ अंग्रेजी और प्रचार
60.	भगीरथ हिंदी जुलाई–सितम्बर, 2007 (राजभाषा विशेषांक)	भगीरथ हिंदी
61.	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी रिपोर्ट	ईएमबी हिंदी
62.	भगीरथ हिंदी अक्टूबर–दिसम्बर, 2007	भगीरथ हिंदी
63.	जल संसाधन के संबंध में ऋतु परिवर्तन के प्रभाव संबंधी प्रारंभिक समेकित रिपोर्ट	पी एंड डी निदेशालय
64.	प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत	आईपीओ निदेशालय

18-2 ekbdtkfQYe cukuk

भविष्य के संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण आलेखनों तथा अन्य प्रलेखों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से तकनीकी प्रलेखन निदेशालय का माइक्रोफिल्म एकक उचित सूचकांक तथा कोड देकर प्रलेखों को माइक्रोफिल्म में रिकार्ड करता है। वर्ष 2008–2009 के दौरान, महत्वपूर्ण इंजीनियरी आरेखों/प्रलेखों को माइक्रोफिल्म में रिकार्ड किया गया।

18-3 i f=dk, a

केन्द्रीय जल आयोग का तकनीकी प्रलेखन निदेशालय जल संसाधन विकास के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन प्रकाशित करता है। ‘भगीरथ’ जो कि एक त्रैमासिक, अर्ध-तकनीकी पत्रिका है, वर्ष के दौरान अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008–09 के दौरान, द्विमासिक आधार पर ‘प्रशासनिक समाचार बुलेटिन’ भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया।

18-4 , tks fi M

तकनीकी प्रलेखन निदेशालय के फैरो प्रिंटिंग एककों में केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न निदेशालयों से संबंधित आरेखों/अभिलेखों के अनुरेखणों से लगभग 5450 एजो प्रिंट विकसित किए गए।

18-5 i plkj rFkk tu&tkx: drk

जल संसाधन पर प्रचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में समाचार पत्रों/मैगजीन/पत्रिकाओं का दैनिक प्रदर्शन एवं समाचार पत्रों की कतरनों का प्रस्तुतीकरण, पैम्फ्लेट/पोस्टरों को तैयार करना (जब भी आवश्यकता हो)/रेडियो/टी.वी. वार्ताएं आयोजित की गई।

टीडी निदेशालय, जल संसाधन मंत्रालय के सूचना, शिक्षा और संचार (ईआईसी) कार्यकलापों का समन्वय कर रहा है।

18-6 ty | d k/ku e=ky; dk ehfM; k ly| 2008&09

जल संसाधन मंत्रालय के मीडिया प्लॉन 2008–09 के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ केन्द्रीय जल आयोग ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया।

- 14.11.2008 से 27.11.2008 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आईआईटीएफ 2008।
- 04.02.2009 से 16.02.2009 तक गुवाहाटी, असम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला।
- 10.12.2008 से 12.12.2008 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 9वां वाटर एशिया 2009।
- 04.02.2009 से 08.02.2009 तक अखिल भारतीय एक्सपो टाटा नगर, जमशेदपुर।
- 27.02.2009 से 28.02.2009 तक कोलकाता में ऋतु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी : चुनौतियां और न्यूनीकरण।
- त्रिशूर पुरम : 26 मार्च से 26 मई, 2008 तक त्रिशूर (केरल) में प्रदर्शनी 2008।

18-6-1 bathfu; jh | akgky;

केंद्रीय जल आयोग, बी-5, कालिंदी भवन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र, नई दिल्ली-110016 में एक इंजीनियरी संग्रहालय का रखरखाव कर रहा है, जो देश में जल संसाधन विकास के लिए पूर्णतया समर्पित है। स्वतः स्पष्ट चल मॉडलों के माध्यम से भारत में जल संसाधन के क्षेत्र में विकास के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया जाता है। वर्ष 2008–09 के दौरान, संग्रहालय में बड़ी संख्या में दर्शक आए जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के छात्र, व्यवसायी और व्यक्ति शामिल थे।
